हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

06.04.2016/1100/SLS-DC-1

अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अब सत्र के केवल दो दिन शेष रह गए हैं। सदन के गतिरोध रहित संचालन को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई है जिसमें इस बात को लेकर विचार-विमर्श हुआ है कि इस शेष अवधि में सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण तरीके से संचालित हो।

जारी ...गर्ग जी

06/04/2016/1105/RG/DC/1

अध्यक्ष महोदय----क्रमागत

बैठक में यह फैसला किया था कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन को चलाएं। क्योंकि सत्र के अब केवल दो दिन रह गए हैं और जो भी मुद्दे रह गए हैं उनको हम अच्छी तरह से निपटाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन दो दिनों में शांतिपूर्ण ढंग से सदन की जो भी कार्यवाही होगी, उसको हम अच्छी तरह से चलाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। सदन में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उनको अच्छी तरह से हम सब मिलकर क्रियान्वित करें। मैं आपसे और किस प्रकार से निवेदन करूं, मैं यही चाहूंगा कि इन दो दिनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन को चलाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख हो रहा है और हम आपकी वेदना समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का यह दायित्व है कि वह प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को यहां रखे और जो घटनाएं प्रदेश में घटित हो रही हैं चाहे वह भ्रष्टाचार या अन्य मामलों के संबंध में हो, उनको यहां उठाएं। यह तो विपक्ष का दायित्व है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह दायित्व बनता है कि वह सदन को चलाने के लिए किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं। हम आपकी वेदना के साथ सहमत हैं और अभी हमारे सचेतक साहब और दूसरे सदस्य भी आपसे मिले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज से प्रश्नकाल में भाग लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना प्रश्न पूछता हूं।

एम.एस. द्वारा प्रश्न संख्या 3239 शुरू

06/04/2016/1110/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3239

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क, ख व ग, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत भावुक हो गए हैं इसलिए आप थोड़ी देर आराम कीजिए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय सदन का संचालन कर लेंगे। वास्तव में आप थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गए हैं इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उपाध्यक्ष जी को सदन के संचालन हेतु कहें।

अध्यक्षः इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब सदन की दो बैठकें शेष रह गई हैं इसलिए अच्छे तरीके से इसकी गरिमा को बनाए रखें। मुझे आशा है कि जो सदन की दो बैठकें शेष बची हैं, उनमें सभी अच्छा माहौल बनाए रखेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने सूचना सभा पटल पर रखी है, इसमें इन्होंने कहा है कि भारी बरसात के कारण वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार को जो नुकसान की रिपोर्ट भेजी है उसमें 778.47 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। उपाध्यक्ष जी, हमें इस बात की खुशी है और मुझे लगता है कि पहली दफा भारत सरकार से NDRF के तहत 135.41 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को आए हैं। इसी तरह से SDRF (State Disaster Response Fund)जो एक निश्चित फण्ड होता है जोकि 13वें और 14वें वित्तायोग में भी निर्धारित है कि हर साल स्टेट को कितना फण्ड मिलना है, वह भी सारे-

का-सारा पैसा भारत सरकार से 236.00 करोड़ रुपये जिसमें प्रदेश सरकार का 23.60 करोड़ रुपये जमा हुआ है, मिला है। वह सारा-का-सारा लगभग 336 करोड़ 93 लाख रुपया विभिन्न विभागों और विभिन्न जिलों को इस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए वितरित भी किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि

06/04/2016/1110/MS/AG/2

NDRF का पैसा जो आपको प्राप्त हुआ है, ये विशेष और आपात स्थिति में जो नुकसान प्रदेश का हुआ है, उसके अंगेस्ट मिलता है। ये जो 135.41 करोड़ रुपया आपको भारत सरकार से मिला है, यह कौन से जिले और कौन से हलकों में दिया गया है यानी जो पिछले साल या उससे पिछली साल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था, जैसे जिला मण्डी के धर्मपुर में बहुत भारी नुकसान हुआ था और जोगेन्द्र नगर के हलके में भी भारी नुकसान हुआ था जोकि आम नुकसान से बढ़कर था। केन्द्र की जो टीम आई थी उसने भी उन क्षेत्रों को विजिट किया था और उन्होंने भी वह रिपोर्ट भारत सरकार में रखी होगी। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि 135.41 करोड़ रुपये जो भारत सरकार से आपको प्राप्त हुए हैं,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.04.2016/1115/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3239:--------**जारी**---------

श्री गुलाब सिंह ठाकुर:--------**जारी**---------

किन-किन जिलों में और किन-किन इलाकों में इस पैसे का वितरण किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि 135.41 करोड़ रूपए वर्ष 2016 में केन्द्र से आए हैं। यह वास्तव में वर्ष 2016 में नहीं आए हैं वर्ष 2015-16 में जो हमने मैमोरैंडम दिया था उसके अंगेस्ट आए हैं। अभी जो हमने मैमोरैंडम दिया है, जो आपने पूछा था कि 2015 के दौरान जो नुकसान हुआ था वह 287.47 करोड़ रूपए का ज्ञापन हमने केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार से उसकी

एवज़ में हमें लगभग 81.22 करोड़ रूपए की सेंक्शन आई है लेकिन केन्द्रीय वित्त विभाग से अभी यह पैसा हमें नहीं आया है। जहां तक डिटेल हैं उस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि जो पैसा हमने जिलों को दिया है वह 153.75 करोड़ रूपया जिलाधीशों के माध्यम से हर जिला में दिया गया। बाकी जो विभागों को दिया, जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, नगर निगम शिमला, परिवहन विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिल्डिंग्ज़ के लिए 183 करोड़ 18 लाख 84 हजार रूपए हमने दिया है। कुल मिला करके 336 करोड़ 93 लाख 84 हजार रूपया अभी तक आबंटित कर दिया गया है। धनराशि का वितरण एन.डी.आर.एफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से कम्बाईंड दिया जाता है। अलग-अलग से नहीं दिया जाता है, जैसे कि आपने हवाला दिया है कि 212 करोड़ 40 लाख रूपया एन.डी.आर.एफ. का था और एस.डी.आर.एफ का पैसा 23.60 करोड़ रूपए दिया गया है। इस तरह से जो आबंटित राशि थी उसका मैंने आपको जिलावार कह दिया कि जिलों में कितना दिया और डिपार्टमैंट्स में कितना बांटा है?

06.04.2016/1115/जेएस/एजी/2

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है कि जो राशि एन.डी.आर.एफ. की और एस.डी.आर.एफ की भारी वर्षा के कारण या दूसरे प्रयोजन के माध्यम से भी जाती है। इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि हमने कुछ राशि विभिन्न विभागों को आबंटित कर दी है। मेरा माननीय मंत्री जी से स्पैसिफिक जानना है कि इन तीन वर्षों में बहुत ज्यादा नुकसान बादल फटने की घटनाएं, भारी वर्षा होने की घटनाएं और अनटाइमली स्नो फॉल की घटनाएं इस प्रदेश के अन्दर घटी है। जहां तक विभागों को पैसा दिया गया है, नुकसान तो सानों की जमीनों का हुआ है, बागवानों के बागीचों का हुआ है। वहां पर रहने वाले लोगों के मकानों कों नुकसान हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से स्पैसिफिक जानना है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो मकान बह गए, चले गए उनका तो जो आपने क्लेम देना था, जो आपके मैनुअल में था उसके मुताबिक आपने दे दिया। लेकिन जो मकान,जो गऊ शालाएं उन खड्डों के किनारे, उन नालों के किनारे बिल्कुल खतरे में हैं, भगवान न करें कि इस वर्ष दोबारा से कोई ऐसी आपदा घटे। उन मकानों की प्रोटैक्शन के लिए आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं, किस

प्रकार से उनकी मदद करने वाले हैं? इसी के साथ जिनके मकान चले गए हैं, जिनकी गऊ शालाएं चली गईं हैं। आपने फ्लोर ऑफ दी हाऊस इस प्रदेश के उन प्रभावित लोगों को आपने एक आश्वासन दिया था कि

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

06.04.2016/1120/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3239 क्रमागत

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिये।

श्री महेन्द्र सिंहः जिनके मकान चले गये हैं और जिनके पास मकान बनाने योग्य भूमि नहीं रही है क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के पास तीन बिसवा या दो बिसवा जमीन देने के लिए आवेदन किया हुआ है वह उनको मिल गई है? अगर वे जमीनें उनको नहीं दी गई हैं तो कब तक ये जमीनें उनको दी जायेंगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 2015 में बरसात में भारी नुकसान हुआ। जिसमें ओलावृष्टि, बादल फटने, बाढ़ आने से भू-स्खलन की वजह से जानमाल तथा निजी सम्पत्ति का काफी नुकसान हुआ है। उसमें 133 व्यक्तियों की भी उसी दौरान मृत्यु हुई है, जिसका जिलावार ब्योरा भी मेरे पास है। उसके अलावा पशुधन 686 जिसमें गाय, घोड़े, भेड़-बकरियां, खच्चर, भैंसे इत्यादि की मृत्यु हुई है। 3264 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनमें से 424 कच्चे-पक्के घर पूर्ण रूप से तथा 1538 कच्चे और पक्के घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। 1121 गौशालाएं, 70 घराट, 111 दुकानें उसमें शामिल हैं। इस संदर्भ में 19.26 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया है। इसी तरह जहां तक डिपार्टमैंट की बात है सड़कों का भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कों के नुकसान का आंकलन 404.27 करोड़ रुपया आया है। आई0पी0एच0 की भी 5307 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। 27 शहरी क्षेत्रों में और 3855 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित हुई हैं। उसके लिए 214.52 करोड़ का नुकसान आंका गया था। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने जो अब की बार केन्द्र सरकार को नुकसान का आंकलन भेजा था, उसमें 82.82 करोड़ रुपये की सैंक्शन आ गई

है। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय गृह मंत्री, श्री राज नाथ सिंह जी से मिला। जो मैमोरैंडम की कॉपी थी, वह मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने पत्र के साथ उनको भेजी है। इसलिए अभी तक पैसे की सैंक्शन तो आ गई है लेकिन भारत सरकार के फाइनैंस डिपार्टमैंट यह पैसा स्टेट सरकार को रिलीज नहीं किया है। जहां तक आपने सामुदायिक प्रोटैक्शन वर्कस के बारे में कहा, वे किये जाते हैं। वे किये भी जायेंगे। परन्तु इंडीविजुअल मकानों के लिए यह कार्य सम्भव नहीं है। जहां मकानों की पूर्ण रूप से क्षति हुई है, जैसे घर जल भी जाते हैं उसके लिए भी प्रदेश सरकार पैसा देती है। जहां तक

06.04.2016/1120/SS-AS/2

धनराशि का वितरण है वह एन0डी0आर0एफ0 जमा एस0डी0आर0एफ0 कम्बाइन दिया जाता है। उसको अलग-अलग करके नहीं दिया जाता। जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं और घर बनाने के लिए उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है उसके लिए हमारी सरकार/राजस्व विभाग ने एक नीति बनाई है। उनको घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में दो बिसवे और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिसवे जमीन देने का प्रावधान है। उसके लिए जिलाधीशों को अथोराइज्ड कर दिया गया है।

06.04.2016/1120/SS-AS/3

प्रश्न संख्याः 3240

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी है उसके अनुसार मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना 2011-12 से इस प्रदेश में लागू की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 2011-12 से लेकर आज तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने गांव लाभान्वित हुए? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या 10 लाख रुपये से जो मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दिये जाते हैं इस राशि को बढ़ाने का कोई विचार है?

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2016/1125/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3240 जारी----

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----

इसके साथ-साथ क्या माननीय मंत्री जी बताएंगें कि इन गांवों को चुनने की प्रक्रिया, जैसे इन्होंने लिखा है कि 40 प्रतिशत या 200 से अधिक ऐसी आबादी वाले गांव चुने जाते हैं लेकिन एक विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से गांव ऐसे होते हैं। उनमें से दो गांव किसके माध्यम से चुने जाते हैं और क्या उसमें जनप्रतिनिधियों विशेषकर विधायकों की भी कोई सहभागिता रहती है? यदि नहीं रहती है तो क्या भविष्य में जब इसको चुना जाएगा तो उस समय विधायकों की भूमिका सुनिश्चित करेंगें?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि जब से यह योजना लागू हुई है, उसमें अभी तक कितने गांव लाभान्वित हुए हैं? जैसे माननीय सदस्य ने स्वयं ही बताया ही बताया है कि दो गांव एक विधान सभा क्षेत्र के चयनित किए जाते हैं और उन दो गांव का आधार होता है कि वहां या तो 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो या 200 या इससे अधिक उस गांव की जनसंख्या हो। इस आधार पर इस प्रकार के गांव जिसका समुचित विकास करना, उसे एक आदर्श गांव की तरफ ले जाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। आदर्श गांव का मतलब है कि उसमें अगर आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, उसमें बिजली, पानी या दूसरी किस्म की कोई समस्याएं हैं, जो मूलभूत रूप से देखी जाती है और सबसे बड़ी बात इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उसमें समरसता हो। उस गांव में जहां बी.पी.एल. परिवारों को दूसरों के बराबर लाया जाए और वहां पर आपस में किसी प्रकार का भेदभाव हो, उसे दूर किया जाए। वहां अगर शिक्षा की कमी है तो उस ओर ध्यान दिया जाए और इस प्रकार से एक समग्र विकास की ओर हम उस गांव को ले जाएं जिसमें कि सब कुछ हों, खेल-कूद हों,बच्चों के लिए दूसरी गतिविधियां हो। कहने का मतलब यह है कि आदर्श गांव की भूमिका में वह फिट हो। इस प्रकार का उद्देश्य मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना का है। इसके

अलावा 2014 के बाद आपने देखा होगा प्रधान मन्त्री आदर्श ग्राम योजना भी आरम्भ हुई है। मैं माननीय सदन के सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि लगभग 9 गांव ऐसे हैं जो हमारी इस योजना में आते हैं और 59 दूसरे गांव ऐसे हैं जो इस वक्त इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में भी कवर होते जा रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा कि इसमें किस प्रकार का धन आबंटन हुआ है, यदि सदन का समय ज्यादा न लगे तो वह मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूं परन्तु यह बात सही है जैसा आपने पूछा कि क्या इसमें सदस्यों को भी पूछा जाता है, क्या इसमें उनकी प्रतिभागिता भी है? मेरा मानना है कि क्यों नहीं, यह तो आपका डी.आर.डी.ए. का प्रोजैक्ट ऑफिसर और बी.डी.ओ. are responsible to carry out this. Basically to ensure the gap filling, कोई केन्द्र की योजना में काम कम हो गया, उसको आपने पूरा करना है या प्रदेश की योजना जो चल रही है इनके बीच में जो मुख्य काम इसका होता है वह गैप फिलिंग होता है। I do agree with you that there should be a full concentration of the elected Member and why not? मैं माननीय सदन की सूचनार्थ बता देता हूं कि इसमें अभी तक बिलासपुर में 4 करोड़ 6 लाख 40 हजार, चम्बा में, 4 करोड़ 6 लाख 40 हजार, हमीरपुर में 5 करोड़ 8 लाख, कांगड़ा में 15 करोड़ 84 लाख , कुल्लू में 3 करोड़ 46 लाख 40 हजार, मण्डी में 10करोड़ 16 लाख, शिमला में 7 करोड़ 11 लाख 20 हजार, सोलन में 1 करोड़ 1 लाख 60 हजार, सिरमौर में एक करोड़ एक लाख 60 हजार, ऊना में 5 करोड़ 08 लाख और इस प्रकार से इसका सारा योग 58 करोड़ 81 लाख 60 हजार आता है। मैंने स्वयं देखा है कि शायद इसकी इम्पलीमेंटेशन में कुछ इतना ध्यान न रहा हो। मैं तो चाहूंगा कि चुने हुए प्रतिनिधि भी इसका अन्वेषण करें, इसका अनुश्रवण करें और इसे और योजनाओं की तरह बड़े नज़दीक से देखें कि किस प्रकार से यह धन आबंटित किया जा सकता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2016/1130/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3240------- क्रमागत

श्री विजय अग्निहोत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप पी0ओ0 (डी0आर0डी0ए0) या बी0डी0ओ0 जो इसको इम्पलीमैंट करता है उनको आदेश करेंगे कि वहां के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लें और पूछे। इसके साथ-साथ एक और बात पूछना चाहता हूं कि जब शेड्यूल कास्ट सब प्लान में क्राइटीरिया 40 प्रतिशत तथा 90 या 90 से अधिक अनुसूचित जाति के लोग हों, उसको उसमें लिया जाता है तो इसमें 200 रखा है। क्या सरकार बराबर करने के लिए इसको भी 90 से 200 करने बारे विचार रखती है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो नार्म्ज रखे गये हैं कि 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 200 की जनसंख्या है। यदि माननीय सदस्य इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो सरकार इस पर विचार करेगी।

6.4.2016/1130/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 3241

श्री यादविन्द्र गोमा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि जयसिंहपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 प्राथमिक और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी के पास विभाग द्वारा दिए गए नामों की सूची उपलब्ध है? यहां पर जो 96 पद सृजित किए गए हैं जिनमें से 40 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारी 2-3 पी0एच0सीज0 ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और वहां पर डेपुटेशन के माध्यम से डॉक्टर जाते हैं। अभी पीछे भर्ती हुई थी तो उस समय कुछ डॉक्टर्ज दिए भी थे मगर उनमें से कुछ डॉक्टर पी0जी0 के लिए सिलैक्ट हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा? प्रश्न के 'ग' भाग के उत्तर में इन्होंने यह कहा है कि 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी भूमि पर है। मैंने पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया था और मेरी जानकारी के अनुसार प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र लम्बा गांव की भूमि आज तक स्वास्थ्य विभाग ने अपने नाम नहीं की है। मैंने इस बारे में पिछली बार भी मुद्दा उठाया था और आपने इसी सदन में इसके लिए आश्वासन दिया था कि जल्दी ही औपचारिकताएं पूरी करके इस भूमि को विभाग के नाम स्थानांतरित किया जायेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात की है, सी0एच0सी0 का तो मुझे पता नहीं है, एक इनका लम्बा गांव है। इनके जयसिंहपुर सी0एच0सी0 को सिविल होस्पिटल बना दिया गया है। उसकी नोटिफिकेशन तथा स्टाफ की सैंक्शन हो गई है। इनकी एक पी0एच0सी0 लम्बा गांव, पी0एच0सी0 जालग, पी0एच0सी0 भेरी, पी0एच0सी0 तिनवर और पी0एच0सी0 मलोग है। हालांकि पी0एच0सी0 मलोग तिनवर से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सी0एच0सी0 खैरा के बारे में मुझे भी डाउट है

6.4.2016/1130/av/dc/3

कि यह इनके निर्वाचन क्षेत्र में है या सुलह में है। पी0एच0सी0जैंड है। पी0एच0सी0 पंचरुखी है। पी0एच0सी0 मझेरा है और पी0एच0सी0 रोपड़ी इनके चुनाव क्षेत्र में है। इनके चुनाव क्षेत्र में डॉक्टर्ज की पोजिशन फिर भी बेहतर है मगर कुछ दूसरी नॉन फंक्शनल पोस्टें ज्यादा खाली है मगर उसके लिए भी प्रयास किए जायेंगे। लेकिन अभी पीछे जो इनके निर्वाचन क्षेत्र में नई पी0एच0सी0 सैंक्शन हुई है उसमें अभी तक पोस्टें सैंक्शन नहीं हुई है क्योंकि process of consolidation has started. इसलिए जो नई पी0एच0सीज0 खुल रही हैं तो they can wait for some time. जो पुरानी पी0एच0सीज0 हैं उनमें हम स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर लगा रहे हैं।

श्री यादविन्द्र गोमा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो खेरा का डाउट बताया है यह पहले सुलह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में था। लेकिन पुनर्सीमांकन के बाद जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में आया है। मैंने इसके बारे में प्लानिंग की मीटिंग में भी बात उठाई थी। इसको सी0एच0सी0 का दर्जा तो दे दिया है लेकिन यह पी0एच0सी0 की बिल्डिंग में ही

कार्यरत्त है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा दी जायेगी ताकि इसको सी0एच0सी0 लैवल का दर्जा दिया जाए।

टीसी द्वारा जारी

06.04.2016/1135/TCV/DC/1
प्रश्न संख्याः 3241-क्रमागत
श्री यादविन्द्र गोमा--- जारी ।

दूसरा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य केन्द्र, रोपड़ी पंचायत भवन में कार्यरत है और इसके निर्माण हेतु भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो आपके विभाग ने रोपड़ी में PHC बनाने के लिए भूमि चयनित की है, वह मैन रोड से लगभग 3 किलोमीटर नीचे जंगल में है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप विभाग के अधिकारियों को आदेश दें कि मैन रोड के ऊपर सरकारी भूमि काफी है और अगर इसके लिए कोई प्राईवेट लैंड भी चाहिए होगी तो भी मैं उनकी मद्द करूंगा लेकिन जो जंगल के बीच में PHC खोली जा रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उसका लोगों को कोई लाभ होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप विभाग को आदेश जारी करें कि मैन रोड पर PHC खोली जाए ताकि वहां के लोगों को सुविधा अच्छे तरीके से मिल सकें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोपड़ी आजकल पंचायत भवन में चल रहा है बाकी सभी स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में चल रहे हैं। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है लेकिन जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह उस क्षेत्र से दूर है और सड़क से भी दूर है अगर माननीय सदस्य भूमि सड़क के नजदीक उपलब्ध करवा देंगे तो निश्चित तौर पर विभाग जल्दी से जल्दी उसको वहां पर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जहां खैरा की बात है, खैरा इनके चुनाव क्षेत्र में ही है, यहां डॉक्टरों के 4 पद स्वीकृत है जिनमें से 3 डॉक्टर लगे हुए हैं और एक पोस्ट खाली है। PHC की बिल्डिंग भी काफी बड़ी होती है और वह वहां पर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन CHC के लिए हम और प्रावधान करेंगे। यह जगह और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे।

06.04.2016/1135/TCV/DC/2

प्रश्न संख्याः 3242

श्री विक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के विषय में पूछा है और इसमें इन्होंने बताया है कि 16.4.2012 को मु0 8.5 करोड़ रूपया इसके लिए मंजूर हो गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट हेतु जो भूमि हस्तांतरित हो चुकी है वह कब हुई है? दूसरा, आपने जो अंतिम भाग में लिखा है कि योजना के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जिसकी टैक्निकल बीड की जांच की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2012 में इसके लिए मु0 8.5 करोड़ रूपया मंजूर हो गया था और अब 2016 चल पड़ा है, इस कार्य के शुरू न होने के क्या कारण है और इसके टैंडर आपने कब लगाए हैं? इसकी टैक्निकल बीड कब तक खुलेगी, उसकी कोई डेट निर्धारित की गई है और इसके अलावा क्या फाईनेंशियल बीड की भी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न था उसमें 'क' भाग में "जी हां" और योजनाओं के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जिनकी टैक्निकल बीड की जांच जारी है। अगर आपको इसमें कोई कमियां दिखती है तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूं। मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूं। The A/A & E/S for construction of sewerage scheme of Mata Chintpurni Ji Town, District Una (H.P) stands accorded vide Chief Commissioner (Temple) cum Principal Secretary (Language, Art and Culture) letter dated 16-04-2012 for Rs. 850.00 lakh only. The working estimate was sanctioned vide Chief Engineer (H/Z) IPH department Hamirpur letter dated 18-04-2015 for Rs.13.21 lakhs only. The DNIT was also approved vide Chief Engineer (H/Z) office letter dated 01-07-2015 amounting to Rs. 986.78 lakh only. The area has been divided into (---interruption---). I am giving you the whole detail. Excuse Me.

श्रीमती एन0एस0 --- द्वारा जारी ।

06/04/2016/1140/AG/ NS/1

Question No. 3242 Continues . . .

Irrigation & Public Health Minister Continues . .

Please excuse me. If you want the whole note then I will give you the whole note.

श्री बिक्रम सिंह : आप से जो हमने पर्टिकुलर बात पूछी है, आप उसी को ही बताईए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : हम आपको उसी बात को बता रहे हैं । आप बैठिए तो। आप शान्ति रखिए। हम आपको ज़ोन-1, ज़ोन-2 और ज़ोन-3 सबकी डिटेल दे रहे हैं। आपको तसल्ली देने के लिए कहा था हम पूरी ताकत में दे रहे हैं। ज़ोन-1 में 0.70 एमएलडी कैपेस्टि है। ज़ोन-2 में 2.19 एमएलडी कैपेस्टि है। ज़ोन-3 में भी 2.49 एमएलडी कैपेस्टिज़ है। The e-tender was called by the Executive Engineer, IPH Division No. II, Una letter dated 03.08.2015 which was opened on 28.08.2015 but no bidder participated in this tender. Remember that.

The tender was re-called vide EE letter dated 01.09.2015 which was opened on 02.10.2015. Only single bidder M/s Yogi Construction Company, Ahmedabad (Gujarat) participated. There are companies who are coming.

The tender (technical bid) was cancelled and tender was re-called for third time vide Executive Engineer, IPH Division No. II, Una office letter dated 28.11.2015 which was opened on 21.12.2015. It was found that again only single bidder viz. M/s Jai Bhushan Malik Sunder Nagar, Patiala, Punjab had participated in the tender. He has participated. He is the only one who has participated.

The meeting of the committee to scrutinize the technical bid was called on 03.02.2016 in CE Hamirpur Zone wherein the representative of the firm was also present.

06/04/2016/1140/AG/ NS/2

As per decision of the committee, the financial bid was opened by the Executive Engineer, IPH Division No. II, Una on 05.02.2016, the same is under process for approval.

Now, you can understand the whole thing. The total capacities of STPs of three zones were 2.45 MLD whereas now it has been worked out to be 5.07 MLD.

Due to shifting of site for construction of STPs for Zone I and Zone III due to certain objections from local public from the already indentified sites in AA & ES estimate which resulted increase in length of main sewer lines.

Due to increase in wages of labourers, cost of material etc. As revised estimate has been prepared on the analysis based on the prevailing rates.

Due to change in the classification of soil as no provision was made in the AA & ES estimate for chiselling work which has now been taken as 20 per cent in soft rock.

Hence, the revised estimate has also been prepared for amounting to Rs. 1602.00 lacs and submitted to Deputy Commissioner, Una vide Superintending Engineer, I&PH Circle, Una letter dated 08.07.2015 for obtaining the revised AA & ES. These are the things which I am trying to tell to you. यह पूरी डिटेल आपको दे दी है, जो आप चाहते हैं, उससे तसल्ली होती है। हमने तो यह कह दिया है कि योजना के निर्माण हेतु सरकार टैंडर कर चुकी है।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय मंत्री महोदया, आप से जितनी बात पूछी है, आप उतनी बात बताईए। यह ज़मीन कब ट्रांसफर हुई है और इसकी डेट कौन-सी है? आप बस इतना बता दीजिए। आपने जी हां लिखा है।

06/04/2016/1140/AG/ NS/3

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप date of transfer of land के बारे में बताएं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अब यह हो गया तो आपको उसकी ही बात तो बता रहे हैं । लैंड तो ट्रांसफर हुई है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेट भी बताई है। आप उसको देखना चाहते है। You take your page. आप पूरा पेज़ ले लीजिए। आपको पूरा पेज़ देंगे । आपको तसल्ली हो जाएगी।

06/04/2016/1140/AG/ NS/4

प्रश्न संख्याः 3243

श्री राम कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो हमारी पंचायतों के छोटे-छोटे रोडज़ हैं, जिनमें एक हैक्टेयर या इससे नीचे की भूमि शामिल है। क्या उनकी एन.ओ.सी. के लिए, फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए संबंधित डी.एफ.ओज़ को पॉवर्ज़ दी जाएंगी?

वन मंत्री श्री आर.के.एस.द्वारा जारी।

06/04/2016/1145/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3243...जारी

वन मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि 1 हैक्टेयर की पावर और डी.एफ.ओ. की समायित किस-किस चीज के लिए है? स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय, बिजली तथा संचार लाइन, पीने के पानी, वर्षा के पानी का संरक्षण, छोटी

नहर सिंचाई परियोजनाएं, गैर-पारम्परिक ऊर्जा के साधनों की क्षमता बढ़ाने, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पावर सब-स्टेशन, संचार, चौकियां, सड़कों का बनाना तथा चौड़ा करना जिसमें वे सम्पर्क मार्ग भी शामिल हैं जो सड़क के किनारे स्थित हैं व मेन रोड़ से लिंक करते हैं। सीमा सड़क संगठन(बी.आर.ओ.) के द्वारा बने हुए पुलों को चौड़ा करना बढ़ाना या उन्नत करना पुलिस से संबंधित जैसे कि पुलिस स्टेशन आऊट पोस्ट, वार्डन आऊट पोस्ट संवेदनशील क्षेत्रों में वाच टावर के लिए हो। यह प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किए जा सकते हैंः-

1. जिसमें प्रति हैक्टेयर 50 से ज्यादा पेड़ों का कटान न किया जाना हो।
2. यह प्रत्यार्पण सरकारी विभागों के पक्ष में हो।

यहां पर यह बताना भी उचित होगा कि फोरैस्ट राइटस एक्ट 2006 में धारा 3(2) के तहत भी शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों हेतु वन भूमि उपलब्ध करवाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। उपरोक्तअधिनियम की धारा 3(2) के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित 13 सुविधाओं के लिए 1 हैक्टेयर तक की वन भूमि जिसमें 75 पेड़ों से अधिक कटान शामिल न हो प्रत्यावर्तित की जा सकती है।
विद्यालय, औषधालय या अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित मुल्य की दुकानें, विद्युत और दूरसंचार लाइनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल सरंचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपरंपारिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें व सामुदायिक केन्द्र। इसकी दो मुख्य शर्तें हैं।

1. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि 1 हैक्टेयर से कम हो।
2. ग्राम सभा द्वारा इसकी सिफारिश की गई हो।

06/04/2016/1145/RKS/AG/2

इस प्रकार के सभी मामलों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु संबंधित वन मंडलाधिकारी को उपरोक्त अधिनियम के तहत भारत सरकार के जनजातीय विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अभी हाल ही में 1 हैक्टेयर सैंक्शन करने के लिए डी.एफ. ओ. को पावर सरकार द्वारा दी गई है और इसमें अब डिले की कोई बात नहीं है। पहले भी एक प्रश्न के जवाब में

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि डिले किस वजह से होती है? एफ.आर.ए. का सर्टिफिकेट ग्राम सभा से आता है उसके बाद वह सर्टिफिकेट रेंजर के पास जाता है फिर डी.एफ.ओ. को जाता है। अगर वहां पर कोई ऑब्जैक्शन लगता है तो उसके बाद वह सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर को जाता है। Then the Deputy Commissioner or the DFO is the final authority. वे उसमें कार्रवाई करके डिस्पोज ऑफ कर देंगे उसके बाद उस पर कार्य शुरू हो सकता है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि 1 हैक्टेयर तक जो प्रदेश सरकार को पावर है यह 5 हैक्टेयर तक बढ़ाई जाए। इस बारे में हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद हम इस मामले को इम्पलिमेंट कर देंगे।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 1 हैक्टेयर की पावर जिसमें 75 पेड़ से कम की संख्या हो उसकी परमिशन की पावर एफ.सी.ए. के माध्यम से डी.एफ.ओ. को दे दी है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

06.04.2016/1150/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3243 ..जारी

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह पॉवर आपने कब दी? उपाध्यक्ष महोदय, जो वास्तवितकता है उसके अनुसार अभी तक फील्ड में इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। डी. एफ.ओ. साफ तौर पर कह रह हैं कि हमसे यह नहीं हो सकता। कारण यह है कि फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए जो फॉरमैलिटीज वाला पार्ट है, जिसका ज़िक्र आपने यहां पर बड़े विस्तार से किया, उस सारे प्रोसैस में चीजों को इतना घुमा दिया जाता है कि सालों-साल उसकी क्लीयरैंस में लग जाते हैं और कभी-कभी उसके बावजूद भी वह नहीं होती। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि डी.एफ.ओज. को पॉवर्ज़ देने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में अभी तक कितने स्थानों पर हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए या आंगनबाड़ी के लिए या

जो-जो भी कार्य आपने गिनवाएं हैं, जिन कार्यों के लिए यह परमीसिबल है, उन कार्यों के लिए डी.एफ.ओज. ने एक हैक्टेयर की परमिशन दी है?

वन मंत्री : आपने कन्सर्न जाहिर किया है और आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट ग्रामसभा से मिलेगा। जिस भी एजैंसी से आप काम करवाना चाहते हैं if there is PWD, if there is IPH Department or there is some other department, they will process the matter. उनको पता नहीं चलता है तो अधिकारी आपस में मिलकर बैठक कर सकते हैं जिसके लिए उनको डायरैक्शन्ज हैं। जब केस निचले स्तर से प्रोसैस होगा, तभी जाकर डी.एफ.ओ. सैंक्शन देगा अदरवाईज वह नहीं दे सकता। अगर विभागीय अधिकारियों की समझ में नहीं आता तो वह उनके पास जाकर मीटिंग करें और उनसे कंसल्ट करें। अभी सोमवार को हमारे PCCF and Secretary (Forest) ने एक मीटिंग करके टेलीविजन के माध्यम से भी बात कही है और निर्देश भी जारी किए हैं कि अगर आपको पता नहीं चल पा रहा या विभाग को पता नहीं चल रहा तो इसके लिए

06.04.2016/1150/SLS-DC-2

आप डी.एफ.ओज. से मीटिंग करिए। इसमें चाहे लोक निर्माण विभाग है, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य है, वन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है; जो भी विभाग है उनसे मीटिंग करके उनको गाईड कीजिए कि इस ढंग से आप केस बनाकर लाएं तभी आगे कार्रवाई होगी। डी.एफ.ओ. के पास जब केस ही नहीं आएगा तो वह कैसे करेगा? सरकार के पास जब केस ही नहीं आएगा तो वह कैसे करेंगे? इसलिए केस नीचे से ही प्रोसैस होगा। इसमें हम सब लोगों का योगदान भी ज़रूरी है। जो विधायक या मंत्री हैं उनको अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं अधिकारियों के साथ मिलकर परस्यु करना पड़ेगा कि अगर आपकी यह समस्या है तो you have to go accordingly. आप उसको कानून के अनुसार प्रोसैस करवाकर भेजिए।

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने भी एफ.सी.ए. केसिज विभिन्न विभागों के पास पड़े हुए हैं क्या सरकार उन विभागों को आदेश देगी कि एक हैक्टेयर की जो एफ.सी.ए. क्लीयरैंस है; वह

चाहे सड़कों की है, भवनों की है, ऐसे जितने केसिज एम.एल.ए. प्रॉयरिटी के या दूसरे पड़े हुए हैं, क्या ऐसे आदेश करेंगे कि वह सारे केसिज फोरैस्ट विभाग को निगरानी के लिए भेजे जाएं? दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह एक हैक्टेयर का क्षेत्र आपने लिया है, इसमें आपने जो दरख्तों की सीमा रखी है, इस सीमा में अगर दरख्त न हों, झाडियां ही हों, अगर वह 50, 75 या 100 से ज्यादा झाड़ियां निकलें तो क्या विभाग उस मामले में छूट देगा?

वन मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाई रिखी राम कौंडल जी तो हमारे साथी रहे हैं और विधान सभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं।...(व्यवधान)... मैंने जो कानून के प्रावधान बताए, मैं उनके अनुसार वन विभाग को तो निर्देश दे सकता हूं और मैंने उनको निर्देश दिए भी हैं कि there should not be any delay. लेकिन बाकी निर्देश हमारे संबंधित विभागीय मंत्री देंगे या माननीय मुख्य मंत्री जी सब विभागों को निर्देश देंगे, तब जाकर वह बात बनेगी।

जारी ...गर्ग जी

06/04/2016/1155/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3243---क्रमागत

वन मंत्री----क्रमागत

और इसमें आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो यह कैसे होगा? प्रोसैस तो आपको भी मिलकर करना पड़ेगा।

श्री रिखी राम कौंडल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सरकार से निवेदन किया है और सरकार को मुख्य मंत्री जी चला रहे हैं, तो क्या जिन-जिन विभागों के पास ये लम्बित मामले पड़े हुए हैं ये उन विभागों को आदेश देंगे? माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि हमारी सड़कों का जो काम रुका हुआ है वह सारा काम सुचारू रूप से चले।

वन मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले से ही आदेश किए हुए हैं। and again I will request the Hon'ble Chief Minister that he should give direction to every department and it should be implemented.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वन विभाग की भूमि पर वन एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के बिना और टॉऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग की एन.ओ.सी. के बिना भी किसी पार्किंग इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है?

Deputy Speaker: Hon'ble Member this question is not related with the original Question. This is regarding FCA.

06/04/2016/1155/RG/AS/2

प्रश्न सं. 3244

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें कहा गया है 'Yes, Sir. The target for the year 2015-16, has now been reduced by the Govt. of India with the reason that Govt. of India has reduced funds allocation under NRDWP for the current financial year'.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं आंशिक रूप से तो इस उत्तर से सहमत हूं। लेकिन भारत सरकार योजना की संख्या में कभी कमी नहीं करती। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बजट का यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट न जाए, तो फिर अगले वर्ष में भारत सरकार बजट में कटौती लगाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो पिछले वर्ष 2015-16 की स्कीम्ज छूट गई हैं क्या विभाग को ये ऐसे निर्देश देंगी कि इस बैकलॉग की स्कीम्ज करेंट बजट से पहले पूरी करे, फिर अगली योजनाओं को क्रियान्वित करे और ऐसे निर्देश दें कि समय रहते यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कट न लगे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जो पहले हमारे प्रयत्न थे वे अब नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे Efforts will be made to cover the reaming partially covered habitants during 2016-2017. We will try and do that.

06/04/2016/1155/RG/AS/3

प्रश्न सं. 3245

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो यह 56.20 करोड़ रुपये की कुल लागत इस ब्लॉक की रखी है इसमें अभी तक कितना काम हुआ है और कितना फण्ड ऐग्जीक्यूटिंग एजेन्सीज को रिलीज कर दिया गया है? क्या आपने इसमें पार्किंग के लिए प्रावधान रखा है या नहीं? इसके अतिरिक्त जब यह इतना बड़ा ओ.पी.डी. ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएगा, तो क्या अस्पताल में बैड्ज की संख्या बढ़ेगी और यदि बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी?

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, till today we have released an amount of Rs. 15,78,65,021/- which stand conveyed to IGMC. The HPPWD is doing its best. They have already started the construction of the building. We have given them the target that this OPD Block must be completed by April, 2017. Since the Hon'ble Chief Minister has laid the foundation stone of this Block. This is only an OPD Block. We are also constructing another building for bed strength. One Administrative Block building

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2016/1200/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3245 क्रमागत---
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----
will also be constructed in IGMC amounting to rupees 20 crores.

प्रश्नकाल समाप्त

06/04/2016/1200/MS/DC/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपाध्यक्षः अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। डॉ0 राजीव बिन्दल जी अनुपस्थित हैं।

अब अगला प्रस्ताव श्री सतपाल सिंह सत्ती जी का है। अब नियम-62 के अंतर्गत श्री सतपाल सिंह सत्ती अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सहकारिता मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अंतर्गत "जिला ऊना के अन्तर्गत अम्ब में स्थित 'दि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक', से 19.50 करोड़ रूपये के ऋण घोटाले" से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, दि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रदेश सरकार का एक अग्रणी बैंक है। इस बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को घर-द्वार तक बहुत सी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का पैसा इस बैंक में जमा है और समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को आगे बढ़ाने के लिए इस बैंक के माध्यम से अनेकों उद्योगपतियों को या अन्य जरूरतमंद लोगों को ऋण दिया जाता है। लेकिन आजकल देखने में आया है कि इस बैंक में अनेकों स्थानों पर बिना किसी जांच-पड़ताल के बहुत बड़ा ऋण ऐसे 420 किस्म के लोगों के लिए मंजूर किया जा रहा है जो ऑलरेडी अनेकों स्थानों पर दोषी साबित हो चुके हैं। ऐसे लोग जिनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 लॉज हो चुकी है या उनके विरूद्ध सी0बी0आई0 इन्क्वायरी या अन्य प्रदेशों में वहां की सरकारों के माध्यम से एफ0आई0आर0 दर्ज़ हो चुकी है तथा वे अरैस्ट हो चुके हैं, को लोन दिया जा रहा है। ऐसा एक मामला मेरे ध्यान में आया है। उपाध्यक्ष जी, पंजाब के फगवाड़ा से एक बिक्रम सेठ नाम के व्यक्ति के ऊपर पंजाब के फगवाड़ा में सी0बी0आई0 जांच चल रही है और पंजाब

पुलिस के माध्यम से वह व्यक्ति अरैस्ट हो चुका है और उसके पूरे परिवार के ऊपर फर्जीवाड़ा करने का केस चला हुआ है। पंजाब के

06/04/2016/1200/MS/DC/3

फगवाड़ा में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उस बैंक में उन्होंने अनेकों माध्यम से लोन लिए और जब मीडिया के बीच यह विषय आया तो उस समय उनके विरूद्ध वर्ष 2013 में एफ0आई0आर0 लॉज हुई। उस एफ0आई0आर0 के माध्यम से उनको अरैस्ट किया गया और सी0बी0आई0 अभी भी उनकी इन्क्वायरी कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 18 खाते उनके सील किए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, फगवाड़ा ने उन 18 खातों को फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की यह सूची है जिसमें उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन उन्हीं जमीनों के ऊपर लिया हुआ है जो जमीनें वे हमारे कांगड़ा बैंक को लगाकर गए हैं और यहां पर भी लोन को एप्लाई किया। उनके पूरे परिवार के जो जमीन के कागजात हैं जिनके माध्यम से वे समय-समय पर गलत कागज देकर पैसा लेते हैं, जिसमें बिक्रम सेठ, उनकी पत्नी सुनीता सेठ, सूरज सेठ है, बीना हांडा और जितने भी उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, वह सारा मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं उनके ये सारे पेपर्ज इस मान्य सदन के अन्दर ले (lay) कर दूंगा जिसमें अनेकों एफ0आई0आर0 जो उनके विरूद्ध पंजाब में दर्ज़ हुई हैं, उनकी प्रतियां तथा जो बैंक ऑफ बड़ौदा, फगवाड़ा ने उनके 18 खाते सील किए हैं जिसमें बैंक ने उनको 420 के अंतर्गत फ्रॉड डिक्लेयर किया है और अनेकों धाराएं जो उनके ऊपर लगी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में आकर भी उनके परिवार के सदस्यों ने एक कम्पनी बनाई जिसका नाम यू आर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

06.04.2016/1205/जेएस/डीसी/1

श्री सतपाल सिंह सत्तीः------जारी------

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा बैंक से लोन अप्लाई किया और उस एप्लिकेशन के ऊपर हमारे कांगड़ा बैंक ने 19 करोड़ 50 लाख रूपए का लोन उनको मंजूर कर दिया। उसमें से कुछ लोन उन्होंने लिया भी है लगभग डेढ़ करोड़ रूपए का लोन उनको डेढ़-दो महीने पहले मिल भी चुका है। उसके बाद से ही शायद उन्होंने इसमें से पैसा निकाला होगा। मेरा सरकार के ध्यान में और माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह विषय लाने का मकसद यह है कि क्या हम उस व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड चैक करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमसे लोन मांगता है और इतना बड़ा लोन मांगता है। इस व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नैट के ऊपर इसकी लिस्ट डाली हुई है कि इसको उन्होंने 420 के केस में, और उस पर अनेकों केस लगे हैं और सारे के सारे केस डाले हैं। जो वह बार-बार एक ही जमीन को जगह-जगह पर देते हैं उस जमीन के कागज़ात भी डाले और जहां तक मेरी जानकारी है वह जमीन 5-6 करोड़ रूपए से ज्यादा की जमीन नहीं है, जिसके कागज वह खसरा नम्बर चेंज करके या अन्य मुसाबी चेंज करके अनेकों चीजें चेंज करके जितनी चारसौबीसी एक व्यक्ति कर सकता है, करके वे एप्लाई करते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि इस तरह के फ्रॉड व्यक्ति को हम लोन क्यों दे रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उसको बाकी लोन की किश्तें देने के लिए बार-बार बड़े दफ्तरों से फोन जा रहे हैं। बड़े अधिकारी जो उस बैंक के हैं वे बेचारे डर रहे हैं क्योंकि अलटिमेटली गाज तो उनके ऊपर गिरनी है। जो आज कोई चेयरमैन होंगे, वाईस चेयरमैन होंगे या डॉयरैक्टर्ज़ होंगे जो उनका सहयोग कर रहे हैं वे व्यक्ति तो कहीं भी किसी भी दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके कहीं पर साईन नहीं होंगे तो उसके नाते कहीं हमारे प्रदेश का भी 19 करोड़ 50 लाख रूपया वह व्यक्ति खा न जाए। उस दृष्टि से प्रदेश सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब कागज़ात दिए गए तो क्या उसकी इन्क्वायरी की या नहीं की? उसकी जमीन

के मैं कागज मंत्री महोदय को व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। उस जमीन की वैल्यू कितनी है, लोन किस आधार पर देते हैं और गरीब व्यक्ति जब लोन लेने जाता है तो उसको जब एक लाख लोन लेना हो तो उसकी 10 लाख रूपए की प्रॉपर्टी हम मॉडगेज कर लेते हैं यानि उसकी 10 लाख प्रॉपर्टी की हम गारंटी ले लेते हैं। अनेकों ग्रांटर हमें चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसा फ्रॉड व्यक्ति जिसका पंजाब की अखबारों में प्रतिदिन अनेकों अखबारों में समय-समय पर उसकी गिरफ्तारियां हुई, समय-समय पर उसने नाम बदल कर फर्मे बनाईं। उन 18 फर्मों का भी है । मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों को लोन देने में कमिशन खाया जा रहा है जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बड़े स्तर पर लोन में कमिशन खाई जा रही है। ऐसे अनेकों लोगों की जब बात की गई फोन के माध्यम से किसी ने उनको पंजाब से भी बताया कि हिमाचल प्रदेश तो बहुत शांत प्रदेश है, ईमानदार प्रदेश है और अच्छा प्रदेश है लेकिन हमारे साथ इसने ऐसा धोखा किया हुआ है तो उसके बावजूद भी उसको आप लोन दे रहे हैं? उन लोगों को भी धमकाया गया। उनकी केसैट्स मैं आपको सुना दूंगा अगर मंत्री महोदय सुनना चाहेंगे कि किसने धमकाया है कि आप अपना पंजाब का देखिए हम हिमाचल का देखेंगे? यानि कोई इन्फोर्मेशन दे रहा हो तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए हमें इन्फोर्मेशन देने वाले को मारना नहीं चाहिए। वे व्यक्ति खुद तंग हैं। उनका कहना यह है कि हम तो लुट गए हैं लेकिन आप के यह बैंक के पैसे हैं, गरीब लोगों के पैसे हैं इस व्यक्ति को आप क्यों दे रहे हैं? वह यहां भी कोई फेक्टरी नहीं लगाएगा और पैसे खा कर चला जाएगा। यह इस व्यक्ति का धंधा है। यह व्यक्ति समय-समय पर ऐसे पैसे लेता है और उसने यहां तक किया हुआ है कि लोगों ने पंजाब में एफेडेविट दिए हुए हैं ज्युडिशियल पेपर्ज़ के ऊपर जो इसने हमारी जमीनें ले करके दी है ये जमीनें हमारी हैं। ऐसे एफेडेविट भी मैं उन लोगों के लाया हूं। उन्होंने फगवाड़ा बैंक को दिया है कि आपने लोन इनको दे दिया है लेकिन यह जमीन तो हमारी है और हमारे नाम से इसके कागज़ात है, उसके पेपर्ज़ भी मैं निकाल करके लाया हूं जो सारे के सारे मुझे पंजाब के लोगों ने दिए हैं। इसलिए मेरा

06.04.2016/1205/जेएस/डीसी/3

मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि इस फर्ज़ीवाड़े को रोकिए और इस बैंक की तरफ ध्यान दें क्योंकि यह बहुत अच्छा बैंक है। यह बैंक लोगों को सहुलियतें भी देता है और अनेकों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। चाहे हमारा स्टेट कॉप्रेटिव बैंक, शिमला है, चाहे कांगड़ा बैंक है और अन्य हमारे छोटे बैंक है। उनके माध्यम से बड़े दूर-दराज के गांवों तक जहां पहले नेशनेलाईज़ बैंक नहीं पहुंचे थे ये लोग सहायता देते रहे हैं लोगों को और गरीब व्यक्ति का बहुत बड़ा विश्वास है। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह के लोगों को हम लोन दे दें और प्रदेश में हाहाकार मच जाए और लोग इस बैंक से पैसे निकालकर कहीं और कर दें और हमारा बैंक ही फेल हो जाए इसलिए मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि वे स्वयं इस तरह के मुद्दों को देखें और कर्ण सिंह जी जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं वे स्वयं इसकी तरफ ध्यान दें और इस पर उचित कार्रवाई करें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

06.04.2016/1210/SS-AG/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती क्रमागतः

ताकि बाहर का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अपनी लूट का साम्राज्य स्थापित न कर सके और प्रदेश के लोगों का पैसा बच सके। इसके साथ-साथ इस व्यक्ति का जो हमने ऋण मंजूर किया है वह तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करके कैंसिल करें। अगर कुछ दिया हुआ भी है तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अधिकारी बेचारे डर रहे हैं कि उनके ऊपर गाज़ गिरेगी। आप उनका भी ध्यान रखें क्योंकि उनको यह सारा मजबूरी में देना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर कितना दबाव है आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उनके माध्यम से भी आप विषय उठाएं ताकि अगला पैसा तो रूक जाए। इसलिए आप इस सारे फर्जीवाड़े को उजागर करें और प्रदेश की जनता की गाढ़ी गमाई को बचाएं, धन्यवाद।

06.04.2016/1210/SS-AG/2

उपाध्यक्षः माननीय सहकारिता मंत्री इसका उत्तर देंगे।

सहकारिता मंत्रीः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाया है। अब नाम विक्रम सेठ है और सेठ के नाम से फॉरजरी करते हैं, उसका यह पूरा मामला है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले के बारे में, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने हमे सूचित किया है कि बैंक ने किसी भी उद्योगपति को व्यक्तिगत ऋण नहीं दिया है अपितु जो आपने कम्पनी का नाम लिया, U.R. Sinter नामक कम्पनी को ऋण दिया है जिसके वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक हैः-

1. श्री प्रदीप जम्बाल, हिमाचली
2. श्री संजय कुमार, गैर हिमाचली
3. श्री चेतन नेगी, गैर हिमाचली

बैंक के पास उद्योग लगाने के लिए 19.50 करोड रूपये का ऋण आवेदन फरवरी 2014 में आया, जिसे बैंक की लोन कमेटी के समक्ष रखा गया। उक्त कमेटी ने इस ऋण आवेदन को आंकलन के लिए NABARD को भेजने का निर्णय लिया। NABARD ने आंकलन करने के पश्चात इस ऋण को स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त पाया। NABARD द्वारा उपयुक्त पाए जाने के बाद लोन कमेटी ने उपरोक्त कम्पनी के पक्ष में Term Loan मु0 4.50 करोड रू0 और Working Capital के लिए मु0 15 करोड रू0 स्वीकृत किए। इसका अनुमोदन बैंक के निदेशक मण्डल ने भी किया है।

बैंक ने हमे यह भी सूचित किया है कि स्वीकृत किए गए ऋण के वितरण से पूर्व कम्पनी द्वारा इस ऋण के बदले बैंक को देय अचल सम्पतियों की जाँच शाखा प्रबन्धक अम्ब, सहायक महाप्रबन्धक अम्ब एवम् बैंक के पैनल में शामिल वकील द्वारा की गई। इन

अचल समंपतियों की कीमत मु0 16.61 करोड़ रूपये आंकी गई। कंम्पनी द्वारा लगाये जाने वाले Plant and Machinery की कीमत NABARD की

06.04.2016/1210/SS-AG/3

रिपोर्ट अनुसार मु0 5.06 करोड़ रूपये आंकी गई । इसके उपरान्त शाखा प्रबन्धक अम्ब ने मु0 1.88 करोड रूपये की पहली किस्त जारी कर दी। बैंक द्वारा पहली किस्त जारी करने के कुछ दिन पश्चात् विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कम्पनी के कुछ निदेशकों ने फगवाड़ा (पंजाब) के कुछ बैंकों के साथ ऋण धोखाधड़ी की है। मुख्य प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा ने यह सूचना दी कि सेठ समूह जिसमें श्री शिभम सेठ, श्रीमति सुनीता सेठ, अनीता सेठ, विक्रम सेठ और वीना हाण्डा ने 18 ऋण खातों के माध्यम से लगभग 20 करोड रूपये की धोखाधड़ी की है। इसके पश्चात् सहायक महाप्रन्धक अम्ब ने सूचित किया कि उपरोक्त कंम्पनी के निदेशकों ने स्टेट बैंक आफ पटियाला से भी ऋण लिया था जिसे बैंक द्वारा एन0पी0ए0 घोषित किया गया था।

बैंक द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त व्यक्तियों का, जो कि बैंक आफ बड़ौदा एवम् स्टेट बैंक आफ पटियाला के ऋण दोषी हैं, इस कम्पनी के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये व्यक्ति उपरोक्त कंम्पनी को दिए गए ऋण में जमानतदार हैं। इन्होंने अपनी 14 छोटी-2 अचल सम्पतियां बतौर Collateral Securities कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक को दे रखी है ।

इसके अतिरिक्त बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जिस भूमि पर उद्योग स्थापित किया जा रहा है वह कम्पनी के निदेशक श्री प्रदीप जम्बाल जोकि हिमाचली है, के नाम है तथा इस भूमि की पैमाइश 01-92-00 हेक्टयर है । यह भूमि बम्बलू तहसील अम्ब जिला ऊना में स्थित है। वर्तमान में कम्पनी का कोई भी निदेशक किसी भी बैंक अनियमितता में शामिल नहीं है। Term Loan जोकि मु0 4.50 करोड रूपये का है, उसमें से मु0 1.88 करोड ही वितरित किया गया है तथा शेष राशि वितरित की जानी है। Working Capital जोकि मु0 15.00 करोड रूपये स्वीकृत है, का वितरण ईकाई के सम्पूर्ण रूप से स्थापित व कार्यशील हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

कांगड़ा सहकारी बैंक द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि NABARD के मापदण्डों के अनुसार इस ऋण की NABARD से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसा आपने ध्यान में लाया है

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2016/1215/केएस/एजी/1

सहकारिता मंत्री जारी-----

कि इन पर फॉर्जरी केस बना, मैं भी समझता हूं कि जब यह ऋण दिया गया तो चैक तो करना चाहिए था कि ये क्लीयर लोग हैं या नहीं है? क्या ये एक ही जमीन को बार-बार दिखा कर उस पर ऋण तो नहीं ले रहे हैं? यह गम्भीर मामला है। धोखाधड़ी हुई है तो सरकार इस बारे चिन्तित है। बैंक वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का कोई दवाब नहीं है। We will take action और बैंकों से मैं कहूंगा कि बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्ज़ सारे मामले को पुनर्विचार करके मुख्य मंत्री जी के पास मामला पुटअप करें। We will take action. धोखाधड़ी अलाऊ नहीं होगी। कोई दवाब नहीं है॥ assure the Hon'ble Member of the House .

06.04.2016/1215/केएस/एजी/2

गैर सरकारी सदस्य कार्य- संकल्प

उपाध्यक्षः अब गैर सरकारी सदस्य कार्य शुरू होगा। आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। सर्वप्रथम पिछले सत्र में श्री रविन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी। इसके लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है इसलिए माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम 101 के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य दिवस के रूप में एक संकल्प आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प करता हूं कि "यह सदन

सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आप भी जानते हैं और यह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में एक ग्रामीण राज्य के रूप में जाना जाता है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। प्रकृति ने हमारे प्रदेश को बहुत कुछ दिया। इस प्रदेश में कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से भी ज्यादा नीचे चला जाता है और बीच की घाटी में यहां बारह महीने सुहावना मौसम रहता है लेकिन एक क्षेत्र हमारा ऐसा भी है जहां 50 डिग्री से ऊपर तापमान साल के विभिन्न समय में देखने को मिलता है। इस संकल्प के माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय व माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में जैसे विभिन्न स्कीमों, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आई.एम.एफ.या अन्य विश्व द्वारा प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से यहां विकास के काम करने का तरीका हो। वैसे ही प्रदेश में भी यहां पर विभिन्न विकास के कार्यों हेतु पंचायतों को जनता को सुदृढ़ करने के लिए, किसान-बागवानी हमारी सुदृढ़ हो, इसके लिए समय-समय पर विश्व बैंक या विदेशी सहायता से प्राप्त विभिन्न परियोजनाएं जो इस प्रदेश में चलती रही हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2016/1220/av/as/1

श्री रविन्द्र सिंह------ जारी

उसके अंतर्गत जहां हमारे किसानों / बागवानों को उसका लाभ प्राप्त हुआ है वहीं पर विकासात्मक कार्य करने के लिए हमारी जनसहभागिता को भी इसमें समय-समय पर सुनिश्चित करने का मौका मिला है। इस प्रदेश में चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं; उन विभिन्न योजनाओं को पंचायतों द्वारा स्वीकार किया जाता है और उनके माध्यम से काम किया जाता है। आपको कई जगह देखने को मिला होगा कि हमारे जो ऐसे प्रोजैक्ट आते हैं उनका शुभारम्भ बार-बार उन्हीं क्षेत्रों, पंचायतों तथा ब्लॉक्स में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 78 ब्लॉक्स हैं।

अभी जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए उससे पूर्व प्रदेश में 3243 पंचायतें थी और पुनर्सीमांकन के पश्चात उसमें से 17 पंचायतें कम हुई हैं। अब हमारे प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं। इससे पूर्व जब पंचायतें कम हुआ करती थी, जनसंख्या कम थी तो उस समय इस प्रदेश में कई प्रोजैक्ट आए। इंडो-जर्मन चंगर परियोजना जिला कांगड़ा के पालमपुर में जो हमारा पुराना सब डिविजन पड़ता है, उस क्षेत्र में आई थी। मैं उस समय राजनीति में नहीं था। मुझे याद आता है क्योंकि उस क्षेत्र में इस प्रोजैक्ट के माध्यम से किसानों / बागवानों को या हमारे दूसरे सम्बंधित विभागों जैसे इसमें वन विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग या सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग है। ये सारे विभाग मिलकर ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम करते हैं या इनके अधिकारी/कर्मचारी इन प्रोजैक्टों में डेपुटेशन पर वहां भेजे जाते हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए वे वहां पर काम करते हैं। लेकिन ऐसा बार-बार देखा गया कि कई प्रोजैक्ट आते गये और उन्हीं पंचायतों में इनको शुरू किया गया। इसमें चाहे हमारा वर्तमान में मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना है। यह जो इंडो-जर्मन चंगर प्रोजैक्ट पहले आया था फिर से उन्हीं पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों, ब्लॉक्स इत्यादि में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है कि उन क्षेत्रों में जो प्रोजैक्ट इससे पूर्व आ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक से या दूसरे विदेशी सहायता प्राप्त नये प्रोजैक्ट फिर से वहीं शुरू किए गए। इस मान्य सदन में प्रश्नों के जवाब आए हैं। माननीय सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी के निर्वाचन क्षेत्र में दो ब्लॉक्स द्रंग और चौंतड़ा पड़ते हैं। यह प्रश्न संख्या 3159 इस महीने की चार तारीख को लगा था। मैं इसमें पढ़ रहा था और जो मैंने कहा कि बार-बार प्रोजैक्टों को एक ही ब्लॉक या पंचायत में लागू करना, इसमें होता क्या

6.4.2016/1220/av/ag/2

है? आप एक पंचायत में देखें, मुझे तो देखकर बड़ा अचम्भा भी हुआ। मैं यहां सारे नाम नहीं पढ़ूगा और मुझे लगता है कि ठाकुर साहब का प्रश्न करने का तात्पर्य भी यही था। मध्य हिमालयन जलागम योजना के अंतर्गत गलु पंचायत, ब्लॉक चौंतड़ा में 26,21,441 रुपये खर्च कर दिए गए। वहीं इसी प्रोजैक्ट के माध्यम से एक ही समय में दलाह-द्रंग पंचायत में केवलमात्र 96,858 रुपये खर्च किए गए हैं। यह जो भेदभाव यहां पर देखने को मिला है इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है और मैं उसको मान सकता हूं। लेकिन एक पंचायत

में 26 लाख रुपये से ऊपर व्यय हो रहा है और दूसरी पंचायत में केवलमाल एक लाख रुपये की राशि खर्च की गई; यह अपने आप में यह दर्शाता है कि इस प्रोजैक्ट के माध्यम से काम कैसे किए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पूर्व में किसी प्रोजैक्ट के माध्यम से किसी पंचायत में काम हुए हो तो उसी पंचायत को नये प्रोजैक्ट के तहत दोबारा शामिल करने का क्या औचित्य है?

टीसी द्वारा जारी

06.04.2016/1225/TCV/AS/1

श्री रविन्द्र सिंह--- जारी ।

विभाग की जो एग्जिक्युटिंग एजेंसी होती है, उसको ऐसे प्रोजैक्टों को इम्प्लीमैंट करने से पहले सर्वे करने की आवश्यकता होती है, । इन प्रोजैक्टों को जब अमलीजामा पहनाया जाता है तो उसमें सुनिश्चित करें कि ऐसी कितनी पंचायतें है जो पहले ही ऐसे प्रोजैक्टों में शामिल हो चुकी है। उनको उन्हीं प्रोजैक्टों में फिर से शामिल करने का क्या कारण है? केवल मात्र उस पैसे को खाने पीने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन प्रोजैक्टों के माध्यम से क्या काम करना है वह यहां पर दर्शाया गया है, चाहे वह इंडो जर्मन चंगर प्रोजैक्ट, मध्यम हिमालय जलागम विकास परियोजना हो या अन्य जो भी प्रोजैक्ट आते हों। इसमें बताया गया है कि इसके अन्तर्गत क्या क्या काम करने है- भूमि विकास कार्यक्रम,उच्च मूल्य फसल प्रदर्शन, होम स्टैंड हॉर्टिकल्चर,उच्च पैदावार की किस्में, प्री एण्ड पोस्ट हार्वेस्टिंग,खेत में चारा विकास, चारा संरक्षण कार्यक्रम, पशु चिकित्सा उपचार शिविर, भेड़ बकरी पालकों को किट वितरण, आजीविका वर्धन के अन्तर्गत उप परियोजनाएं। ये काम इस परियोजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो 602 पंचायतें आपने पहले ली थी और 102 पंचायतें उसमें और शामिल की गई, कुल मिलाकर 704 पंचायतें इसमें ली गई है। क्या ये काम जो आपने यहां पर लिखे हैं, इन कार्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय द्वारा दिया हुआ जवाब मेरे पास है, यह मेरा प्रश्न संख्याः 3033, दिनांक 29.03.2016 को लगा था। इसमें मैंने पूछा था कि क्या और प्रोजैक्ट भी प्रदेश में इस तरह का आ रहा है? इसका

जवाब आया है - यह सत्य है कि प्रदेश में जर्मन सरकार के के0एफ0डब्ल्यू बैंक के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम, क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट वर्ष 2015-16 से लागू हो चुका है। यह परियोजना कांगड़ा एवं चम्बा जिलों में लागू की जा रही है व दोनों जिलों की 600 पंचायतें विभिन्न ग्राम समूह के अन्तर्गत इसमें शामिल की जाएगी जिनकी चयन प्रक्रिया चल रही है। इसके 'ख' भाग में जवाब दिया था कि इस परियोजना का मुख्यालय धर्मशाला में है। इसमें आगे जो लिखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं ये जो मैंने कहा पहले तो चयन यह करना चाहिए कि क्या जो 600 पंचायतें ली जा रही है और जो चम्बा की पंचायतें ली जा रही है इस समय भी आपने जो 102 पंचायतें मध्यम हिमालय जलागम विकास परियोजना में शामिल की है उन 102 पंचायतों में से जो शामिल हुई है, उन पंयायतों को इसके माध्यम से शामिल किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपके विधान सभा

06.04.2016/1225/TCV/AS/2

क्षेत्र में भी ऐसी पंचायतें होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां भी आज तक कोई प्रोजैक्ट नहीं आया है। बाकी अन्य मंत्री महोदय व विधायक बैठें हैं, इनके क्षेत्र में भी ऐसी पंचायतें होगी, वहां भी कोई प्रोजैक्ट आज तक नहीं आया है। मेरा यह प्रस्ताव लाने का उद्देश्य यह था कि जो पंचायतें/ब्लॉक आज तक किसी भी वर्ल्ड बैंक एडिड फंड या किसी भी विदेशी सहायता से वंचित रहे हैं, उन पंचायतों को जो आने वाला प्रोजैक्ट है और आपके माध्यम से आएगा, उनको प्राथमिकता दी जाए। इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वह जिस प्रकार मैंने कहा उस प्रकार से होनी चाहिए थी। जो पंचायतें छूटी हुई है उनको प्राथमिकता के तौर पर एक नम्बर पर रखते लेकिन यहां पर भी वही दिया है जो मैं पढ़ चुका हूं कि मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के माध्यम से उसके 'क' भाग में लिखा है कि निम्नीकृत यानी 'डी ग्रेडिड' वनों की अधिकता। एक तरफ मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि हमारी सफलता 85 परसेंट हो गई है। इसी के एक प्रश्न के जवाब में यहां पर दिया गया है कि इस प्रोजैक्ट के माध्यम से भी एक पंचायत में मु0 4.5 लाख रूपया पौधारोपण के लिए खर्च कर दिया गया। इसमें वन विभाग अलग से पैसा खर्च कर रहा है और प्रोजैक्ट अलग से पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसी धाधंली हो रही है, इसलिए हमने कहा कि उन पचायतों को प्राथमिकता दें जिन पंचायतों को अभी तक किसी प्रोजैक्ट के अन्तर्गत सहायता नहीं दी गई है। दूसरा,

आपने कहा कि जंगलों में लैंटाना की अधिकता, जिसको खत्म करना है। इसके अलावा जंगलों में आग की अधिकता, ये भी खत्म करनी होगी। संसाधन के बंटवारे में आपसी झगड़ों का अभाव, गरीबी अधिकता और वनों पर अधिक निर्भरता, परियोजनाओं की गतिविधियों में शामिल होने के लिए लोगों की सहमति, जंगलों पर आधारित आजीविका, लघु किसान, वर्षा पर आधारित कृषि, कम पैदावार एवं प्राकृतिक संसादनों पर निर्भरता।

श्रीमती एन0एस0 --- द्वारा जारी ।

06-04-2016/1230/NS/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह------जारी।

प्रश्न का जवाब जो यह सातवां नम्बर दिया गया है यह आपको एक नम्बर पर लाना चाहिए था, बाकि सारे इसके ऊपर नगण्य हैं। मैं यह मानता हूं जिस पर काम होना चाहिए था, वह तो आपने सातवें नम्बर पर रखा है। इस मान्य सदन में एक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ आपके माध्यम से यहां पर कहना चाहूंगा कि ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी इस मान्य सदन में श्री सुरेश कुमार (पच्छाद)जी का लगा था। मैं समय की आवश्यकता को समझते हुए इस प्रश्न को ज्यादा नहीं खींचूंगा। वहां पर भी ऐसी ही स्थिति पैदा की गई है। पच्छाद क्षेत्र में भी मध्य हिमालयन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यही हुआ है और आगे भी चयन ऐसी ही पंचायतों का होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं, आज यही खबर अखबार में लगी है, मुख्यमंत्री महोदय, यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन प्रोजैक्टों के माध्यम से हमने क्या काम करना है और प्राथमिकता कहां देनी है? निश्चित तौर पर यह सर्वेक्षण पूरे देश में हो रहा है। जो वर्ल्ड कलाईमेट चेंज आजकल हो रहा है, इन प्रोजैक्टों के माध्यम से होना यह चाहिये कि जंगलों में पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय मुझे अभी भी याद है कि जब हम वर्ष 1993-98 के बीच में पहली बार विधायक बनकर आए थे तो उस समय यहां के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री नारायण चंद पराशर जी हुआ करते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे उस समय ज़िला हमीरपुर को आमों का ज़िला घोषित करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजैक्ट लेकर आए थे। शायद आपको भी याद होगा। हमीरपुर को आमों का ज़िला बनाने के लिए बहुत बड़ी परियोजना शुरू की गई। एक

बार मैं अपने गांव से शिमला आ रहा था तो भोटा के पास गांव में एक मीटींग चली हुई थी, मैं भी वहां पर रूक गया। वहां पर कुछ लोग जाने पहचाने लगे। मैं वहां बैठकर देखने लगा कि कुछ बागवानी विभाग के कर्मचारी कई जिलों से आए हुए थे। उनकी संख्या 150 से 200 के बीच थी। वहां पर चर्चा हो रही थी कि इस जिला को आमों का जिला बनाया जाना है। आधे घंटें के कार्यक्रम के बाद जब वे लोग चलने लगे तो एक बुजुर्ग जो साईड में खड़े थे उनकी उम्र 80 या 85 वर्ष के लगभग होगी तो उन्होंने अपनी पहाड़ी भाषा में आवाज़ लगाई कि लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? मैंने उनको बताया कि इस जिला को आमों का जिला बनाने की सरकार ने घोषणा की है तो मार्गदर्शन करने के लिए अधिकारी शिमला से यहां पर आए हुए हैं। इस पर उस बुजुर्ग ने कहा कि मियो मिंझो ता पहले पूछी लैंदे, मेरी उम्र 82-83 साल

होई गई। उनका कहना था कि हम क्या बेवकूफ हैं कि हम यहां पर आम का पौधा पैदा नहीं कर पाए। उनका अनुभव यह बोल रहा था। मेरा यह कहना है कि यह उनके अनुभव ने कहा और आपने यह प्रोजैक्ट लागू किया लेकिन वह प्रोजैक्ट चल नहीं पाया। आपका सारे का सारा प्रोजैक्ट धराशायी हो गया। आज वह जिला जैसा था वैसा ही है। क्योंकि जिला हमीरपुर में कुछ क्षेत्र हैं जहां आम लग सकते हैं या आमों के बगीचे लग सकते हैं। सारे क्षेत्र में आम पैदा नहीं हो सकता। उस बुजुर्ग का कहना यही था। कोई प्रोजैक्ट इंपलीमैंट करने से पहले सर्वेक्षण करना चाहिए। वहां पर कई अनुभवी लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 80 से 85 वर्ष के बीच है। जैसे कि हमारे बहुउद्धेश्यीय एवं कृषि मंत्री, श्री सुजान सिंह पठानिया जी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र में कौन-सी फसल हो सकती है? इसलिए मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे तो मैं यह डिटेल लाया था कि पूरे भारत वर्ष में कितने क्षेत्र में पानी होता है और कितने क्षेत्र में क्या है । लेकिन यह जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें मेरा यह अनुरोध है, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय आपको पता है कि मेरे पास पिछली बार आई.पी.एच. विभाग था तो मैंने इस समस्या पर गहन अध्ययन किया है। अब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश भी पीने के पानी की समस्या से अछूता नहीं है। बाकी काम को छोड़कर हमें प्राथमिकता ऐसे प्रोजैक्टों को देनी चाहिए कि जंगलों में हर पांच किलोमीटर

के अंदर एक तालाब का निर्माण करना चाहिए। अगर आप कांगड़ा ज़िले में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर कितने तालाब बने हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक गांव हरिपुर में ही 20-25 तालाब बने हुए हैं। उन सभी का आप फिर से पुनरूद्धार करें ताकि लोगों में यह मैसेज़ जाए कि ऐसे प्रोजैक्ट आने के उपरांत ऐसा काम हमारे क्षेत्रों मे होता है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना है कि इसमें कई पंचायतें छूटी हैं।

श्री आर.के.एस.द्वारा जारी।

06/04/2016/1235/RKS/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

मेरा देहरा ब्लॉक इसमें कभी शामिल हुआ ही नहीं। श्री संजय रतन जी और मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी पंचायत प्रोजैक्ट में नहीं है। श्री बिक्रम सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में शायद 7 या 8 पंचायतें प्रोजैक्ट में हो। मुझे लगता है कि वह हिमाचल का सबसे बड़ा ब्लॉक है और वहां पर केवल 8 ही पंचायतें प्रोजैक्ट में आई हैं। इस तरह सारे प्रदेश में जैसे धर्मपुर का क्षेत्र हो, चाहे श्री जय राम जी का क्षेत्र हो इस प्रोजैक्ट के अंदर 10-12 पंचायते ही आई होंगी। लेकिन बाकी सारा क्षेत्र नगण्य है। मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि अगर कोई प्रोजैक्ट आता है तो उस प्रोजैक्ट को बनाने से पहले सोचा जाए कि इस प्रोजैक्ट में कैसे इम्पलिमेंट किया जाए। इस प्रोजैक्ट के तहत किस क्षेत्र में कौन से लाभ मिल सकते हैं? आज ट्रिब्यून में खबर लगी है 'Water conservation plan for HP and J&K,' said by Government of India. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा। यह खबर चण्डीगढ़ से लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि water scarcity is not restricted to the plains as is generally perceived, but is also seriously affecting many areas in the Himalayan heights that remain snow-bound for a large part of the year. The Central Water Commission has identified eight villages in Himachal Pradesh. उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। The Central Water Commission has identified eight villages in Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir to launch a pilot project for developing water security models that are compatible with local geographic,

climatic and socio-economic parameters. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इसे पढ़ना चाहूंगा और यह आपके विधान सभा क्षेत्र से भी सबंधित है। The villages are Sunam and Jhooling in Lahaul & Spiti, श्री रवि ठाकुर जी का क्षेत्र। Phu town and Thanang in Kinnaur district, जो स्नो बाऊंड क्षेत्र है। जो आपका पूह क्षेत्र है, 'in Phu, water scarcity was a serious problem.' इसके बारे में उपाध्यक्ष जी आपको ज्यादा पता होगा। यह खबर आज की ट्रिब्यून में है। माननीय मुख्य मंत्री जी जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पीने का पानी नहीं है। वहां पर पानी की कमी है। जो जनजातीय क्षेत्र के लिए 9 परसेंट का बजट आता है वह कहां खर्च किया जाता है? वहां के लोगों को शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए प्रोजैक्टों को इम्पलीमेंट

06/04/2016/1235/RKS/DC/2

कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमे वहां पर पंचायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन पंचायतों को चूज कीजिए चाहे वे किसी भी क्षेत्र की हो। हमारे क्षेत्र की पंचायतों में तो आजतक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर पौंग डैम की बात करे, चाहे सुजान सिंह पठानिया जी का क्षेत्र हो,चाहे हमारा क्षेत्र हो हमें बीच में लटकाया हुआ है। वहां पर हम न तो कोई काम कर सकते हैं और न ही करवा सकते हैं। इस बात से लोग बहुत पेरेशान है। इस संकल्प को लाने का मेरा तात्पर्य यह था कि उन पंचायतों में किस ढंग से काम किया जा सकता है? आने वाले समय में जो भी प्रोजैक्ट आएं वे उन पंचायतों में, उन क्षेत्रों में जहां आज तक प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुए हैं प्राथमिकता के आधार पर शुरूआत की जाए। केवल मात्र लैंटाना खत्म करने के लिए नहीं, खुर्लियां बनाने के लिए नहीं, रोजगार पैदा करने के लिए नहीं बल्कि वहां पर लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लोगों का पैसा लेने के उपरान्त ही वहां पर काम शुरू किया जाए। वहा का एक सिस्टम है, लोगों को आदत पड़ गई है, उनको पता है कि पैसे को कैसे खाया जाता है? वहां पर 2-3 बार प्रोजैक्ट आ गए हैं। इसलिए मेंरा वन मंत्री जी से भी अनुरोध है कि जो के.एफ.डब्ल्यू. क्लाइमेट चेंज का प्रोजैक्ट 600 पंचायतों के लिए आ रहा है उसमें आप पंचायतों को चूज कीजिए। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप चंबा, कांगड़ा या किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहें। मोडल के रूप में इस प्रोजैक्ट के लिए हर विधान सभा क्षेत्र से 3-4 पंचायतें चुनिएं। आप चम्बा और कांगड़ा जिले की 300-300 पंचायतों को छोड़ दीजिए। हमने सभी विधान सभा क्षेत्रों से पायलट प्रोजैक्ट के नाम से

600 पंचायतें ली हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप कांगड़ा जिला की पंचायतों को लीजिए। आप सभी क्षेत्रों की पंचायतों को लीजिए ताकि सारे हिन्दुस्तान में एक संदेश जाए कि हमने वाटर कंजरवेशन के लिए 600 पंचायतों को चुना है। इसमें प्राथमिकता के अंतर्गत कार्य किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब देना है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे अडॉप्ट करें। यह बातें मैंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर ऊठकर कही हैं। जो पंचायतें वंचित हैं उन पंचायतों को आने वाले समय के लिए जो वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट आएगा या कोई फोरन एडिड प्रोजैक्ट आएगा उन पंचायतों को इसमें शामिल किया जाए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

06.04.2016/1240/SLS-AG-1

श्री बिक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प दिया है इसके बारे में मुझे थोड़े समय में ही अपनी बात रखनी है क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले मेरा निवेदन केवल इतना है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जैसे यहां बताया गया है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विश्व बैंक द्वारा या विदेशी सहायता से संचालित योजनाओं से पंचायतें वंचित हैं। इन क्षेत्रों की ओर भी तरजीह दी जाए। दूसरे, यह देखने में आया है कि कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनमें ही हमेशा 'ए' प्रोजैक्ट आता है, उन्हीं में 'बी' प्रोजैक्ट आता है और उन्हीं में 'सी' प्रोजैक्ट आता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक परागपुर है जिसमें सबसे ज्यादा पंचायतें हैं। जो यह योजनाएं चल रही हैं, चाहे वह मिड हिमालयन प्रोजैक्ट है या इंडो-जर्मन प्रोजैक्ट है, इन सारी योजनाओं में हमारे ब्लॉक का सबसे कम भाग लिया गया है। अभी रविन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि देहरा के अंदर कोई भी पंचायत आज तक इन योजनाओं के अंतर्गत नहीं ली गई। इसी तरह ज्वाला जी में भी नहीं ली गई और मेरे यहां से केवल 8 पंचायतें ली गई हैं। उनके नाम हैं घाटी बिलमा, रिढ़ी-कुठेड़ा,जंडोर, अमरोह, हलेड़, कोटला-बेड़, कस्बा कोटला और गुलारधार। ऐसा क्यों होता है, मैं केवल उस विषय पर ही अपनी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में ज़रूर सोचा जाए। जिस समय भी कोई सरकार बनती है और उस सरकार में विशेषकर जो मंत्री

बनता है, उस अवधि में जो-जो योजनाएं उस मंत्री के अधीन आती हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करवाने के लिए उस मंत्री का ध्यान अपने ही क्षेत्र की ओर चला जाता है। जैसे उनकी सोच होती है कि मिड हिमालयन प्रोजैक्ट में ज्यादा-से-ज्यादा पंचायतें मेरे क्षेत्र से आएं। कोई बुरी बात नहीं है। मंत्री बने हैं, इसलिए इतना अधिकार भी है। लेकिन इतना अधिकार भी नहीं है कि जो बाकी एरियाज हैं उनको बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए। यह ठीक है कि अच्छी-अच्छी योजनाएं आई हैं। कहीं-कहीं तो बताया गया कि इनके अंतर्गत 70-70 लाख रुपया ख़र्च हुआ है जबकि कौल सिंह जी के क्षेत्र में केवल 90,000 रुपया ही ख़र्च हुआ। पता नहीं इनके साथ आप लोगों ने क्यों भेदभाव किया। ऐसा क्यों करते हैं! लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, राजनीतिक तौर पर भी कुछ चीजें सोची जाती हैं। लेकिन इन प्रोजैक्ट्स का जो

06.04.2016/1240/SLS-AG-2

उद्देश्य है, जिस कारण से यह प्रोजैक्ट लाए जाते हैं, इस व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण प्रोजैक्ट अपना वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। क्योंकि हमने जिस ज़मीन की बात करनी है, जहां प्रोजैक्ट की ज़रूरत है, जहां प्रोजैक्ट का थ्रस्ट है, हम उन सारी बातों को छोड़कर केवल राजनीतिक नज़रिए से देखते हुए प्रोजैक्ट को वहां ले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यह प्रोजैक्ट हमारे ग्रामीण समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगाए जाते हैं। पंचायतों के अंदर कम समस्याएं नहीं हैं। इसलिए यह प्रोजैक्ट वहां लगने चाहिए जहां इनकी ज़रूरत है, यह मेरे कहने का मेन आइडिया है। जहां-जहां यह प्रोजैक्ट लगे हैं, मैं चाहूंगा कि इनका मूल्यांकन करने के नियमों में भी संशोधन किया जाए। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के अंतर्गत अगर कहीं बावड़ी बनी है तो एक महीने के अंदर वह बावड़ी नज़र ही नहीं आती। आपने कहीं रास्तों के लिए डंगे लगाए हैं, लेकिन वहां पर डंगा नज़र ही नहीं आ रहा है। आपने तालाब बनाया है, उसमें पानी नहीं है और वह बंद है। आपने गांव के अंदर बीज वितरित किया है लेकिन उस गांव के अंदर लोग खेती ही नहीं करते हैं। जहां लोग खेती करते हैं वहां पर आप बीज ही नहीं देंगे। कई जगह यह देखा गया है कि जहां यह मिड हिमालयन प्रोजैक्ट कार्यान्वित हो रहा है, इसका कार्य उस पंचायत के केवल चंद लोगों तक ही सीमित होकर रह गया है। जो 10-15 अपने लोग हैं उन्हीं को चारा काटने वाली मशीन जाती है। अगर कोई पशुओं

के लिए दवाई आई है तो वह भी उन 10-15 लोगों तक ही सीमित रहेगी। मंत्री महोदय, यह कोई हंसी का विषय नहीं है, इसको आप बिल्कुल गंभीरता से लें और इसका मूल्यांकन भी करें। आपके ऊपर बार-बार ऊंगली उठती है; लोग बार-बार आपकी ओर ऊंगली उठाकर बोलते हैं कि इतने पेड़ कहां चले गए या इतना चारा कहां चला गया? यह सच्ची बातें हैं। अगर इस प्रकार से पेड़ गिनने लगें, जिस प्रकार की पेड़ों की संख्या आपके उत्तर में आ रही है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई जगह ही नहीं बचेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इन योजनाओं को लेकर 3-4 मूल तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह हैं - नर, जल, जंगल, ज़मीन और जानवर।

जारी...गर्ग जी

06/04/2016/1245/RG/AG/1

श्री बिक्रम सिंह----क्रमागत

इन चीजों के ऊपर हमारा काम चलता है, practical implementation of the Project. दो-तीन चीजों के ऊपर तो योजना के अन्तर्गत ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रखा जा रहा। लेकिन जो अन्तिम शब्द मैंने इसमें 'जानवर' कहा, जिसके कारण से किसान तंग है, ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक है और जिसके कारण फसल नहीं हो पाती। इसलिए जो मैंने अन्तिम शब्द 'जानवर' कहा है वह इस प्रोजैक्ट का अंग है। जो भी आपकी योजनाएं प्रदेश में आती हैं हम उनमें इन जानवरों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई योजना गंभीरता से नहीं बनाते और ये केवल कागज़ों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। इतने बड़े-बड़े ये प्रोजैक्ट्स हैं और करोड़ों रुपये इनके लिए आया है। इसलिए मेरा बार-बार आपसे निवेदन है कि जो क्षेत्र छूट गए हैं उनको आप इसमें कवर करें। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में दुबारा प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं, इसका मतलब वहां गोलमाल है। जहां एक पंचायत एक प्रोजैक्ट में कवर हो गई, दूसरे और तीसरे में भी कवर हो गई, तो इसका मतलब वहां जो समिति बनी हुई है उसको यह पता लग गया है कि पैसा कैसे खाना है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इन प्रोजैक्ट्स की सार्थकता तभी ठीक सिद्ध होगी जब जहां-जहां हम ये योजनाएं नहीं ले पाए हैं या जहां-जहां की पंचायतें हमने नहीं ली हैं, उनको हम लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है कि इसके मूल्यांकन करने के नियमों को संशोधित करिए, नहीं तो, ये प्रोजैक्ट्स केवल कागज़ों में ही रह जाएंगे, गांव का विकास नहीं होगा। इतना कहते हुए मैं समाप्त करूंगा। जो संकल्प श्री रविन्द्र सिंह जी यहां लेकर आए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर ये इसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।

06/04/2016/1245/RG/AG/2

उपाध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उसके बारे में वैसे इन्होंने भी और उसके पश्चात श्री बिक्रम सिंह जी ने भी इस बारे में यहां विस्तृत रूप से चर्चा की। मैं सिर्फ नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सच कहा कि कुछ ब्लॉक्ज में बार-बार प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं चाहे वे विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हैं या अन्य दूसरी फण्डिग एजेन्सी फॉरेन एडिड से हैं, बार-बार एक ही ब्लॉक या एक ही पंचायत में जो प्रोजैक्ट्स आते हैं उसमें घपले की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। जैसा बताया गया कि कुछ ही लोगों की कमेटी बनाकर उसमें डुपलीकेसी होती है, फण्डिग की ओवरलेपिंग के चान्सेज होते हैं। इसको दूर करने के लिए पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए ताकि हर ब्लॉक में बैलेन्स्ड डेवेलपमेंट हो। इसके अतिरिक्त सिंचाई से संबंधित एक जापानी सहायता प्राप्त प्रोजैक्ट है उसके लिए मेरा कहना यह है कि उसमें सोलन जिला भी शामिल किया जाए ताकि नालागढ़ चुनाव क्षेत्र को उसका फायदा हो। उसमें भी कुछ जिले हैं और जो अगली उसमें ऐक्सेटेंशन होनी है, उसमें सोलन जिले को भी शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मिड डे हिमालयन प्रोजैक्ट में नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के कुछ क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन और पंचायतों को भी उनमें शामिल किया जाए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि नालागढ़ चुनाव क्षेत्र में आज तक विश्व बैंक की सहायता से किसी भी सड़क की फण्डिग नहीं हुई है। इसलिए अब जो विश्व बैंक का सैकण्ड फेज़ चलना है उसके लिए आपके माध्यम से

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि नालागढ़ की जो 10-12 सड़कें हैं उनको उसमें डाला जाए ताकि नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के साथ लगते जो दूसरे चुनाव क्षेत्र बराबर नहीं आए हैं वे नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के बराबर आ जाएं। इसलिए मैं थोड़ा सड़कों के नाम बताना चाहूंगा । पहली सड़क Soban Majra-Baruna-Bagheri Road, 2. Panoh-Barian-Alyon-Danoghat Road, 3. Ramshehar-Doli-Nerli Road, 4. Tambdoh-Pehrood-Vaid-ka-Johar-Chanobari-Ambwala Road, 5. Ambwala-Retar-Rajwai-Jagli-Bara-Khuhi-Siras Road, 6. Gujjarhatti-Barni-Purla-Kankrooghat Road, 7. Bhinijohri-

06/04/2016/1245/RG/AG/3

Pathith-Paplet Road, 8. Nalagarh-Dherowal Road, 9. Nalagarh-Dhana-Dalhotta Road और KyarKhad- to Charog-Rachhog Road और Nalagarh-Ramshehar-Diggal-Kunnihar-Jubbalhatti-Shimla Road तो बहुत ही आवश्यक रोड है। इससे सिर्फ हिमाचल के नालागढ़ और कांगड़ा और हमीरपुर से आसानी से ट्रैफिक आ सकता है बल्कि पंजाब के भी दो-तीu जिले इससे कवर हो सकते हैं। अगर ये रोड्ज नेशनल हाइवे नहीं होती हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2016/1250/MS/AS/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी-------

तो वर्ल्ड बैंक फेज-2 में इसको इन्क्लूड किया जाए ताकि इससे बहुत से लोगों को लाभ मिल सके। इसके अलावा एक ब्रिज हमारा कुंडलू खड्ड पर है जोकि कोटला-पलोह गांव के बीच में है उसको भी करने की बहुत जरूरत है। तो जितनी भी योजनाएं वर्ल्ड बैंक फण्डिड हैं या जो अदर फण्डिंग की एजैंसीज हैं, उनका सभी चुनाव क्षेत्रों में बराबर वितरण हो क्योंकि किसी एक चुनाव क्षेत्र में कन्सन्ट्रेट करने से हमारा क्रिटिकल गैप बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि उसको कवर करें और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बराबर का हिस्सा होना

चाहिए। मैं ज्यादा न बोलता हुआ उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

06/04/2016/1250/MS/AS/2

उपाध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र सिंह जी ने जो आज यह प्रस्ताव सदन में रखा है, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और इन्होंने प्रस्ताव के द्वारा सिफारिश की है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विविभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ाना देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए।
उपाध्यक्ष जी, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाएं प्रदेश के लिए संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं जिनके अन्तर्गत कुल परियोजना लागत में से एक न्यूनतम धनराशि (परियोजना लागत का 20 प्रतिशत) का वहन राज्य सरकार को करना पड़ता है तथा शेष राशि बाह्य डोनर अभिकरणों से वित्त पोषण करने के लिए पोषित की जाती हैं। डोनर अभिकरणों से मिलने वाली राशि राज्य सरकार को भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश को विश्व स्तर की अत्याधुनिक तकनीकों व जानकारियों का भी लाभ मिलता है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं मुख्यतः किसी Specific sector के विकास के लिए बनाई जाती हैं। इन परियोजनाओं को प्रोजैक्ट में बताए गए क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है तथा इसका किसी स्पेसिफिक पंचायत क्षेत्र से संबंध नहीं होता है।

प्रदेश में इस समय लगभग 12 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत राशि की सात बाह्य सहायता परियोजनाएं लोक निर्माण, वानिकी, ऊर्जा, पर्यटन व कृषि आदि से संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में 6674 करोड़ रुपये लागत की सावड़ा कुड्डु, शौंगटौंग-कड़छम, सैंज व एकीकृत कशांग जल विद्युत

06/04/2016/1250/MS/AS/3

परियोजनाएं तथा 1927 करोड़ रुपये की Clean Energy Transmission Investment परियोजना, 1803 करोड़ रुपये की State Road परियोजना तथा पर्यटन क्षेत्र में 428 करोड़ रुपये की Infrastructure Development Investment परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.04.2016/1255/जेएस/एएस/1

मुख्य मंत्रीः-------जारी---------

599 करोड़ रूपए की Mid Himalayan Watershed Development परियोजना 227 करोड़ रूपए की Swan River Integrated Watershed Management परियोजना तथा 321 करोड़ रूपए की Crop Diversification Promotion परियोजना स्थानीय समुदाय की सहभागिता से लागू की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त गत तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भारत सरकार को विभिन्न बाह्य डोनर अभिकरणों से वित्त पोषण हेतु भेजी गई है। जिनमें से 240 करोड़ रूपए का Forest Eco-System Climate Proofing Project, 1115 करोड़ रूपए का Horticulture Development Project, 640 करोड़ रूपए का Skill Development Project तथा 3200 करोड़ रूपए का State Roads Project-Phase-II बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्त पोषण हेतु सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किए जा चुके हैं।

अन्य राज्यों की तुलना में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत धन का उपयोग करने में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। प्रदेश सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इस तरह की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी क्षेत्रों को मिले जिसके लिए समय-समय पर प्रदेश द्वारा ऐसी प्रस्तावनाएं भारत सरकार के माध्यम से बाह्य डोनर अभिकरणों को वित्त पोषण हेतु भेजी जाती रही है।

मैं, माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि Himachal Pradesh Mid Hill Project is World Bank Assisted Integrated Natural Resource Management Project encompassing following sectors i.e. Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Water Resources, Forestry.

The Panchayats (710) were chosen based on the objectives and components on integrated Natural Resources Management or resources in the above sector. Himachal Pradesh Climate Proofing Projects is being implemented with KFW-German bank assistance and is a Forestry Project. Panchayats are being chosen based on objectives and components i.e. Lantana eradication,

06.04.2016/1255/जेएस/एएस/2

Rehabilitation of Degraded Forests. Bamboo plantations, Man Animal conflict. Hence panchayats would be chosen based on these components. However it would be ensured that panchayats are not duplicated but any Panchayat which needs treatment of particular component is not left out.

अतः माननीय विधायक, श्री रविन्द्र सिंह से विनम्र अनुरोध है कि उनके द्वारा उठाए गए गैर-सरकारी सदस्य कार्य संकल्प को वापिस लेने की अनुकम्पा करें।

06.04.2016/1255/जेएस/एएस/3

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना बड़ा स्पैसिफिक था और माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपने पूरे प्रदेश के सभी विभागों के, चाहे वह बिजली के प्रोजैक्ट्स हैं, चाहे स्टेट रोड़ज प्रोजैक्ट हैं या अन्य डिपार्टमैंट्स के भी जो-जो प्रोजैक्ट्स वर्ल्ड बैंक को या अन्य कोई ऐजैंसी फंडिंग कर रही है आपने उन सभी को इसमें ले लिया है। मेरा बड़ा स्पैसिफिक था कि अभी तक जो पंचायतें जैसे ही प्रोजैक्ट्स आए इंडो जर्मन चंगर प्रोजैक्ट और जो मिड हिमालयन डवैल्पमैंट प्रोजैक्ट आया है या

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

06.04.2016/1300/SS-DC/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

या आने वाला क्लाईमेट चेंज प्रोजैक्ट है और आपने एक और प्रोजैक्ट इसमें शामिल किया है ऐसे प्रोजैक्ट जिनमें पंचायत की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये रोड वाला मैंने इसमें नहीं लिया है, अगर वह होता तो फिर विषय लम्बा होना था। मैंने उसको टच ही नहीं किया। मैं उसमें गया ही नहीं। मेरा केवल मात्र आपसे निवेदन यह है कि जो पंचायतें, चाहे वे आपके ही विधान सभा क्षेत्र की हैं, अभी तक वंचित हैं उन पंचायतों में कोई प्रोजैक्ट मध्य हिमालयन डिवैल्पमैंट जैसा, इंडो जर्मन चंगर प्रोजैक्ट जैसा शुरू किया जाए या जो अभी क्लाइमेट प्रूफिंग वाला प्रोजैक्ट पंचायतों में आ रहा है मैंने उसकी बात की है। उन पंचायतों को उन प्रोजैक्टों में शामिल किया जाये ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि प्रोजैक्टस होते क्या हैं। उन लोगों को पता लगे कि उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जायेगी। मेरा यह कहना है। उन पंचायत के लोगों को कैसे ऐसे प्रोजैक्टों में शामिल किया जाए, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, वह तो सरकार करती है जो आपने 10:90 का किया, जो 25:70 का किया। वह सरकार ने सुनिश्चित करना है। मैं लोगों की सहभागिता की बात कर रहा हूं कि लोग भी उसमें शामिल हों। इसलिए इसको मुख्य मंत्री महोदय एडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यह कहें कि हम पंचायतों को इसके बारे में कहेंगे। यह पंचायतों के हित में है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको एडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः ये जो प्रोजैक्ट है यह बहुआयामी प्रोजैक्ट है। It is multi-dimensional project, जो उसमें होते हैं। जिस प्रकार के प्रोजैक्ट का आपने ज़िक्र किया है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है, पंचायत से संबंध रखता है, भविष्य में जब कोई ऐसा प्रोजैक्ट आयेगा तो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि जिन क्षेत्रों में पहले ऐसा प्रोजैक्ट नहीं आया है उन क्षेत्रों को कवर किया जाये।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद संकल्प वापिस लेंगे?

06.04.2016/1300/SS-DC/2

श्री रविन्द्र सिंहः हां, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अब कहा है कि जो पंचायतें वंचित रह गई हैं उन्हें कवर किया जायेगा। जैसे मेरा देहरा विधान सभा क्षेत्र है उसकी एक पंचायत आज तक नहीं आई। ज्वालामुखी संजय रतन जी की कांस्टीचुऐंसी है, अभी तक उसकी एक पंचायत किसी प्रोजैक्ट में नहीं आई है। हमारी यह प्राथमिकता है कि जब आगे कोई प्रोजैक्ट आये जैसे के0एफ0डब्ल्यू0 का इंडो-जर्मन का क्लाइमेट चेंज का प्रोजैक्ट आया, हमारा निवेदन है कि उस प्रोजैक्ट को ऐसे विधान सभा क्षेत्रों में पहले शुरू किया जाए, जिन लोगों ने प्रोजैक्ट की सूरत देखी नहीं है कि वह मखौटा होता क्या है। इसके बारे में आपने आश्वासन दिया है। मेरा निवेदन रहेगा कि उनको प्राथमिकता दें। मुख्य मंत्री महोदय आपका आश्वासन केवल आश्वासन ही न रह जाए, मेरा आपसे निवेदन है कि उन वंचित पंचायतों को प्राथमिकता दें। आपके आश्वासन के अनुरूप मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2:15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

06.04.2016/1415/केएस/एजी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई)

उपाध्यक्षः अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगें।

श्री वीरेन्द्र कंवरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर पर्यटन पैकेज की मांग की जाए।"

उपाध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर पर्यटन पैकेज की मांग की जाए।" इसके लिए 45 मिनट का समय रखा गया है।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को खूब संजोया है, अपार कृपा की है और इसीलिए ऋषिमुनियों ने हिमाचल को अपना तपोस्थान बनाया था। यहां के लोग बहुत ही मेहनती हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

6.4.2016/1420/av/ag/1

श्री वीरेन्द्र कंवर : जारी

और यह कहा जा सकता है यहां के लोगों पर देवी-देवताओं की अपार कृपा है। प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को जहां खूबसूरत पहाड़ों की श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत और धौलाधार की सुन्दरता दी है वहीं वनों से भरपूर वन सम्पदा भी दी है। यहां की जड़ी-बूटियों का भी विशेष महत्व है। अगर हम इस विषय को रामायण काल से जोड़ें कि जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे। उस समय राज वैद्य ने कहा था कि यदि हिमालय पर्वत से संजीवनी लेकर आते हैं तो ये जीवित हो सकते हैं। यहां बहुत खूबसूरती है। यहां से नदियां निकलती है और झरनों की तो अपनी ही सुन्दरता है। इसके अतिरिक्त विरासत में हमें जो लोक-नृत्य, त्योहार, मेले-

उत्सव इत्यादि मिले हैं ये हिमाचल की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। हमारा प्रदेश बहुत खूबसूरत है तथा यह वास्तव में पूरे विश्व में पर्यटन की दृष्टि से एक अग्रणी प्रदेश बन सकता है। यहां पर लोग आना चाहते हैं और कुछ क्षण रुककर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। हमने आजादी के बाद समय-समय पर प्रयास तो किए लेकिन हम उतने प्रयास नहीं कर सके जिससे कि हम हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से नम्बर एक पर पहुंचा सकें। मुझे याद है, हम जब पहली बार चुनकर आए थे तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति डॉ0अब्दुल कलाम जी, जिनका निधन हो गया है। वे इस विधान सभा में आए थे तथा विधान सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से सुन्दर है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमें संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश को पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर काम करना चाहिए। अगर हम इस ओर काम करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कहा था कि यहां की नदियों में बहते हुए पानी से बिजली पैदा हो सकती है। उससे पोल्युशन नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के अन्दर 25000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता है। अगर हम 25000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ से भी मुक्त हो जायेगा और हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर प्रदेश बन जायेगा।

6.4.2016/1420/av/ag/2

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए तीसरा सूत्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में दिया था। उन्होंने कहा था कि यहां बहुत ज्यादा पोटैंशियल है और यह हिमाचल के हित में है कि यहां पर हैवी इंडस्ट्री की बजाय पर्यावरण के अनुकूल इंडस्ट्री लगे। यहां की जो शॉल इंडस्ट्री या होज़री है; उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

टीसी द्वारा जारी

06.04.2016/1425/TCV/AG/1
श्री वीरेन्द्र कंवर --- जारी

ऐसे तीन सूत्र उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए महत्वपूर्ण सूत्र कहे थे और वास्तव में आज यही है। बड़े बड़े सीमेंट उद्योग लगाने के बावजूद, जब कि इन उद्योगों के कारण इस प्रदेश में पॉल्युशन फैल रहा है और हमें रोजगार जितनी मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पहाड़ों की सुन्दरता भी खराब हो रही है। हम घाघस से लेकर दाड़लाघाट तक ट्रकों का जमावड़ा देखते हैं। 20-20 ट्रक इकट्ठे चले होते हैं, किसी को पास नहीं मिलता है और ट्रैफिक की प्रोब्लम भी हो रही है जो प्रदूषण सीमेंट इंडस्ट्री से हो रहा है उसका बुरा प्रभाव आम आदमी के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसलिए पर्यटन के महत्व को लेकर उन्होंने कहा था कि हमें प्रकृति ने जो खुबसूरती दी है, हम उसका दोहन कर सकते हैं। हम पर्यटक को यहां हिमाचल प्रदेश के अन्दर ला सकते हैं लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि जितना इन्फ्रास्ट्रैक्चर यहां पर होना चाहिए था उतना इन्फ्रास्ट्रैक्चर हम नहीं दे पाये। आजतक हम यहां पर अच्छे होटल नहीं दे पा रहे हैं। हम यहां पर अच्छी स्वच्छता नहीं दे पा रहे हैं। अच्छे टॉयलेट्स, जो रोड साईड पर होने चाहिए, वह हम नहीं दे पाये। आप देखेंगे कि जहां पर गाड़ियां खड़ी होती है वहां पर इतनी बदबू होती है, इतना कचरा होता है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश में आते हैं और जो हिमाचल के बारे में सोचते हैं शायद उनकी वह सोच हिमाचल की एंट्री पर ही खत्म हो जाती है। मुझे याद है, हमें बहुत सारे प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है तो वहां पर लोग कहते हैं कि हिमाचल बहुत बढ़िया है, वहां के पहाड़ बर्फ से लदे हैं और हम वहां पर जाना चाहते हैं लेकिन यहां की सड़कें उतनी अच्छी नहीं है। आज सड़कों के कारण जब पर्यटक यहां पर आता है तो उसको निराशा हाथ लगती है। हम अच्छा पीने का पानी नहीं दे पाते हैं। हम कहते हैं कि पूरे विश्व के अन्दर अगर कोई बैस्ट डैस्टिनेशन है तो शिमला है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज तक स्वच्छ पेयजल शिमला के लोगों/पर्यटकों को उपलब्ध नहीं करवा पाएं जिसके कारण आज यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हम यह कहते हैं कि करीब एक करोड़ से ज्यादा पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अन्दर आते हैं लेकिन वह कौन से पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अन्दर आते हैं? ये महत्वपूर्ण है। हम उनको ही पर्यटक मानते हैं जो लोग होशियारपुर और पंजाब

से बाबा बालक नाथ आते हैं। उसी तरह से दूसरे जो पर्यटक यहां पर आते हैं वह हमारे साथ लगते कुछ प्रदेशों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आते हैं लेकिन साउथ से जो पर्यटक यहां पर आना चाहिए वह पर्यटक यहां पर नहीं आ पाता।

06.04.2016/1425/TCV/AG/2

इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आज हमको प्रकृति ने सब कुछ इतना दिया है, विकास/उन्नति का खज़ाना यहां पर हमें दिया है, हम अपनी बेरोजगारी स्वंय दूर कर सकते हैं लेकिन हमें आज तक जो कुछ करना चाहिए था वह हम नहीं कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर हम पर्यटन में हिमाचल का हिस्सा देखें, जी0डी0पी0 में तो हॉर्टिकल्चर के बराबर 8 परसेंट इससे भी मिलता है। हम इसको बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। एक सर्वे हुआ है, जिसमें कहा गया है कि

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी ।

06/04/2016/1430/RKS/DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवर...जारी

अगर हम 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हम पर्यटन में 78 नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में 10 लाख रुपए इनवेस्ट करते हैं तो हम 45 नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हम 18-20 नौजवानों को ही रोजगार दे सकते हैं। यानी इतना ज्यादा रोजगार हमें पर्यटन से मिल सकता है। अगर हम आंकड़ें प्राप्त करें तो देश में पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का 15 वां स्थान है। पर्यटन के क्षेत्र में जहां हम इस देश में पहले स्थान पर होने चाहिए वहां पर हमारा 15 वां स्थान है। 1.8% पर्यटक ही हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। बाकि सारे पर्यटक अन्य स्थानों में घुमने के लिए चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 2 % विदेशी पर्यटक ही घुमने के लिए आता है। जबकि शिमला ब्रिटिश काल की राजधानी रही है। यहां पर बहुत सारे पर्यटक घुमने के लिए आने चाहिए थे। पर्यटन में विश्व के अंदर

शिमला का नाम है फिर भी यहां 2% पर्यटक ही आते हैं। प्रदेश में जितना भी पर्यटक आता है उसमें से 2-3 स्टेटों से ही हम मेजोरटी पर्यटक लाने में सक्षम रहे हैं। साऊथ से पर्यटक लाने में हम असफल रहे हैं। हम अपने टूरिज्म, पहाड़ों, नदियों, नालों, और सुन्दरता की मार्किट करने में असफल रहे हैं। हम देखते हैं कि अमरनाथ की यात्रा के लिए 3 महिने के अंदर 50 लाख टूरिस्ट जाता है। साऊथ में अगर हम देखें तो वेंकटेश्वर मंदिर, तिरूपति में करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हमारे प्रदेश में क्या कमी है? हमारे प्रदेश में भी मणिमहेश, त्रियूंड महादेव, श्री खंड महादेव जैसे धार्मिक स्थान है। इन धार्मिक स्थानों की मार्किट करके हम पर्यटकों को यहां ला सकते हैं। एडवैंचर की दृष्टि से भी यह स्थान काफी प्रसिद्ध हैं। अगर हम टूरिस्ट प्रोफाइल की बात करें तो 48% टूरिस्ट यहां छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। धार्मिक टूरिस्ट 13 % और बिजनैश परपज से 12% टूरिस्ट यहां पर आते हैं। शिक्षा के माध्यम से 3%, मैडिकल फैसिलिटीज के माध्यम से 1%, सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से 7% और अन्य 15% टूरिस्ट यहां पर आते हैं। जो दुबई जैसे विदेशी मुल्क है वहां पर पूरी तरह से डिजरट है। लेकिन अगर आज हम देखें तो हिन्दुस्तान का

06/04/2016/1430/RKS/DC/2

मेजोरटी टूरिस्ट वहां पर जा रहा है। उन लोगों ने डिजरट के अंदर ही टूरिज्म ढूंढा है। चाहे वह डिजरट सुपारी हो ,चाहे और कुछ हो। शिमला का वातावरण ठंडा है। हम यह कह सकते हैं कि यहां पर 5 ऋतुएं होती हैं। हमारे पास पहाड़ का टूरिज्म है, हैरिटेज टूरिज्म है, टैम्पल टूरिज्म है, मोनेस्ट्री का टूरिज्म है, बुद्धिस्ट सर्किट यहां पर है यानी हर तरह का टूरिज्म हमारे प्रदेश में है। हमारे पास झील, झरने हैं। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो वह 'बीच' टूरिज्म है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

श्री वीरेन्द्र कंवर ...जारी

लेकिन आईस स्केटिंग खेल जैसी जो चीजें शिमला के अंदर होनी चाहिए, वह उन्होंने वहां रेगिस्तान में 50 डिग्री के तापमान में उपलब्ध करवाई है। वहां डिजर्ड सफारी के माध्यम से टूरिज्म विकसित किया गया है। वहां पर बढ़िया रेलवे नैटवर्क और रोड नैटवर्क है। उनके पास प्राकृतिक चीजें विशेष तौर पर नहीं हैं लेकिन फिर भी अगर दुनिया में किसी की बढ़िया इकोनोमी है तो उन देशों की है। अगर हम केरल या साऊथ के राज्यों में जाएं तो वहां भी लोगों के अंदर एक कल्चर और वर्क कल्चर है। उनके अंदर टूरिज्म के लिए एक ज़ज्बा है। वह वहां पर पर्यटक को पूरी तरह से मान-सम्मान देते हैं। वहां की सरकारों ने वहां पर वॉटर टूरिज्म क्रियेट किया हुआ है और अलग-अलग किसम के ऐडवैंचर्ज़ तैयार किए हैं। हमारे पास भी पौंग झील है और भाखड़ा डैम पर बनी गोविन्द सागर झील है। पंजाब से लोग यहां आकर इवैंट्स आयोजित कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हमारा सड़कों का नैटवर्क कमज़ोर है। इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। रेल नैटवर्क और हवाई सेवा नैटवर्क को भी मज़बूत करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है जिसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। रेलवे नैटवर्क के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बढ़िया नीति बनाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं पूर्व सरकार का धन्यवाद करता हूं जब इस ओर कदम बढ़ाए गए थे। उस समय होम स्टे योजना चलाई गई थी। हम उसमें काफी हद तक कामयाब हुए थे। विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया था। हमारे पास सेवों के बहुत अच्छे बगीचे हैं। फ्लोरिकल्चर का भी यहां बहुत ज्यादा स्कोप है। लोग गांवों के अंदर फूल पैदा कर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर हम टूरिस्ट को वहां ठहराने का प्रयास करेंगे तो वह ठीक रहेगा। उस समय इसी तरह का प्रयास हुआ कि बाहर के लोग हिमाचल आएं, यहां के गांव का जीवन देखें

कि यहां पर सेव कैसे पैदा होते हैं या फूल कैसे पैदा होते हैं। इन सब चीजों से टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। साथ ही पिछली सरकार ने हैलि-टैक्सी को भी स्थान दिया था। आज भी इसी बात की आवश्यकता है कि हम इन चीजों की मार्किटिंग करें। इसके लिए अच्छे टूरिस्ट गाईड्ज की भी आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर वोकेशनल ऐजुकेशन के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है। केंद्र सरकार द्वारा भी कहा गया है कि लोगों को इस दिशा में तैयार किया जाए; उन्हें स्किल प्रदान की जाए। जहां-जहां जिस-जिस कॉलेज में हमने यह शुरू की है और जो इसे पढ़ाने वाले लोग हैं, वह बहुत कमज़ोर हैं। टूरिज्म के लिए जैसा होना चाहिए, वह लोग उस मापदंड के नहीं हैं। मेरा सरकार ने निवेदन रहेगा कि सरकार प्रयास करे कि यहां टूरिज्म के लिए कोई अच्छा कॉलेज या अलग से युनिवर्सिटी स्थापति हो ताकि हम पर्यटन को प्रदेश के अंदर आगे ले जा सकें।

हमारी सड़कें तैयार हो रही हैं। अगर हम कालका से लेकर शिमला तक रोड को देखें तो इस रोड से हमारे पास जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें इस रोड पर ट्वालट जाने के लिए कहीं कोई ट्वालट रोड साईड पर उपलब्ध नहीं है। हमारा यह रोड फोरलेन बन रहा है। केंद्र द्वारा इसके लिए बहुत सारा बजट दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस रोड साईड्ज पर 10-10, 20-20 किलोमीटर पर शौचालय बनवाए जाएं।

जारी...गर्ग जी

श्री वीरेन्द्र कंवर-----क्रमागत

वह आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए और इस तरह के वहां शौचालय बनने चाहिए। ये जो रोड साइड के ऊपर जितने भी हमारे ढाबे या बिस्कुट, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि बेचने वाले लोग हैं, हमर उनके लिए कम-से-कम एक ऐसी योजना तैयार करें कि वे अपना वहां डस्टबिन रखें ताकि लोग मूंगफली इत्यादि खाकर कूड़ा उसमें डालें या अन्य कूड़ा उसमें डालें जिससे हमारा प्रदेश साफ-सुथरा दिखना चाहिए। ऐसा हमारा

प्रयास होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यदि कोई कुछ खाता है, तो उसका गंध वहीं पर फेंककर चला जाता है और हम वहां सफाई का कोई ध्यान नहीं देते। आज हमारे रोड साइड में जितने भी प्रोजैक्ट्स चले हैं उनमें हमारी कोई-न-कोई अच्छी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए और हमें इसके लिए बजट में भी ज्यादा-से-ज्यादा प्रावधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पास हैरीटेज धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है और हमारे पास टैम्प्ल टूरिज्म है। जैसे हम कह सकते हैं कि देवी पर्यटन है। यहां मॉ चिन्तपुरनी का मंदिर है, मॉ चामुण्डा माता का मंदिर है, मॉ नैना देवी का मंदिर है और मॉ ज्वालादेवी मंदिर भी है। अगर माता वैष्णोदेवी में इतने पर्यटक जा सकते हैं, तो हमारे पास तो यहां चार-चार देवियों के मंदिर हैं, तो हम यहां इस पर्यटन को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? उसके मुकाबले हम ज्यादा पर्यटक यहां ला सकते हैं। यहां हम बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से भी जो हमारे पूर्वी देश हैं, जितने भी बौद्ध को मानने वाले हमारे देश हैं, हम उनमें हमारे यहां जो बौद्धिस्ट सर्किट या हमारे यहां जो मॉनेस्ट्री है इसको हम वहां मार्केट या प्रमोट कर सकते हैं। हम किन्नौर और लाहौल-स्पिति के डेजर्ट में ले जाकर लोगों को यह बता सकते हैं कि ऐसे डेजर्ट में भी लोग स्पिति में अपना जीवन जीते हैं। हमारे पास पोटेन्शियल है, हमारे पास मेले, उत्सव इत्यादि हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका लाभ हम इस पर्यटन के तौर पर क्यों नहीं ले पा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। जहां एक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है वहीं मेरे यहां भी भरमौती में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और लाखों पर्यटक वहां आते हैं। पीछे जब मैं दूसरी बार सदस्य चुनकर आया, तो मैंने आदरणीय धूमल जी से निवेदन किया कि वहां महिलाओं के लिए अलग से स्नानघाट होना चाहिए और वहां टायलैट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि वहां

06/04/2016/1440/RG/DC/2

वैशाखी और सोमवती अमास्या के दिन लोग स्नान करने के लिए आते हैं। उस समय सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से वहां पैसा दिया और वहां महिलाओं के लिए अलग से स्नानघाट भी बना और 15 लाख रुपये की लागत से वहां शौचालय भी बना। लेकिन उस शौचालय में मात्र तीन लाख रुपये का काम रह गया था। सिर्फ उसमें टायलेट सीट्स रखने

थे। मैंने बार-बार विभाग को भी लिखा और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा कि दो लाख रुपये दे दीजिए ताकि वहां टायलेट्स चल पड़े।

Deputy Speaker: Please, wind up.

श्री वीरेन्द्र कंवर : लेकिन वे दो लाख रुपये न देने के कारण पांच वर्ष से वैसे-का-वैसा ही वहां है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरे यहां भाखड़ा डैम और गोविन्दसागर झील है। वहां ऐशियन विकास बैंक से एक प्रोजैक्ट बनकर गया था। वहां ऐडवेन्चर स्पोर्ट्स के लिए, वोटिंग के लिए अलग तरह से एक प्रोजैक्ट बना था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां ऐशियन विकास बैंक के माध्यम से एक प्रयास हुआ था। पिछले दिनों 'दैनिक भास्कर' में एक समाचार छपा था कि लाखों रुपये वहां दिया जा रहा है मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2016/1445/MS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी----------

क्या उसका लाभ भी हमें आज तक मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है और कृपया उस ओर भी ध्यान दें।

उपाध्यक्ष जी, मेरा संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस संकल्प को एडॉप्ट कीजिए। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज दिया था और उसके तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योग लगे थे तो उन उद्योगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा बेरोज़गार नौजवानों को लाभ मिला था। उसी तर्ज़ के ऊपर आज हमारा पूरा सदन केन्द्र से हिमाचल प्रदेश के लिए यह मांग करे और यहां से संकल्प पास

करके केन्द्र को भेजे कि हिमाचल प्रदेश में जो यह एक बहुत बड़ी प्राकृतिक सम्पदा पर्यटन है, जो यहां की धरोहर और खूबसूरती है उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए, उसकी मार्किटिंग करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि यहां पर बड़े-बड़े होटल बनें, यहां पर रोप-वे बनें, यहां पर रिवर राफ्टिंग और बोटिंग के लिए झीलों के अंदर व्यवस्था हो, इसके लिए पैकेज यहां पर मिले। तो मैं समझता हूं कि लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त होगा और हिमाचल प्रदेश की जी0डी0पी0 में बढ़ौत्तरी होगी। इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसको आप एडॉप्ट कीजिए। धन्यवाद।

06/04/2016/1445/MS/AG/2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

जय राम ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गैर-सरकारी सदस्य संकल्प के माध्यम से हमारे साथी श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने इस मान्य सदन में रखा है।

उपाध्यक्ष जी, मैं वीरेन्द्र कंवर जी को बधाई देना चाहता हूं जिस तरह से इन्होंने इस विषय को इस मान्य सदन में रखा है। मैं सिर्फ उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत ही विस्तार से सुन्दर शब्दों में इन्होंने अपनी बात कही है। उपाध्यक्ष जी, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर हमारे पास अपनी आय को बढ़ाने के लिए अन्य कोई बहुत से दूसरे माध्यम नहीं हैं। यह प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो और इस प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ और मजबूत हो, यह सबकी मंशा है। लेकिन उसके बावजूद हम इस सारी चीज के लिए क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन हमारी आय का एक सबसे बड़ा साधन बन सकता है जिसका हम हमेशा जिक्र करते भी हैं कि यहां पर नदियां हैं इसलिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा दोहन के योग्य बिजली की क्षमता है। उस दिशा में पिछली सरकार के द्वारा भी और वर्तमान सरकार के माध्यम से भी निश्चित रूप से प्रयत्न हुए हैं। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में

जितने भी बिजली के प्रोजैक्ट लगे हैं, उनके माध्यम से हम अपने प्रदेश की आर्थिकी को आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बागवानी और कृषि अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन इन सारी चीजों से हटकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वह हमारा पर्यटन है जिसका जिक्र यहां पर माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने किया है। हम भाषण बहुत दे देते हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

06.04.2016/1450/जेएस/एजी/1

श्री जय राम ठाकुरः---**जारी**---

बातें हम बहुत कह देते हैं लेकिन व्यावहारिक पक्ष में एक बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हट फिर करके हम कई वर्षों से एक ही जगह अटके पड़े हैं। सुन्दरता की यहां पर कमी नहीं है। एक तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र जो लगभग तीन हजार, साढ़े तीन हजार, चार हजार की हाईट से शुरू होता है और दूसरी तरफ हमारा हिमाचल प्रदेश 12 हजार, 13 हजार फिट से भी ऊपर जाता है। हर तरह के मौसम यहां पर है। हर तरह से पर्यटन को बढ़ाने की गुंजाईश यहां पर है लेकिन उसके बावजूद हम सीमित साधनों के कारण और सोचने के बावजूद, मंशा होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी परिस्थति में जो हम सोच रहे हैं और जो विचार कर रहे हैं उन सारी चीजों को जमीन पर उतारने के लिए संसाधन की आवश्यकता है,सहयोग की आवश्यकता है वह हमारे पास नहीं है, वह कहां से आएगी? उस दृष्टि से इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है। अगर हमारे पास अपने साधन नहीं है और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए और ज्यादा अपार सम्भावनाएं हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से हों, उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहे वह रोड़ज का है चाहे पर्यटन की दृष्टि से और ज्यादा सुविधाएं जुटाने का है, उसको मजबूत करने की अगर हम बात सोचते हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि आज का यह प्रस्ताव बहुत तर्कसंगत है। अगर हम अपने बलबूते पर नहीं कर सकते हैं तो केन्द्र सरकार से हम उसी तर्ज़ पर जो वर्ष 2001 और 2002 में हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था और वह 10 वर्ष के लिए

मिला था उस तर्ज़ पर हम अपना पक्ष रखें। रूटीन की बातों को ले कर रोज़मर्रा की चीजों पर चर्चा करने के उपरान्त उस ढर्रे पर चलते-चलते हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं बजट में देख रहा था और उसमें जिक्र किया गया था कि 100 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट हिमालयन सर्किट का केन्द्र सरकार के लिए पेश किया है। सिर्फ प्रोजैक्ट बना करके भेज देना और भेजने के बाद स्वीकृति लाने के लिए प्रयत्न न करना मुझे लगता है कि वह महज़ एक औपचारिकता है। अगर प्रोजैक्ट भेजा है तो दिल्ली जाईए। उसका फॉलोअप करिए। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए जब अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब हमको इंडस्ट्रियल पैकेज मिल सकता है और 10 वर्षों के लिए मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में यह भी कठिन नहीं है आज नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार है, अगर यहां की सरकार पक्ष ठीक प्रकार से रखें

06.04.2016/1450/जेएस/एजी/2

तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो पर्यटन की दृष्टि से की जाने वाली चीजें हैं उस दिशा में एक बड़ा प्रोजैक्ट बना करके केन्द्र के सामने रखें और विशेष पैकेज के रूप में उसे स्वीकार करने के लिए यदि प्रयत्न किए जाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का महत्व बहुत ज्यादा है। आज दुनिया भर के पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं। दुनिया भर के साथ-साथ हमारे देश का पर्यटक भी आता है, जो दूसरे प्रदेशों से आता है, वह सुविधा चाहता है। साधन उसके पास है और वह पैसा खर्च करना चाहता है लेकिन उसके बावजूद हमारे पास वे सुविधाएं न होने की वजह से वह पर्यटक फिर किसी न किसी वजह से निराश हो करके वापिस चले जाता है। हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं जिस प्रकार से हमें लेने के प्रयत्न करने चाहिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार ही नहीं काम करने की भी आवश्यकता है। हम देख रहे हैं और वीरेन्द्र जी ने ठीक कहा कि जहां कुछ नहीं है, जमीन नहीं है सिर्फ रेगिस्तान है, जमीन पर कुछ उग नहीं सकता है समुद्र ही समुद्र है, वहां पर वह पर्यटन की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा केन्द्र बन जाता है। चाहे आप दुबई की बात करें और इसके अलावा चाहे दूसरे देशों की बात करें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

06.04.2016/1455/SS-AS/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डैस्टीनेशन्ज़ हैं, इंटरनेशनल डैस्टीनेशन्ज़ हैं जहां पर अपने पास कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने चीज़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वह पर्यटन का केन्द्र बन कर उभरा है। दुनिया आज वहां जाकर पर्यटन का आनंद ले रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा सम्भावनाएं हैं। सिर्फ उन सम्भावनाओं की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि जब इंडस्ट्रीयल पैकेज की बात थी और इंडस्ट्रीयल पैकेज के साथ-साथ मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जब इंडस्ट्री लगती है तो प्रदूषण होता है। चाहे वह छोटी या बड़ी इंडस्ट्री लगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में दो-तीन चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि जो हमारे यहां नदियां बहती हैं उनसे बिजली का दोहन किया जाए। हमारे हाईडल प्रोजैक्टस हैं जोकि प्लयूशन फ्री हैं वे हमारे लिये आय का एक माध्यम हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए एक वरदान है। उसके साथ-साथ हमारे यहां बागवानी है जोकि आय का एक साधन है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आय का अगर कोई साधन मुझे लगता है तो वह हमारी पर्यटन इंडस्ट्री है। जहां पर प्लयूशन का कोई स्कोप नहीं है। उस दिशा में हमको आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि हम वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे पास शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और चम्बा है जोकि पर्यटन की दृष्टि से जाने जाते हैं। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि इन स्थानों पर अब बहुत ज्यादा गंजाईश नहीं रही है। पर्यटन की दृष्टि से हम जिन चीज़ों को निकाल सकते थे वे हमने निकाल करके दुनिया के सामने रखी हैं। अब अगर वहां पर और ज्यादा बोझ डालने की कोशिश करेंगे या और चीज़ें डिवैल्प करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा गुंजाईश नहीं है और वह बहुत ज्यादा लाभप्रद भी नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमको हिमाचल प्रदेश में ऐसी वर्जिन डैस्टीनेशन आइडेंटीफाई करनी चाहिएं। वे थोड़ी नहीं हैं बल्कि यहां बहुत ज्यादा हैं। मैं अपने ही चुनाव क्षेत्र में देखता हूं। हमारा जिंजयानी का इलाका है वह मनाली से किसी भी सूरत में कम नहीं है। हमारा

शिकारी माता का इलाका है हमारे दूसरे जो बहुत सारी टूरिस्ट डैस्टीनेशन्ज़ हैं जोकि हमारे देश की अच्छी-अच्छी टूरिस्ट डैस्टीनेशन्ज़ में जानी जाती हैं जहां पर दुनिया भर का टूरिस्ट आता है वह उससे कम नहीं है।

06.04.2016/1455/SS-AS/2

हमारा कमरूनाग, सोजाबंजार, देवीदर इत्यादि अनेकों ऐसे स्थान हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्षों से हम इस माननीय सदन में भाषण तो देते हैं परन्तु इन टूरिस्ट डैस्टीनेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। इनको हम वर्जिन डैस्टीनेशन बोल सकते हैं जहां पर पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं उस दिशा में कदम नहीं पड़ रहा है। अगर वहां सड़क पहुंची है तो वह टूटी-फूटी पहुंची है। उसके अलावा वहां पर कोई और साधन नहीं है। वहां पर कोई और व्यवस्था/इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दृष्टि से सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं है। इस दिशा में सोचा ही नहीं जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ पर सोचने की आवश्यकता है। टूरिस्ट का शिमला में आ करके दो दिन से ज्यादा ठहरने का मन नहीं करता। दो दिन से ज्यादा उसको एंगेज करने के लिए कि वह कहां जा सकता है वह हमारे पास व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर शिमला का टूरिस्ट दो दिन में ऊब जाता है तो दो दिन के बाद कहीं अन्य जगह पर जाने के लिए हमारे पास स्थान उपलब्ध रहना चाहिए और वहां पर दो दिन गुजारने के बाद उसका दो दिन और यहां गुजारने का मन करे उसके लिए अन्य जगह तय करनी चाहिए। इस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी डैस्टीनेशन्ज़ हैं जहां पर इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है। लेकिन हम उस दिशा में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। कहने का मूल भाव यह है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर प्रदेश सरकार के पास साधन की कमी है तो हमको उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास यहां धार्मिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। वीरेन्द्र कंवर जी ने यहां पर बुद्धिस्ट सर्कट का ज़िक्र किया। मैं उनसे सहमत हूं। उससे हम हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र को पर्यटन के साथ जोड़ते हुए दुनिया भर के पर्यटकों को यहां पर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन हट फिर के ढाक के तीन पात होते हैं। हम उसी दिशा में चले जा रहे हैं। एडवैंचरस जो हमारे टूरिज्म की एक्टिविटीज़ हैं उसकी हिमाचल प्रदेश में बहुत सम्भावनाएं हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हैरिटेज

टूरिज्म की दृष्टि से हमारे यहां पर बहुत सम्भवनाएं हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2016/1500/केएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि हम सारी चीजें चाहे वह हमारे धार्मिक पर्यटन है, हैरिटेज हैं, एडवैंचर्ज़ हैं, हमारे जो पर्यटन के इस प्रकार के डैस्टिनेशन्ज़ पड़ते हैं, उन सब को क्लब करके पूरे प्रदेश में एक कम्मलीट प्रोजैक्ट बना कर अपना पक्ष केन्द्र के सामने रखे। फिर मुझे लगता है कि हम उन सारी चीजों में सफलता हासिल कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए उस तर्ज पर, जिस पर वर्ष 2001-2002 में एक इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था उसी तर्ज पर हिमाचल के लिए टूरिज्म की दृष्टि से यहां पर एक पैकेज केन्द्र से मिले, उस दिशा में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए।यहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र कर लिया गया है, मैं उनकी डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता और उम्मीद भी और निवेदन भी करता हूं कि इस प्रस्ताव के इस रैज्योल्यूशन को आप अडॉप्ट करें और उसके बाद प्रयत्न करें और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की जो अपार सम्भावनाएं हैं, उनको देखते हुए प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार उसमें किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में अपने पांव पर खड़े होने के लिए पर्यटन जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और दुनिया के नक्शे पर हिमाचल का पर्यटन की दृष्टि से जो एक नाम है उसमें और हम ऊंचाई हासिल करें, इस दृष्टि से इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.04.2016/1500/केएस/एएस/2

उपाध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री किशोरी लालः उपाध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी सदस्य संकल्प के रूप में श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर पर्यटन

पैकेज की मांग की जाए" इसकी चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई समय था, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम सड़कें थी और सड़के न होने की वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पैदल आना-जाना पड़ता था। शिक्षा नहीं थी, बिजली नहीं थी और हिमाचल प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ पंजाब का हिस्सा था। मैं विशेषकर कांगड़ा की बात करुंगा। कांगड़ा पंजाब में था। जो सड़कें थीं भी वे बहुत संकीर्ण थी और सिंगल लेन थी लेकिन ज्यों ही हम हिमाचल प्रदेश में मिले उसके बाद सड़कों का विस्तार हुआ, सड़कों की चौड़ाई बढ़ी और जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों ने अपना रुख किया, हिमाचल प्रदेश को चुना क्योंकि शान्तिप्रिय प्रदेश था और यहां जो पर्यटक आते हैं, अपने आप को सुरक्षित महफूज करते हैं और जब दूसरे राज्यों से इस प्रदेश की एंट्री होती है, तो वे एक अच्छा शगुन महसूस करते हैं। प्रदेश में आकर हरे-भरे वृक्ष और कलकल बहती हुई नदियां-नाले, झरने, चाय का बागान और पठानकोट से जोगिन्द्रनगर तक हम रेल में आएं तो हमारा सुन्दर पौंग डैम वहां से यात्री कांगड़ा, चामुण्डा देवी, बैजनाथ, ज्वालामुखी, इस ओर रुख करते हैं । रेल का रुख लेते हैं और रेल का आनंद भी लेते हैं । साथ में जो अंग्रेजों के समय में बनी रेल लाईन थी, उसे महफूज़ रखने में सरकार चाहे वह केन्द्र सरकार है और हमारी सरकार का भी अगर उसमें कुछ सहयोग हो तो उसमें कमी आई है क्योंकि सारी जो ट्रेन्ज़ उस वक्त चलती थी, आज भी वह नहीं चल रही हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

6.4.2016/1505/av/ag/1

श्री किशोरी लाल----- जारी

अगर वे सारी ट्रेनें चल पड़े तो पर्यटक पठानकोट से जोगिन्द्रनगर तक रेल यात्रा को पसन्द करेंगे। रेल यात्रा सस्ती है। पर्यटकों को लुभाने के लिए कई अच्छे स्थान हैं और मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करुंगा कि इस मामले को केंद्र सरकार से उठाएं। यहां पर जो रेलवे स्टेशन तोड़ दिए गए थे या बंद कर दिए थे उन्हें अगर पुनः शुरू किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। प्रदेश सरकार के प्रयत्नों से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और सड़कों का विस्तारीकरण भी हुआ है। यह ठीक है कि सड़कों की संख्या बढ़ी

है उस वजह से प्रदेश में सड़कों की मुरम्मत वर्ष में दो बार करनी पड़ती है। यहां पर बरसात भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हर साल सड़कें टूटती हैं और हमारी सरकार उसको ठीक भी करती है। आजकल भी केबल बिछाने का कार्य चला हुआ है और जगह-जगह सड़कों की खुदाई हो रही है तथा बन भी रही है। लेकिन यह कहना गलत है कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से कुछ नहीं हुआ। मैं बैजनाथ क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। वहां विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां पर हर साल पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पहले वहां केवल मात्र एक सरायं थी। आज जब पर्यटन को बढ़ावा मिला है तो वहां होटलों की संख्या भी बढ़ी है। कई ऐसे स्थान है जहां नदियों के किनारे लोगों ने छोटे-छोटे हट भी बनाये हुए हैं। प्रदेश में जिन लोगों ने निजी होटल बनाये हैं वे टैक्स फ्री हैं। उनसे टैक्स नहीं लिया जाता और अपने घर में ही तीन-तीन, चार-चार कमरे बनाकर लोग उसका फायदा ले रहे हैं। यह ठीक है कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जितना विस्तार होना चाहिए था वह अभी भी नहीं हुआ है। बैजनाथ में कई ऐसे स्थान है यदि उनको हैलीटैक्सी से जोड़ा जाए तो वहां पर पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे बैजनाथ से बड़ा भंगाल, बैजनाथ से तत्तवाणी, बैजनाथ से होली, बैजनाथ से जालसू और बैजनाथ से मणिमहेश का क्षेत्र है। अगर हैलीटैक्सी सर्विसिज शुरू की जाए तो टूरिस्ट निःसंकोच वहां पर आयेगा और यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। किसी भी व्यवसाय को बढ़ावा देना व्यवसायिओं के हाथ में भी है। निजी होटल व्यवसायी होटलों को अपने ढंग से चलाते हैं और जो सरकार के होटल है उनको सरकारी अधिकारी अपने ढंग से चलाते हैं। यही कारण है कि सरकार के बहुत सारे होटल घाटे में है और प्राइवेट होटल फायदे में हैं। सरकारी होटलों में अधिकारी/कर्मचारी हैं और प्राइवेट होटल वाले अपने ढंग से चलाते हैं। हमारे बैजनाथ में सरकार ने एक कैफे भैरव बनाया था। मगर दुख की बात यह है कि

6.4.2016/1505/av/ag/2

पिछली सरकार के समय में उसे बेच दिया गया। अब कहते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। अरे! जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाया था उसको तो बेच दिया। वह आपकी सरकार के समय में हुआ जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा। इसलिए मेहरबानी ऐसी करो कि जो बनाई हुई चीज है उसको तो रहने दो। यहां पर्यटन की कमी नहीं है और हमारे पास बहुत बड़े साधन है। मुझे उम्मीद है कि जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से बीड़-बीलिंग में पैरा ग्लाइडिंग हुई है और विश्व कप में उभर कर आई है। वहां पर 12 महीने

बाहर से पर्यटक आते हैं और पैरा ग्लाइडिंग का आनन्द लेते हैं। इसी तरह और भी कई स्थान हैं तथा मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी वहां भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं ताकि हमारा पर्यटन का क्षेत्र बढ़ सके। बिलासपुर में भी कई स्थान है और हमारी जो झीलें हैं उनमें नौकाएं इत्यादि चलाई जाएं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से दूसरे भी स्थान है। सरकार उन स्थानों को चिन्हित करें ताकि वहां पर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिल सके। मैं यहां पर मुख्य मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया उतराला से जो होली मार्ग है, उसे बनाया जाए।

टीसी द्वारा जारी

06.04.2016/1510/TCV/AS/1
श्री किशारी लाल---जारी

वन मंत्री जी यहां है, इनके पास भी बहुत माल बाहर से आया हुआ है, उस माल को वहां खर्चे और सड़क वहां बन जाये। मैं अधिक न कहता हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । धन्यवाद। जयहिन्द, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

06.04.2016/1510/TCV/AS/2

उपाध्यक्षः अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राजः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त जरूरी प्रस्ताव इस मान्य सदन में आया है जिसे माननीय वीरेन्द्र कंवर जी लाये हैं, हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश अपनी एक अलग सी पहचान रखता है। टूरिज्म के हिसाब से एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है और इसका अपना ही महत्व है। पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह के भी साधन वह लगा सकते थे, उन्होंने लगाए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी सभी सरकारों ने अपने-अपने समय के दौरान टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल की इकोनोमी को अगर कोई

चीज़ ग्रो कर सकती है तो इसके लिए एक तो हाइड्रोपॉवर बहुत बड़ा पॉटेंशियल है और दूसरा टूरिज्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉटेंशियल है। हम कुछ चीजें अलग-अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इस दिशा में कुछ अलग कर पायें हैं, चाहे विरासत में अंग्रेजों के टाईम का मिला हुआ है या किसी पर्टीकुलर समय का मिला हुआ है, हम उसी को संजोए हुए हैं। आज इम्प्लाईमैंट को जनरेट करने या अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो सकता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे विधान सभा परिसन में टूरिज्म की कंटीन भी हम लोग चलाना चाहते थे, लेकिन उस तरह का रिस्पोंस हमें नहीं मिला जिस तरह का रिस्पोंस अधिकारियों की तरफ से हमें मिलना चाहिए था। वह तो एक उदाहरण मात्र हमने दिया है। आप अंदाजा लगाईए कि जहां पर स्पीकर साहिब स्वयं बोल रहे हैं और अन्य सभी माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं कि हम लोग टूरिज्म के हिसाब से ऐसी कंटीन यहां विधान सभा परिसर में डेवैल्प करें कि वहां पर बाहर के लोग भी आ सकें और हम लोग भी युटिलाईज कर पाये। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल के किन्हीं अन्य इलाकों में हम इतना बड़ा कुछ कर सके हैं। बाकी जगहों का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है। मैं चम्बा और चुराह की तरफ जाऊंगा। चम्बा में वहीं डलहौजी है जो लार्ड डलहौजी जी के

06.04.2016/1510/TCV/AS/3

टाईम में थी और खजियार जो एक टाईम अंग्रेजों के टाईम में डेवैल्प हुआ था वहीं है। चम्बा की जो प्रॉपर सीटी है वहां का जो रूमाल है जो उस समय का था वह आज भी चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मणिमहेश में क्या हो सकता था या भरमौर में क्या हो सकता है, डलहौजी या अन्य क्षेत्रों में क्या हो सकता है, भटियात में क्या हो सकता है और चुराह विशेष में क्या हो सकता है? आप लोग आश्चर्य चकित होंगे कि 12 महीने हमें 'स्नो' रोड के साथ कहीं नहीं मिलती यहां तक कि रोहतांग में भी नहीं मिलती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुराह का जो साचपास है वह ऐसा क्षेत्र है जहां 12 के 12 महीने बर्फ देखी जा सकती है और टूरिस्ट उस ओर खींचा भी है क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले शिमला में भी देखा होगा, यहां पर 2 दिन पहले इतनी गर्मी थी कि हमें लग रहा था कि हम लोग चण्डीगढ़ में हैं या शिमला में है तो इस तरह का वातावरण तो यहां पर भी हो गया है। अब हमें नये तरीके से सोचना होगा और मेरा तो माननीय मुख्य

मंत्री जी से यही निवेदन है कि जो अधिकारी है और जिनको लगता है कि हमारी तनख्वाह तो चली हुई है और हम लोग अपनी कुर्सियों पर तब तक काबिज़ है जब तक हमें रहना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वह हम करेंगे और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं सोचेंगे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा --- जारी ।

06/04/2016/1515/RKS/AG/1

श्री हंस राज...जारी

सबको सोचना चाहिए क्योंकि इसी से ही हमारी औलादों का भविष्य उज्ज्वल होगा। हमारी जनरेशनज तभी आगे बढ़ पाएंगी। मैं इस बात से कुंठित हूं, व्यथित हूं और बड़ा दुःखी भी हूं कि इतने वर्षा में हम पर्यटन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जबकि रियल पोटैंशियल टूरिज्म में है। माननीय कौंडल जी सही कह रहे थे कि हम हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में या पौंग डैम, थीन डैम जैसे स्थानों में पर्यटन को बढ़ा सकते थे। परन्तु हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। चुराह विधान सभा क्षेत्र में मैंने साचपास का जिक्र किया जोकि भद्रवाह के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। जो पदरीपास है, सनवाल का इलाका है, चांजु माता का मंदिर है, बैरागढ़ माता का मंदिर है, बैरागढ़ जातर है जो अपने आप में जिला स्तरीय फंक्शन होता है। ऐसे जातरों, मेलों को हमने स्टेट लेवल पर कोई तवज्जो नहीं दी है। अगर हम इन सभी मेलों, तीज त्योहारों को सुनियोजित ढंग से वर्ल्ड मैप या नेशनल लेवल पर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है जिसके लिए मैंने नियम-130 के अंतर्गत चर्चा भी मांगी थी परन्तु वह चर्चा इस मान्य सदन में नहीं लगी है। हिमाचल में हाइड्रो का इम्पैक्ट क्या है और इसमें क्या स्कोप हो सकते थे? हमने शिक्षा की पोलिसी कैसी हो इसके लिए भी चर्चा मांगी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश यह चर्चा इस मान्य सदन में नहीं लगी है और मैं समझता हूं कि कल भी यह चर्चा नहीं लगेगी। हमें सोचना होगा कि नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज कैसे डवेलप हो सकते हैं? अच्छे कर्मचारियों को, अच्छे अधिकारियों को उनके इंटरस्ट के मुताबिक विभाग दिए जाने चाहिए। किसी को भी जबरदस्ती कार्य नहीं सौंपना चाहिए। चम्बा का चुराह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। परन्तु इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुन्दरता को देखते हुए टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है या कैसे उस इलाके की इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता

है? यह इलाका अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटैंशियल है। वहां पर टूरिज्म की अपार सम्भानाएं व्यापत हैं। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06/04/2016/1515/RKS/AG/2

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय कंवर जी टूरिज्म पर प्रस्ताव लाए हैं मैं इसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश एक अति सुंदर प्रदेश है। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। अगर इस प्रदेश को हम थोड़ा सा संवारे तो यह प्रदेश नई नवेली दुल्हन की तरह लगता है। आज इस चीज की हमें बहुत जरूरत है। विदेशों से लाखों की तादाद में लोग यहां आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए , रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला चम्बा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम इसे ठीक तरह से चलाएं तो इससे काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है और आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। आज हमें धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र भटियात की बात करूंगा। वहां पर कुंजर महादेव का मंदिर है जो सहिन्ता चवाड़ी रोड़ पर पड़ता है। वहां के लिए पातका नाम की जगह से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। इसको आज मिनी महेश के नाम से जाना जाता है। शिवजी भगवान पहले कुंजर महादेव आए थे उसके बाद मणिमहेश गए थे। इसका इतिहास लिखा हुआ है। मैंने पिछले 3 वर्षों से कई प्राक्कलन इसकी डवेलपमेंट के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिए परन्तु अभी तक इसका असर पर्यटन विभाग के ऊपर नहीं पड़ा।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

श्री बिक्रम सिंह जरयाल ...जारी

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मणिमहेश की ही तरह जन्माष्टमी और शिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। यह धार्मिक स्थल मेरे घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर कैंपस को हमने स्वयं मिलजुल कर विकसित कर दिया है लेकिन उस स्थल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसके लिए धन का प्रावधान करने की कृपा करें।

इसी प्रकार जिला चम्बा में पाँच नागों के मंदिर हैं। माननीय वन मंत्री जी इन्हें जानते हैं। यह पाँच नाग पाँच पाँडवों के नाम से जाने जाते हैं। पहला खज्जी नाग है जो खजियार में है। खजियार को मिनि स्विटजरलैंड भी कहते हैं। वह नाग युधिष्ठर के नाम से जाना जाता है। इन पाँच नाग मंदिरों के बाहर हडिम्बा माता की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। ऐसा हुआ कि जब भीम जी ने हडिम्बा से शादी का प्रस्ताव किया तो हडिम्बा ने एक शर्त रखी कि जहां पर आप लोगों की पूजा होगी, अगर वहां मेरी पूजा भी हो तभी मैं शादी करूंगी। इसलिए जहां-जहां पाँच नागों के मंदिर हैं वहां हडिम्बा की मूर्ति की भी स्थापना हुई है। इसी तरह दूसरा भिन्तरू नाग है जहां के लिए चवाड़ी से पैदल 12 किलोमीटर चढ़ाई पर जाना पड़ता है। प्रौपर चवाड़ी में भडौर नाग है। इसी तरह एक सुंडरा नाग है और एक छत्राह नाग है। ये सब पहाड़ी क्षेत्र पर बसे हैं जहां बहुत सुंदरता है। वहां बाहर के पर्यटक भी पैदल पहुंचते हैं। जो मैं छत्राह नाग की बात कर रहा हूं, उस रास्ते से मंत्री जी भी गए हैं। वहां चढ़ाई पर मलखड्डी माता का मंदिर भी है जहां से ऊपर भरमौर और महला क्षेत्र हैं। हम आज भी वहां जाते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जाते थे और कई बार मंत्री जी भी गए हैं। कई विदेशी पर्यटक भी उस रास्ते से जाते हैं। इन सब धार्मिक पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक ट्रैक डलहौजी से काला टोप होकर एयर फोर्स स्टेशन से होकर भलवाणी माता जोत, छवारू जोत, फोरू जोत, कपराड़ी जोत होकर घराणु और उसके बाद धर्मशाला स्थित ढल झील तक पहुंचता है। यह एक ही ट्रैक है। मैं उस ट्रैक पर गया हूं और मैं चाहता हूं कि उस ट्रैक का विकास हो। उस ट्रैक पर विदेशी लोग भी जाते हैं। इससे चम्बा और धर्मशाला का पूरा भ्रमण हो जाता है। मुख्य मंत्री महोदय, आप मेरी

बात सुन रहे होंगे। महोदय, इस ट्रैक के लिए धन की आवश्यकता है। धन की उपलब्धता से वहां लोगों को रोज़गार मिल सकता है जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है।

06.04.2016/1520/SLS-AS-2

उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्यटन का विकास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए सड़कों का अच्छा होना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना, वातावरण का सही होना, कानून व्यवस्था का ठीक होना और टैक्सी आदि की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है; तभी पर्यटक यहां पर आएंगे। आज प्रदेश में परंपरागत पर्यटन ढांचे को सुधारने की भी आवश्यकता है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है। अच्छे हाटलों और अच्छी खाद्य सामग्री की उपलब्धता भी ज़रूरी है। इस उद्योग में कार्य करने के लिए अच्छे प्रशिक्षित लोग भी उपलब्ध होने चाहिए। प्रदेश में अधिक-से-अधिक पर्यटन इकाइयां स्थापित करने की भी आवश्यकता है। होम स्टे की इकाइयों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विभाग को हैलि टैक्सी को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे प्रदेश में टूरिस्टों का आना संभव हो सके। इसके लिए अच्छी कंपनियों को मौक़ा दिया जाना चाहिए। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े एयरपोर्ट की भी अवश्यकता है। वे-साईड सुविधाओं को बढ़ावा देने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। पर्यटन के लिए आधारभूत संरचना के विकास की भी प्रदेश में आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अच्छे रेलवे नैटवर्क की भी आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक खेलों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

जारी...गर्ग जी

06/04/2016/1525/RG/AS/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल-----क्रमागत

जैसे हमारे श्री किशोरी लाल जी कह रहे थे कि कुल्लू, बीड़, डलहौजी आदि स्थानों में कई पयर्टन क्रीड़ायें होती हैं। उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। आज प्रदेश को इस बारे में अच्छा बनाने के लिए अच्छे टूरिस्ट गाइड्ज की आवश्यकता है। इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, प्रदेश विकसित होगा और आत्म-निर्भर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रदेशहित में मेरी गुजारिश है कि इस संकल्प को पारित करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए। मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि यहां Laying Dam Water Sports Fishing की जरूरत है, वर्ल्ड हैरिटेज की आवश्यकता है। यहां कई कमियां हैं और पर्यटन की दृष्टि से इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि इस संकल्प को अतिशीघ्र पारित करके केन्द्र सरकार को भेजें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06/04/2016/1525/RG/AS/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को देश तथा विदेशों में पर्यटन की दृष्टि एक विशेष स्थान प्राप्त है। मुझे खुशी है कि आज यह संकल्प यहां पर लाया गया है और सदन के दोनों ओर के माननीय विधायकों ने इसमें भाग लिया है और महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रखे गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश ने धार्मिक, साहसिक धरोहर, ग्रामीण व स्वास्थ्य पर्यटन में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान 9.75% है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को केन्द्र बिन्दु बनाते हुए राज्य

सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि पर्यटन को लगातार बढ़ावा दिया जाए जिसमें भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाए।

प्रदेश में पर्यटन के संतुलित विकास के लिए वर्ष 2005 में नई पर्यटन नीति लागू की गई थी। तत्पश्चात प्रदेश में बढ़ते हुए पर्यटन व्यवसाय के दृष्टिगत तथा पर्यावरण व पर्यटन के बीच सन्तुलन बनाए रखने के उद्देश्य से एक कारगर नीति की आवश्यकता महसूस की गई। अतः प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में Himachal Pradesh Sustainable Tourism Policy बनाई जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य में निर्मित धरोहरों की रेस्टोरेशन तथा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं जैसे कि पार्किंग, मार्गों पर दी जानी वाली सुविधाएं, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटकों के ठहरने के लिए आवास इत्यादि के लिए Asian Development Bank ने 570 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की है जिसके अनतर्गत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 35 स्थानों को विकसित किया जा रहा है। इनमें विशेष पर्यटक स्थल शिमला, धर्मशाला, मनाली, मण्डी, चम्बा, कांगड़ा, नैना देवी, बज्रेश्वरी, चामुण्डा, महाराणा प्रताप सागर में पर्यटक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है।

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2016/1530/MS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी----------

उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए दो Flagship योजनाएं- 'स्वदेश दर्शन' व 'प्रशाद' (Pilgrimage, Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) ड्राइव लागू की गई है। पर्यटन विभाग ने भारत सरकार द्वारा स्वचालित 'स्वदेश दर्शन' स्कीम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की योजनाएं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। जहां तक 'प्रशाद' योजना का प्रश्न है इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से

हिमाचल प्रदेश में Spiritual तथा Buddhist पर्यटन के विकास के लिए 'स्वदेश योजना' के अंतर्गत लाने का अनुरोध किया है।

उपाध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया। केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 7 जनवरी, 2003 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय पूंजी योजना के अंतर्गत उद्यमियों को प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश पर 15 प्रतिशत अनुदान तथा अधिकतम मु030 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत पर्यटन में लघु, मध्यम एवं बड़ी पर्यटन इकाइयों जैसे होटल/रिजोर्ट्स की स्थापना हेतु केन्द्रीय पूंजी निवेश अनुदान योजना को वर्ष 2013 से 2017 तक की अवधि तक बढ़ाया गया है तथा पूंजी निवेश अनुदान की सीमा भी मु030 लाख रुपये से बढ़ाकर मु050 लाख रुपये कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जन-जातीय तथा दुर्गम एवं पिछड़ी पंचायतों में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु पंजीकृत उद्यमियों को होटल या पर्यटन इकाई के प्रचालन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए Luxury Tax के भुगतान में छूट प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नई पर्यटन इकाइयों को भी यह छूट प्रदान करने बारे कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा Aviation Turbine Fuel पर VAT की दर 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी गई है।

06/04/2016/1530/MS/AS/2

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं जिसमें मुख्यतः पर्यटन नीति बनाना व उसको गम्भीरता से लागू करना, राज्य के भीतर पर्यटन विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, केन्द्रीय सरकार को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत कर वित्तीय सहायता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसेकि Asian Development Bank की सहायता से पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश राशि उपलब्ध करवाना इत्यादि शामिल हैं। ऐसे सभी कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। सभी पर्यटन इकाइयों को पहले ही पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त हो रहा है।

क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं जैसाकि मैंने मान्य सदन को विस्तार से अवगत करवा दिया है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की कृपा करे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

06.04.2016/1535/जेएस/एजी/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी--------

हिमाचल में कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे ऊंचे पहाड़ हों, चाहे नीचे के पहाड़ हों हर जगह पर आपको प्राकृतिक सौन्दर्य देखने को मिलता है। इसीलिए यहां पर्यटन को बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं। यह काम जहां सरकार ने करना है वहीं हमारे जो एन्ट्रप्रीन्योर्ज़ हैं, उद्योगपति हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं उनको भी इसमें रूचि लेनी है। भारत सरकार की तरफ से होटल बनाने के लिए, रेस्टोरैंट खोलने के लिए, स्पा बनाने के लिए हर प्रकार की मदद सरकार दे रही है। उसके लिए अगर भूमि की आवश्यकता हो वह भी लाँग लीज़ के ऊपर दी जा सकती है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अगर बाहर से भी कोई उद्योगपति आता है,एन्ट्रप्रीन्योर्ज़ आते हैं, वे भी हिमाचल प्रदेश के अन्दर यदि होटल बनाना चाहते हैं, रिज़ॉर्ट बनाना चाहते हैं सरकार ने उनके लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं, बशर्ते कि वे सचमुच में जो उद्योग यहां पर स्थापित करना चाहते हैं या पर्यटन से सम्बन्धित उद्योग यहां पर स्थापित करना चाहते हैं। हमारा जो कल्चरल टूरिज्म है उसमें तो बहुत अपार सम्भावनाएं हैं। ऐसे तो हमारे प्राचीन मन्दिर हैं जिनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में यात्री आते हैं। मगर और भी ऐसे दुर्गम स्थानों में ऐसे प्राचीन मन्दिर हैं जहां पर अभी यातायात के साधन ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं। उनको भी विकसित करने की आवश्यकता है। बहुत प्राचीन मन्दिर पहाड़ों के अन्दर हैं, जो कि 400, 500 और 600 सालों के पहले से बने हुए हैं। आज तक वे मन्दिर ध्वस्त नहीं हुए हैं। जहां पर कभी एक दिन भी पूजा नहीं रूकी है। ऐसे स्थल हैं। अब लोगों का वहां आना-जाना शुरू हुआ है मगर उनको टूरिज्म के लिहाज से और जो वहां पर श्रद्धालु आना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले इस लिहाज से उनको भी विकसित करने की आवश्यकता है। मैं

चाहूंगा कि ये उद्योग कोई सरकारी ही नहीं बल्कि इनमें आम जनता भी शामिल हो सकती हैं। वे अपने घरों में होम स्टे के लिए कमरें बना सकते हैं ताकि जो पर्यटक आएं उनके लिए कमरे उपलब्ध हों। उससे जो पर्यटक हैं

06.04.2016/1535/**जेएस/एजी**/2

उनको भी लाभ होगा और जो उनको बनाएंगे उन्हें भी लाभ होगा। ये सब स्कीमें हैं, जो करने को हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत सरकार काफी हद तक अपने बजट के मुताबिक हिमाचल की मदद कर रही है। कुछ स्कीमें हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश को शामिल ही नहीं किया गया है। उस बारे में मैं भारत सरकार को फिर से लिखूंगा कि जब दूसरे पहाड़ी राज्यों को उसमें शामिल किया गया है, कुछ अन्य राज्यों को उसमें शामिल किया गया है तो हिमाचल प्रदेश को भी उसमें शामिल किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः क्या माननीय मुख्य मंत्री जी संकल्प वापिस लेने के लिए कहेंगे?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है यह बहुत अच्छा प्रस्ताव था। इसके ऊपर अच्छी चर्चा हुई है। इससे सरकार की नीति भी अवगत हुई है और जो आपके विचार थे वे भी हमें प्राप्त हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ज़वाब दिया है, जो मैंने पर्यटन की रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी है, जो काम हुए हैं और जो आगे काम होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके आप अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री वीरेन्द्र कंवर एस0एस0 की बारी में.....

06.04.2016/1540/SS-DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने सरकार से यही अनुरोध किया था कि पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहां बहुत ज्यादा इंवैस्टमैंट की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ केन्द्र से यह अनुरोध किया जाए कि उसी तर्ज़ पर हिमाचल को पैकेज मिले ताकि हम इस पैकेज से क्षेत्र में रोज़गार पैदा कर सकें। इसमें मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं और सदन व प्रदेश की भावना भारत सरकार को जाए।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री वीरेन्द्र कंवरः सर, मेरा अनुरोध है कि केन्द्र को इस प्रस्ताव को भेजें।

उपाध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की तर्ज़ पर पर्यटन पैकेज की मांग की जाए।

संकल्प ध्वनिमत से अस्वीकार हुआ।

अब श्री महेन्द्र सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

06.04.2016/1540/SS-DC/2

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, नियम-101 के अन्तर्गत मैंने जो विषय दिया है। --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, पहले आप अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने जो विषय लिखित में विधान सभा सचिवालय को दिया था, उस टैक्स्ट के मुताबिक उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं किः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक ठोस नीति का गठन किया जाए।"

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक ठोस नीति का गठन किया जाए।" माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी अब आप बोलिये।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, आज के जितने भी संकल्प हैं चाहे वह सम्मानीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी का संकल्प था, इसके बाद वीरेन्द्र कंवर जी का था, सारे हिमाचल प्रदेश

को लेकर सबकी चिन्ता है। मैंने तो वैसे विधान सभा सचिवालय से आग्रह किया था कि मेरा और रविन्द्र रवि जी का जो विषय है उसको इकट्ठा कर दिया तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन सिर्फ प्रश्न इतना हुआ कि मुख्य मंत्री महोदय ने इनके संकल्प का उत्तर देना था और वन मंत्री महोदय ने मेरे वाले संकल्प का उत्तर देना है।

06.04.2016/1540/SS-DC/3

उपाध्यक्ष जी, बहुत बड़ी चर्चा प्रदेश की सुन्दरता या खूबसूरती के बारे में हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सुन्दरता का जो सबसे बड़ा कारण है वह इस प्रदेश की हरियाली है। यहां की वानिकी है। यहां जो हरे-भरे जंगल हैं उनकी वजह से खूबसूरती है। प्रदेश सरकार चाहे उस तरफ की हो या हमारी सरकार हो, सभी के प्रयास रहते हैं कि हम प्रदेश के इस हरे-भरे क्षेत्र को और ज्यादा हरियाली में कैसे तबदील कर सकें। उसमें सबने प्रयास किये हैं और सब प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से और अन्य बहुत देशों के सहयोग से बड़ी-बड़ी योजनाएं हमारे इस प्रदेश में वानिकी के लिए मिल रही हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2016/1545/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

उन परियोजनाओं में चाहे वह मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना हो, चाहे जायका जैसी योजना हो, चाहे कण्डी प्रोजैक्ट हो या फिर हमारा ट्राईब्ल एरिया है और उसमें भी विशेषकर जो लाहौल-स्पिति का क्षेत्र है और उपाध्यक्ष जी आपका क्षेत्र है, वहां के लिए शीत मरुस्थल योजनाएं भारत सरकार और विदेशों से फंडिंग होती है। मेरा इसमें कुछेक सुझाव है उदाहरण के रूप में जैसे जर्मन सरकार की तरफ से जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है उस योजना का जो कि 600 पंचायतों के लिए राशि लगभग इसमें मुझे नहीं मालूम, कई बार 285 करोड़ कहते हैं, कई बार 310 करोड़ कहते हैं, हमारे इस प्रदेश के दो जिलों के लिए मिल रही है। उपाध्यक्ष जी, मेरी व्यक्तिगत चिन्ता हो सकती है, हो सकता है कि उसमें आप लोगों की राय अलग हो। मेरी व्यक्तिगत चिन्ता यह है कि जर्मन सरकार या

जायका की जो परियोजना है, जापान की जो सरकार है वह जब किसी योजना का स्वरूप बना कर इस देश में और विशेषकर जब हमारे प्रदेश के बीच में लाती है तो उनकी अपने वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां की जो सामाजिक परिस्थितियां है, जिस प्रकार से उन्होंने इम्पलीमेंटेशन वहां पर किया है, उस प्रकार का इम्पलीमेंटेशन वे हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं। अभी उन देशों के साथ अपने प्रदेश के जन-मानस की अगर हम तुलना करें तो मैं महसूस करता हूं कि हम अभी तक उस जागरुकता के लिहाज से उनसे काफी पीछे हैं। उससे क्या होता है कि जब हमारे प्रदेश में कोई योजना आती है, जैसे कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एशियन ड्वैल्पमैंट बैंक की एक 500 करोड़ रु0 की योजना टूरिज्म की दृष्टि से हमारे प्रदेश को मिली है। मेरा इसमें एक सुझाव है, ठीक है कोई बाहर का देश या भारत सरकार अगर किसी परियोजना को हिमाचल प्रदेश के लिए फंडिंग स्वीकृत करती है तो हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को, हिमाचल प्रदेश की विधायिका को चाहिए कि हम उस परियोजना का स्वरूप जब तैयार करें तो हमारे यहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहां का जो सामाजिक परिवेश है, अगर हम उसके मुताबिक करें तो वह योजनाएं यहां पर सफल हो सकती है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि योजनाएं आ रही है, ओवरलैपिंग पंचायतों के बीच में हो रही है। कुछ क्षेत्रों की पंचायतें बार-बार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ली जा रही है और कुछ क्षेत्रों की पंचायतें उससे भी वंचित रखी जा रही है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी अभी कहा कि हमारे प्रदेश में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र भी है, मध्यम ऊचाई वाला क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। अब

06.04.2016/1545/केएस/एजी/2

हम मैदानी क्षेत्र में भी उसी योजना का उसी तर्ज पर काम करें जो मध्यम ऊंचाई वाला है, उसमें भी और जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, उसमें भी उसी तर्ज पर काम करें तो मैं समझूंगा कि हम बहुत बड़ा धोखा उन योजनाओं के स्वरूप को बनाती बार करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे छोटे-छोटे सुझाव हैं, माननीय मंत्री जी आपके पास विभाग है और विभाग में

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

6.4.2016/1550/av/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागत

अगर आप उचित समझें तो जो योजनाएं आपको मिल चुकी हैं। योजनाएं जिस स्वरूप में या जिस उद्देश्य से भारत सरकार से स्वीकृत होकर आ चुकी है अगर आप उसमें भी प्रयास करें तो मैं ऐसा समझूंगा कि हमारे प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जब किसी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है तो उस वक्त हम यह मानकर चलें और इतना परहेज करके चलें कि जो धनराशि जिस योजना के लिए मिली है वह धनराशि उसी उद्देश्य से खर्च हो । हम सभी चुने हुई नुमाइंदे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इन योजनाओं के बारे में अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखते नहीं है, सुनते हैं। देखने में हमें कुछ नहीं मिलता और इसके लिए हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप गुनहगार है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का जो तंत्र है हम उस तंत्र से पिछड़ चुके हैं। बहुत सारी योजनाओं के अंदर प्राइवेट सैक्टर भी है और गवर्नमैंट सैक्टर भी है। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के अंदर हमारी पंचायतें और पंचायतों के चुने हुए नुमाइंदें भी शामिल हैं। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के अधिकारी जो वहां पर डैपुटेशन पर गये हैं वे भी उसमें शामिल हैं। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जो इन योजनाओं के बारे में इस मान्य सदन में आंकड़े आते हैं, हम जानते हैं कि आप हाउस में सारे आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन जब हम जिला की बैठकों में देखते हैं या विधान सभा कमेटीज की बैठकों में देखते हैं और विभागीय अधिकारी सारे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम इन बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा वैस्टेज करने जा रहे हैं। हमारा वनों के साथ एक ऐसा रिश्ता है जैसे हाथ का रिश्ता मुहं से होता है। खाना खाते हुए अगर लाइट चली जाए और हाथ में ग्रास होगा तो वह नाक, कान या सिर की तरफ नहीं जायेगा बल्कि सीधा मुहं की तरफ जायेगा। उसी प्रकार से वन, मानव और पशु धन का एक ऐसा रिश्ता है कि हम एक-दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इन सारे वनों को संजोया है, संवारा है तथा इनको सम्भाल कर रखा है। हम इसको एक धरोहर के रूप में जनरेशन टू जनरेशन आगे सौंप रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जंगल केवलमात्र फुलणू, नीला फुलणू, कांग्रेस घास और उजड़ू से भर गये हैं। आज

हमारे जंगल में केवल चार घास की प्रजातियां दिखाई दे रही हैं। विशेषकर हमारे मध्यम और निचले क्षेत्र के जंगल झाड़ीनुमा रह गये हैं। क्या कारण है? हमारी परियोजनाएं आ

6.4.2016/1550/av/ag/2

रही है, हमारा पौध रोपण हो रहा है। क्या वजह है, वह पौध रोपण कहां जा रहा है? उन परियोजनाओं की धनराशि कहां जा रही है, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। हम जब आंकड़ों को देखते हैं तो उनमें पाया जाता है कि हमने इस बार इतने करोड़ रुपये नीला फुलणू को निकालने के लिए खर्च कर दिए

टीसी द्वारा जारी

06.04.2016/1555/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह ---जारी

लेकिन हम किसी तारगेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आज यही वज़ह है कि जंगल खाली हो चुके हैं, एक समय था कि इन जंगलों में बहुत ज्यादा फलदार पेड़ हुआ करते थे और जो जंगली जानवर है चाहे वह वॉनर है, जंगली सुअर है, चाहे पक्षी है, उनको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता था। आज ये जंगल उजाड़ हो गये हैं और उजाड़ होने की वज़ह से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उन्होंने भी अपना पेट भरना है और वे जंगलों से हट करके अब गांव की तरफ आ गये हैं। मेरा माननीय वन मंत्री जी से एक निवेदन है, मैं इनको एक सुझाव दे रहा हूं, आप सैटेलाईट से पूरे हिमाचल प्रदेश के जंगलों का और प्राईवेट लैंड जो किसानों और बागवानों की है उसकी एक सर्वे रिपोर्ट मांगे कि पहले जो प्राईवेट लैंड थी, जो जमीने किसानों और बागवानों की थी उनमें इन 20 वर्षों के बीच कितनी हरियाली आई है। इस प्रदेश में आपके जो जंगल है, उन जंगलों में कितना विरानपन व उजड़े हुए जंगल वन विभाग के दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी वज़ह से नहीं है आप 3 साल से मंत्री बने हुए है और आपकी वज़ह से यह हुआ है ऐसा नहीं है। ये जो जंगलों को ग्रहण लगा है उस ग्रहण की वज़ह से क्या हुआ कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो किसान/बागवान है उन्होंने पेड़ों की तरफ विशेष ध्यान दिया। हम आंकड़ों पर जाते रहे कि हमने इतने लाख पौधे लगा दिए लेकिन जो प्राईवेट सैक्टर है, हमारी उन माताओं/बहनों ने सोचा कि अगर हमने अपनी

गायों/भैसों से दुध हासिल करना है तो हमें ब्युहल,करियाल और दूसरे जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, वह अपनी प्राईवेट लैंड में लगाने पड़ेंगे और उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आज इसी वज़ह से ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जंगल खत्म हो गये हैं और सारे-के-सारे जंगली जानवर, पशु पक्षी किसानों/बागवानों की जमींनों के अन्दर अपने पेट का पालन-पोषण कर रहे हैं। आपके पास बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जैसे मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर विद्युत परियोजनाएं लग रही है उन विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से आपके पास 'कैम्पा' का पैसा आ रहा है 'कैट प्लॉन' का पैसा आ रहा है लेकिन उस कैम्पा के पैसे का सदपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देख रहा था, आपके कैम्पा का पैसा भवन निर्माण के लिए जा रहा है, कुल्लू के दशहरा के लिए जा रहा है, यदि कोई नेचुरल कैजुअल्टी हो रही है तो उसमें कैम्पा का पैसा जा रहा है। कैम्पा का पैसा किसी कैचमैंट के लिए

06.04.2016/1555/TCV/AS/2

मिला हुआ है, उस कैचमैंट में पौधरोपण हो, स्वायल कंजर्वेशन का काम हो, फल्ड प्रोटैक्शन का काम हो तब हम ऐसा महसूस करेंगे कि जिस मंशा को लेकर ये पैसा विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हमें मिल रहा है उस पैसे का सदपयोग वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार से जैसे स्वां चैनेलाईजेशन के लिए पैसा आया हुआ है उस स्वां नदी चैनेलाईजेशन में भी एक हिस्सा फॉरेस्ट डिर्पाटमैंट को दिया जा रहा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा आई0पी0एच0 को दिया जा रहा है कि आपने फल्ड प्रोटैक्शन का काम करना है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि फल्ड प्रोटैक्शन, स्वॉयल कंजर्वेशन का काम आपके फॉरेस्ट,आई0पी0एच0, एग्रीकलच्चर विभाग भी कर रहे हैं और आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय भी कर रहा है। इसके कारण ओवर लैपिंग हो रही है। काम एक एजेंसी ने किया हुआ है और उसको 3-3 एजेंसियां दिखा रही है कि ये काम हमने किया है। ये जो गडबड़ियां हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां भी इस प्रदेश के अन्दर स्वॉयल कंजर्वेशन का काम होना है वह स्वॉयल कंजर्वेशन का काम या तो आई0पी0एच0 करें या फिर स्वॉयल कंजर्वेशन विंग (एग्रीकलच्चर) करें तो इसमें ओवर लैपिंग की संभावना घट जाएगी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा --- जारी।

06/04/2016/1600/RKS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह..जारी

मैं सरकार से चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में भी कुछ बातें नहीं आती हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। इस प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 'वन लगाओ, रोजी कमाओ' योजना बनाई गई थी। आप जब तक प्यूपलज पार्टिशपेशन को इस प्रदेश के अंदर बढ़ावा नहीं देंगे, इसको मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके जंगल सुरक्षित नहीं होंगे। मेरे चुनाव क्षेत्र की पैहड़ पंचायत में एक जंगल है। उस जंगल की एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी ने उस जंगल में बान के वृक्षों का पौधरोपण किया है। उस जंगल की जो कमेटी बनी है या जो उस क्षेत्र का महिला मंडल है उन्होंने इस जंगल को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है कि जब तक ये बान के पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक हम यहां पर किसी भी व्यक्ति को एंटर नहीं होने देंगे। इस तरह की बड़ी परियोजना जब आपके पास भारत सरकार से, विदेशों से फंडिंग के लिए आती है तो उस वक्त हमें बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम 1500 करोड़ देंगे, हम यहां पर ऐसा कर देंगे लेकिन असलियत कुछ और होती है। मुझे इस बात का मालूम है क्योंकी मैं भी मंत्री पद पर रहा हूं। उनके सेमीनार ही खत्म नहीं होते हैं। आज दिल्ली में मीटिंग है, अब आप जापान आ जाओ, अब आप फलां जगह आ जाओ। मंत्री तो ऐसी मीटिंगों में एक ही जाएगा। इसमें अधिकारियों के घुमने-फिरने की मौज लगी रहती है। पैसे का सबसे बड़ा दुरुपयोग इन मीटिंगों में किया जाता है, सैर-सपाटे में किया जाता है। इसलिए इस सैर-सपाटे को कम किया जाना चाहिए। इस मान्य सदन में पहले भी यह चर्चा हुई थी कि हमारे पास पौधों को तैयार करने की कितनी क्षमता है। हमारे पास कितनी नर्सरीज हैं? उन नर्सरीज में हमारे पास कितनी जमीन है? कितने पौध हम वहां पर उगा सकते हैं? आप इस बात को सुनिश्चित करें। यह मेरा आपके लिए सुझाव है। क्योंकि जो यहां पर इन कुर्सियों में बैठता है उनके ऊपर सबकी नजरें होती हैं। जब सबकी नजरे होती हैं तो अपने आप को जितना बचा

06/04/2016/1600/RKS/AS/2

सकते हैं बचा लेना चाहिए। इस प्रदेश के अंदर इस हाऊस के बीच में कहा गया कि 512 नर्सरीज हैं। फिर कहा गया कि 712 नर्सरीज हैं। उसके बाद कहा गया कि 563 नर्सरीज हैं।

वन विभाग इस बात को सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि इस प्रदेश के अंदर कितनी नर्सरीज हैं? कितने हैक्टेयर का क्षेत्र उनके पास हैं? क्या जहां-जहां उनकी नर्सरीज हैं, वहां-वहां वन विभाग नर्सरीज तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 2 नर्सरीज हैं लेकिन वहां पर कोई भी पौधा तैयार नहीं किया जाता है। जब पौधा ही तैयार नहीं किया जाता है तो पौधरोपण कहां से किया जाएगा? हमे सरकारी क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। हमे प्राईवेट क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम प्राईवेट क्षेत्र की नर्सरीज से पौधा लेने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही ज्यादा अंगुलियां सरकार की तरफ उठेंगी। हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने कहां-कहां किस प्रकार के पौधे लगाने हैं? जैसा मैंने कहा कि इंसान का और जो हमारे माल मवेशी हैं तथा जो जंगली जानवर हैं उनका एक मिलाजुला रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, उस सामाजिक रिश्ते को टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। अगर इस सामाजिक रिश्ते को हम तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वे हमारा नुकसान करेंगे। मैंने देखा है कि आपके प्लांटेशन में पहले तो चीड़ की प्लांटेशन की जाती थी लेकिन उससे हटकर अगर हम दूसरी प्लांटेशन करें, जो हमारे मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के वन है, जो मैदानी क्षेत्र का एरिया है अगर उसमें हम ऐसे पौधों का पोधरोपण करें जिससे हमारे जंगली जानवर तथा पशु-पक्षियों को भी प्र्याप्त मात्रा में भोजन मिलें।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

06.04.2016/1605/SLS-AS-1

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

जैसे कि पीपल का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, प्लम का पेड़ या इसी तरह के अन्य पेड़ हैं, अगर हम ऐसे पेड़ लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जहां ऐसा प्लांटेशन एरिया है वहां के फोरैस्ट गार्ड, चौकीदार और राखे यह देखें कि जितनी गिनती में प्लांटेशन हुई है, उसके लिए अगर दो गर्मियों तक पानी की व्यवस्था की जाए, तभी वह प्लांटेशन कामयाब हो सकती है। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस जंगल में किसी भी हालत में आग नहीं लगनी चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि जंगल में आप प्लांटेशन के लिए जिस एरिया को चिन्हित करते हैं, उसी एरिया में आपके लोग आग लगा देते हैं। जब पूछें कि यह

आग क्यों लगाई जा रही है तो कहा जाता है कि चील की पत्तियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं, अगर यह पड़ी रहेंगी तो कहीं किसी किसान-बागवान का नुकसान न करें, इसके लिए इन्हें जलाया जाता है। उनसे किसान-बागवान का नुकसान नहीं होता। नुकसान सबसे बड़ा वन विभाग का होता है। यह अपनी उस चोरी को छिपाने का एक रास्ता है कि हमने प्लांटेशन तो की नहीं है और आंकड़े भेज दिए हैं। इन आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए अगर कल को कोई मंत्री, एम.एल.ए. या अधिकारी आ जाएगा तो क्या जवाब देंगे। क्योंकि प्लांटेशन तो हुई नहीं है, इसलिए अपनी उस चोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता है।

स्वॉयल कंजर्वेशन के बारे में भी मेरा एक सुझाव रहेगा। अब जलवायु में पूरे संसार के बीच बहुत ज्यादा परिवर्तन होने जा रहा है। अनटाइमली वर्षा हो रही है। जब वर्षा होती है तो इतने ज़ोर से होती है कि वह बादल फटने का स्वरूप ले लेती है। आज जल संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए हमारा प्रदेश इसलिए सबसे उपयुक्त प्रदेश माना जा रहा है क्योंकि हमारे यहां पर जो गहरे-गहरे नाले और खड्डें हैं, आप उन पर अगर रेन वॉटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत सही रहेगा। लेकिन वह किसी इंजीनियर की टैक्निक के माध्यम से बनें। वह फोरैस्ट

06.04.2016/1605/SLS-AS-2

गॉर्ड, रेंजर या डी.एफ.ओ. के माध्यम से नहीं बनने चाहिए क्योंकि उनको यह पता नहीं होता कि रेन हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे, उनके लिए सरिये की डिजाइनिंग कैसी होगी या कंक्रीट की थिकनैस कितनी होगी? मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस प्रकार के छोटे से लेकर बड़े-बड़े रेन हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर्ज़ बनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे देश में भी और संसार में भी पीने के पानी का संकट होगा, तब हम यहां से पानी बेचकर दूसरे प्रदेशों को भेज सकते हैं। हमारे जंगली जानवरों और पक्षियों को भी इन स्ट्रक्चर्ज़ से पीने के लिए पानी मिलेगा और इनसे हमारा वॉटर टेबल भी रिचार्ज हो जाएगा, जो इस समय नीचे जा रहा है। यह मेरा एक छोटा-सा सुझाव है। अगर आप इसको ठीक समझें तो इसे भी मानें।

जब आप कोई डी.पी.आर. या प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाएं तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज इस प्रदेश के अंदर किसान की खेती और बागवान के बगीचों का सर्वनाश करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वानरों के कारण आ रही है। आपने इस हाऊस में माना है कि हम प्रदेश में वानरों के लिए वानरशालाएं बनाने जा रहे हैं। आप जिस एरिये में फलदार पौधों की प्लांटेशन करने जा रहे हैं उस एरिये को आप चिन्हित करें, वहां पर वानरशालाएं बनाएं। वानर जितना नुकसान करते हैं उससे कहीं बीसवें हिस्से की व्यवस्था अगर आप वहां पर उनके खाने के लिए कर दें तो उससे भी हमारे किसानों-बागवानों को छुटकारा मिलेगा।

मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि जो मेरे यह छोटे-मोटे सुझाव हैं, जिनमें कि पानी के स्त्रोत, पशुधन, चारे की व्यवस्था आदि की बातें शामिल हैं, इन पर गौर करने की कृपा करें। जब हम वनों को ठीक प्रकार से देखेंगे, वहां से नीला फुलनु आदि को निकालेंगे तो वह ठीक से बढ़ेंगे।

मेरा एक और सुझाव रहेगा कि आप जंगलों में चन्दन का पौधारोपण भी ज़रूर करें।

जारी...गर्ग जी

06/04/2016/1610/RG/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

मैंने तो खुद भी अपनी जमीन में चंदन के पौधे लगाए हुए हैं और वे अब पौधे नहीं बल्कि पेड़ बनने जा रहे हैं। चंदन एक ऐसा धार्मिक पेड़ है जो कुछ वर्षों के उपरांत कमाई का सबसे बड़ा स्त्रोत हमारे प्रदेश और वन विभाग के लिए बन सकता है। इसके अतिरिक्त वह पेड़ हमेशा हरा रहता है और चौबीस घण्टे वह पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल के पेड़ जंगलों में लगाएं, भूमि कटाव को रोकने के लिए वट के वृक्ष लगाएं और अन्य चीजों जैसे बेल, रूद्राक्ष इत्यादि के वृक्ष लगाएं ताकि हम जब प्रदेश के लिए कोई योजना बनाएं, तो योजना बनाते समय चाहे वह विदेशों से फण्डिग की योजना हो, चाहे वह भारत सरकार की फण्डिग की योजना हो या चाहे वह प्रदेश सरकार की अपनी फण्डिग से कोई योजना बन रही हो, योजना का आकार बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हम जो योजना बना रहे हैं, यहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर हम

उस योजना का आकार और स्वरूप बनाएंगे, तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि हमने जो अपनी प्रैक्टिकल योजना बनाई हुई है, वह हमारे अपने उस क्षेत्र के लिए लाभकारी योजना के रूप में साबित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

06/04/2016/1610/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

वन मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प यहां पेश किया है, मैं इस सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने उसके माध्यम से बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। पहले इन्होंने फरमाया कि हम फॉरेन की एड से जो भी प्रोजैक्ट बनाते हैं उनको हमें क्लाईमेट के मुताबिक नीचे और ऊपर की ऊंचाई को देखते हुए ये प्रोजैक्ट्स बनाने चाहिए। आज दिन तक जितने प्रोजैक्ट्स बने हैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही बने हैं और उसके मुताबिक लोगों की भागीदारी, प्रतिनिधियों की भागीदारी और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी इसमें शामिल की गई है। जैसे इनका सपना है कि जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर उन्होंने हमें सौंपी है जैसे आजादी हमें मिली है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या हिन्दुस्तान के लोगों ने हमें आजादी दिलाई है, वैसे ही इस जंगल के साथ हमारा जीवन से लेकर मरण तक का रिश्ता है और इसके साथ हम हर लिहाज से जुड़े हुए हैं, आबहवा से भी जुड़े हैं और इससे हमें कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। इसके अतिरिक्त जो मिड हिमालय जलागम योजना है इसके तहत सात सौ कुछ पंचायतें इसमें आती हैं, हमारे लोगों ने कार्बन क्रेडिट तैयार किया है। उसमें यह भी प्रावधान है कि जो लोगों की भागीदारी है उसमें से उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। जर्मन वालों ने उसका सर्वे किया और उनकी टीम यहां आई और कार्बन क्रेडिट तैयार हुआ। उसके मुताबिक उनको परमानेंट रोजगार मिलना शुरू हो गया। यह एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि यह रोजगार का एक माध्यम है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा माननीय सदस्य ने फरमाया कि यह जो के.एफ.डब्लू. प्रोजैक्ट है, ये दो जिलों में आया है।

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2016/1615/MS/AG/1

वन मंत्री जारी----------

ऐसा नहीं है इसमें पूरे ही जिले शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने देहरा छोड़ दिया या कोई कांगड़ा का पार्ट या कांगड़ा की तहसील/सब-डिवीजन छोड़ दिया। This is for whole of Kangra and Chamba Districts. यह ठीक है कि इसमें पहले गलती से ट्राइबल एरिया छोड़ दिया था। अब उसको दुबारा से स्वीकृति के लिए भेजा गया, जैसे इन्होंने सुझाव दिया और उसकी स्वीकृति वहां से आ गई थी। अब इसमें कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है। इसका फर्स्ट ईयर प्लानिंग का है। प्लानिंग हो गई और अब अप्रैल के बाद फील्ड में उसमें काम होना है। जैसे लैंटाना रिमूवल का है उसके लिए 35 प्रतिशत पैसे का इसमें प्रावधान रखा गया है। -(व्यवधान)-

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, इस बारे में मेरा प्रश्न लगा था। पहले इन्होंने कुछ कहा है और अब मंत्री जी उसका उल्टा जवाब दे रहे हैं।

Deputy Speaker: Please let him speak. Not to be recorded. यह कोई तरीका नहीं है। I am not allowing you. Please sit down.

वन मंत्रीः आप सुन लीजिए। आपको बाद में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। You can listen to me later on. I will give you reply. Why are you worrying?-(व्यवधान)ठीक है।

श्री रविन्द्र सिंहः के0एफ0डब्ल्यू0 बैंक का नाम है जिसके द्वारा फण्डिंग हो रही है।

वन मंत्रीः यह के0एफ0डब्ल्यू0 प्रोजैक्ट है। आपने ठीक कहा कि वहां से फण्डिंग

हो रही है लेकिन इसको के0एफ0डब्ल्यू0 प्रोजैक्ट के नाम से बोलते हैं। जो स्वीकृति आई है वह के0एफ0डब्ल्यू0 के नाम से ही प्रदान हुई है। इसमें अगर कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो आप पूछ सकते हैं। जहां तक महेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि इसमें पता नहीं पैसे का कितना प्रावधान है। कोई बोलता है कि 285 करोड़ रुपये है और कोई बोलता है कि शुरू में 310 करोड़ रुपये था। यह फ्लक्चुएशन क्यों आती है? ऐसा है, डॉलर के हिसाब से कीमत घटती और बढ़ती रहती है। -(व्यवधान)- हां, तभी तो एक साल की एक्सटैंशन हुई है।

श्री रविन्द्र सिंहः मिसयूज हो रहा है।

वन मंत्रीः मिसयूज हो रहा है तो बताइए कि कहां मिसयूज हुआ है? You give in writing. जहां गड़बढ़ हुआ है, उसके ऊपर जांच करवाएंगे और गौर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसे गड़बढ़ नहीं होने देते। हो सकता है कि पहले कुछ हुआ होगा, I don't know. जहां तक प्रोजैक्ट बनाने की बात है, मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऑफिसर और हम लोग ही इसे बनाते हैं। यह क्लाइमेट के मुताबिक है और उसके मुताबिक ही स्वीकृति आती है। जहां तक नर्सरीज की बात कही गई है हिमाचल प्रदेश में पहले 512 नर्सरीज थी फिर वे बढ़कर 712 हुईं। उसके अनुसार ही उसमें पौधे उगाए जा रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र की बात की है कि वहां भी दो नर्सरीज हैं जिनमें कोई प्लांटेशन नहीं उगाई जा रही है। मैं इस बात की जांच करवाऊंगा कि यदि नर्सरीज हैं तो वे किन कारणों से बन्द पड़ी हैं। आपके समय में कुछ नर्सरीज बन्द हुई थीं लेकिन हमने आते ही वे शुरू करवा दी थी। वे पता नहीं कैसे रह गई। अगर वहां पर नर्सरीज प्लांटेशन योग्य होगी तो जरूर उसको हम दुबारा से चालू करेंगे। हम जो प्लांट्स इनमें उगाते हैं, अब वह पहले वाला सिस्टम नहीं है। पहले छोटे पौधे लगाते थे अब टॉल प्लांटेशन लगेगी यानी जब पौधा बड़ा होगा, तब लगेगा। यह भी अब हमने एक फैसला किया है। जैसे आपने कहा कि जो आपका अच्छी प्लांटेशन वाला एरिया है वहां विभाग वाले आग लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है। विभाग वाले कहीं आग नहीं लगाते हैं। यह ठीक है कि अगर कहीं पत्ते वगैरह इकट्ठे किए हों या चलाफू वगैरह इकट्ठे किए हों तो उनको एक ढेर के रूप में इकट्ठा करके जला देते होंगे, यह दूसरी बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्सरीज को छुपाने के लिए या कोई हेराफेरी कर रहा है इसलिए गार्ड,

06/04/2016/1615/MS/AG/3

ब्लॉक ऑफिसर या रेंज ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। न ही तीन सालों में ऐसा हुआ है जब से मैंने टेकओवर किया है और न ही आगे होगा।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

06.04.2016/1620/**जेएस/एजी/1**

वन मंत्रीः----जारी-------

जहां तक आपने बात की है कि यह जो केंपा का पैसा है इस पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। कोई कहां को जा रहा है और कोई कहां को जा रहा है। केंपा का पैसा मैक्सिमम प्लांटेशन पर ही खर्च होता है। आप मेरे ख्याल में अभी चम्बा से भरमौर नहीं गए, मैं उदाहरण देता हूं। बाकी प्रदेशों की बाद दूसरी है वहां भी शुरू हुआ है। जहां भी प्रोजैक्ट वालों ने मक डिस्पोजल साईट की थी, चमेरा-। से ले करके और जो कुठेड़ और होली पर, रावी पर पर प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, जो बन बन रहे हैं वह तो ठीक है उनकी मक डिस्पोजल साईट है। लेकिन जो एन.एच.पी.सी. के तैयार हैं और एस.सी.सी. ने जिनको बनाया है, चमेरा-।, चमेरा-॥, और चमेरा-॥। इसमें जो साईड में और हंस राज जी ने देखें होंगे, इसमें साईड में जो मक फैंका था सड़क के किनारे वहां पर आप देखें अब जंगल तैयार हो गया है और वहां पर मिक्स प्लांटेशन लगाई है। वहां पर चौकीदार भी रखा है जैसे कि आपने कहा कि चौकीदार भी होना चाहिए। जब गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें पानी देने का भी प्रबन्ध होना चाहिए और वह भी किया है। उसमें बार्बड लगा करके, फैंसिंग लगाई है उसमें इन्टर लिकिंग चेन बाकायदा लगाई है। You can see on the road. वह बिल्कुल रोड़ पर है। उसको इन्टर लिंकिंग चेन लगाई है। उसके तहत वह प्लांटेशन की गई है और पांच साल में वह जंगल तैयार हो जाएगा। जब आपने दूसरे इलैक्शन 2017 के लिए जाना तब आप देखेंगे कि जंगल तैयार हो गया है। --(व्यवधान)----कंवर साहब जब आप बोल रहे थे तो मैंने इन्टरवीन नहीं किया। आप लोगों को आदत पड़ गई है। You have to amend it. ये जो कुछ मुद्दे रेज़ किए थे मैंने उनका आपको उत्तर दिया है बाकी आपके जो सुझाव हैं और बाकायदा यदि कोई सुझाव इनमें से छूटा है तो इसको हम जरूर कंसीडर करेंगे और उसको पोलिसी बनाएंगे। दूसरे, आपने कहा कि ये जो मल्टीपरपज़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं।

फोरैस्ट वाले अलग से कर रहे हैं स्वायल कंजरवेशन का, आई.पी.एच. वाले अलग से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/2

अलग से कर रहे हैं। इस बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि क्यों न ऐसी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा किया जाए और एक ही डिपार्टमैंट को पैसा दिया जाए ताकि उसमें जो गड़बड़ का अंदेशा रहता है वह न हों। उसमें तो हम सब की डियुटी है हमें यह चैक करना चाहिए कि ऐसी कोई बात न हो, जैसे कि एक मेरे भाई कल बोल रहे थे या आज बोल रहे थे कि जो डंगा लगता है उसका भी पता नहीं होता है। जो वॉटरशैड बनता है उसका भी पता नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है practically you have to see on the spot कि जो पंचायतें मिड हिमालय में हैं या KfW में आई हैं, जो पहले चंगर प्रोजैक्ट के तहत बना था वे तालाब सूखे नहीं हैं। यह ठीक है और अच्छी बात है वे तालाब जो पुराने समय में बने हैं, वे आज भी हैं। जैसे कि आप ज्वाली में जाओ तो वहां पर मैक्सिमम तालाब देखने को मिलते हैं। वे रोड़ साईड में भी हैं और उनमें फूल खिलते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अब मैं थोड़ी रोशनी डाल दूं कि यह पॉलिसी हमारी वर्ष 2005 में बनी थी। ..(.**व्यवधान**)... आप लोगों की इच्छा है। जो मेरा उत्तर है मैं यहां पर इसे ले कर देता हूं इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। जो कि इस प्रकार हैः-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु "हिमाचल प्रदेश वानिकी नीति एवं रणनीति 2005" बनाई गई है। प्रदेश में राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वानिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसी नीति के अनुरुप किया जाता है। इस दस्तावेज के अनुसार निम्नलिखित मूल उद्देश्य निर्धारित किये गये हैंः-

- वनों का वैज्ञानिक तरीकों से प्रबन्धन ताकि उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों को स्थानीय समुदायों एवं निरन्तर पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ब़ढाया जा सके।

- वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका की सुरक्षा।

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/3

- वनों के प्रबन्धन में सभी हितधारको (Stakeholders) को शामिल करना व उनको दिए गये हक-हकूको को नियमित करना।

- प्रदेश में भू-उपयोग इस प्रकार व्यवस्थित करना कि वन प्रबन्धन के जरिये भूमि पर निर्भर अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी व पशुपालन की जरुरतों को भी पूरा किया जा सके।

- प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों विशेषतः वनों, वन्य जीवन एवं जैव विविधता (Bio-diversity) व वाटरशेड प्रबंधन (Watershed Management Practices) के माध्यम से संरक्षण एवं सुधार करना।

उपरोक्त मूल नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वानिकी परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

- प्रदेश में 66-5% भू-भाग कानूनी तौर पर वन घोषित हैं लेकिन वर्तमान में प्रदेश के 26-4% भू-भाग पर ही वन आवरण है। बहुत सा वन क्षेत्र हिम-आच्छादित रहता है अथवा इतनी अधिक ऊचाई पर है जहां वृक्ष नहीं पनप सकते अथवा अल्पाइन चरागाह (Alpine Pasture) हैं। ऐसे क्षेत्रों को निकालने के पश्चात लगभग 35-5% भू-भाग ही ऐसा बचता है जिसे वन आवरण के अधीन लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार राज्य योजना, केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय

परियोजनाओं के द्वारा इस वनावरण को अधिकतम सीमा तक ब़ढाने के लिए प्रयासरत है।

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/4

- विद्यमान वनों की उत्पादकता ब़ढाने हेतु उनके घनत्व में ब़ढौरती की जा रही है तथा बहु-स्तरीय (Multi-tier) पौधारोपण को ब़ढावा दिया जा रहा है। इससे वनो के घनत्व में भी बढ़ौत्तरी होगी।

- ग्रामीण आबादी की वनों पर निर्भरता को देखते हुए चारा एवं ईधन देने वाली प्रजातियों के पौधारापण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

- औषधीय प्रजाति के वृक्षों को पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि ज़डी बूटी व औषधीय पौधो को एकत्रित करके ग्रामीणों को आजीविका का अतिरिक्त स्त्रोत प्रदान किया जा सकें। वर्ष 2013-14 में 45.30 लाख व वर्ष 2014-15 में 46.70 लाख औषधीय पौधे लगाये गये तथा वर्ष 2015-16 में 45 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य था। स्थानीय लोगो द्वारा एकत्रित किये गये औषधीय पौधो व ज़डी बूटीयों को अच्छा मूल्य मिल सकें इसके लिए उनको बाजार के साथ जो़डे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- टी0डी0 नीति/नियमों को स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरुप संशोधित कर अधिसूचित किया गया हैं जिसके तहत बर्तनदारों को नया घर बनाने के लिए 15 वर्षों में एक बार 7 घनमीटर तथा पुराने घर की मुरम्मत हेतु 10 वर्षों में एक बार 3 घनमीटर लक़डी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- किसानो द्वारा अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु निजी भूमि से कटान के नियमों को सरल किया गया हैं। 7 वृक्ष प्रजातियों को दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के बन्धन से मुक्त कर दिया गया है तथा इन्हें ट्रांजिट रुलज से भी छूट दी गई हैं।

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/5

- घुमन्तु चरवाहों की समस्यायों के दीर्घकालीन समाधान के लिए नीति में आवश्यक बदलाव करने हेतु लगातार व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है।

- जंगली फलदार पौधो के रोपण पर विशेष बल दिया गया है ताकि वन्य जीवों विशेषकर बन्दरों को वनों में ही समुचित आहार प्राप्त हो सके तथा वे आबादी वाले क्षेत्रों में न जाएं। पौधारोपण किये जाने वाले कुल पौधों में से 20% फलदार प्राजातियों के पौधे लगाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

- जंगली जानवर विशेषकर बन्दर अपने प्राकृतिक वासस्थल में भोजन में आ रही कमी के कारण कृषि व बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। विभाग द्वारा वासस्थल सुधार के उद्देश्य से वनों में जंगली फलों व झा़डियों के पौधों को रोपित करने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उन्हें उनके प्राकृतिक वासस्थल में ही भरपूर खाना उपलब्ध हो सके। विशेषकर बन्दरों एंव अन्य वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थल में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एक बृहध्द योजना "Habitat Enrichment Plantation Model Plan" तैयार की गई है। इस योजना को वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इसके लिए वर्ष 2014-15 में 21.34 लाख रुपये की राशि जंगली फलदार पौधों की नर्सरी उगाने हेतु व्यय की गई है। वर्ष 2015-16 के लिए एक कऱोड रुपये का प्रावधान पौधरोपण हेतु किया गया है।

- वन क्षेत्रों को विशेष रुप से चरागाहों को लैन्टाना व अन्य खरपतवारों से मुक्त कराने हेतु व्यापक योजना चलाई जा रही है जिससे इन क्षेत्रों को फिर से स्वस्थ चरागाहों एवं वनो के रुप में पुर्नस्थापित किया जा सके। वर्ष 2013-14 में 5000 हैक्टेयर वर्ष 2014-15 में 10000 हैक्टेयर वन भूमि को लैन्टाना मुक्त किया गया हैं। वर्ष 2015-16 के लिए 13000 हैक्टेयर वन भूमि से लैन्टाना उखाड़ने का लक्ष्य रखा गया था।

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/6

- पौधारोपण के लिए उपलब्ध क्षेत्रों के अन्य उपयोग के लिए स्थानीय लोगों का भी काफी दबाव रहता है। भू-उपयोग के इस प्रकार के परस्पर विरोधी दबावों के बावजूद भी वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों से सामन्जस्य बैठाकर पौधारोपण की जीवित प्रतिशत्ता में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है।

- पौधारोपण सम्बन्धी इन नीतिगत निर्णयों के दृष्टिगत ही पिछले कुछ वर्षो से प्रदेश के वनावरण में लगातार वृद्वि दर्ज की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी नवीनतम India-State of Forest Report 2015 के मुताबिक प्रदेश के वन आवरण में पिछले दो वर्षो में 1300 हैक्टेयर की वृद्वि दर्ज हुई है। वर्ष 2003 से 2015 के बीच वन आवरण में दर्ज की गई कुल ब़ढौतरी 34300 हैक्टेयर है। यह आकलप उपग्रह द्वारा लिये गये आंकड़ों पर आधारित है।

- इन नीतिगत निर्णयों के दृष्टिगत ही वनों पर ब़ढते लगातार दबावों के बावजूद भी प्रदेश में न केवल वनावरण में वृद्वि हो रही हैं बल्कि स्थानीय समुदायों की वनों पर आधारित मांगों को पूरा करने का समुचित प्रयास भी किया गया है।

- पौधरोपण कार्यक्रम को प्रभावी रुप से कार्यान्वित करने हेतु प्रदेश में 727 नर्सरियां विकसित की गई हैं जिनमें वर्ष 2014-15 में कुल 233.31 लाख पौधे उगाये गये। नर्सरियों के आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में पौधारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कुल क्रमशः 166.37 लाख़ एवं 134.73 लाख पौधे लगाये गये।

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कई अन्य सैक्टर जैसे जलविद्युत उर्जा, पर्यटन, जल सिचाई आदि का विकास भी स्वस्थ एवं समृद्व वनों से गहरे से

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/7

- जुडा हुआ है व वन विभाग द्वारा किये जा रहे उपरोक्त प्रयासो से इसे कार्यन्वितकिया जा रहा है।

- वनों के प्रबन्धन को इस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि इससे जुड़े अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी सतत् लाभ प्राप्त हो सके तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढता मिले।

- भू-क्षरण को रोकने व जल ग्रहण क्षेत्रो में पारिस्थितिकी को सुधारने हेतु सतलुज, रावी, चिनाव व ब्यास नदियों के पूरे बेसिन के लिए समन्वित कैचमेंट प्लान बनाई गई है ताकि प्रदेश की मुख्य नदियों में भूस्खलन, गाद की समस्या व अन्य पर्यावर्णीय मुददों का व्यापक स्तर पर समाधान हो सकें तथा जल प्रवाह क्षेत्रों को स्थाईत्व प्रदान किया जा सकें।

- प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण को ठोस आधार प्रदान करने हेतु 226 करोड रुपये की एक विशेष बृहद योजना वन विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजी गई है। 10 वर्ष की

अवधि की इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में और तेजी आएगी तथा मनुष्य व वन्य प्राणियों के बीच संघर्ष को और कम करने में सहायता मिलेगी।

- प्रदेश सरकार राज्य में वन्य प्राणियों एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वर्तमान व आने वाली पीढियों की आवश्यकताओं व आंकाक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। वन्य प्राणी प्रभाग द्वारा विभिन्न वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (CZA) से स्वीकृति उपरान्त कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इस दिशा में जुजुराणा संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, चैह्ड संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, मोनाल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, बर्फानी तेन्दुओं का आवास सुधार कार्यक्रम तथा दूर्लभ गिद्ध प्रजाति संरक्षण प्रमुख हैं।

06.04.2016/1620/जेएस/एजी/8

.

- प्रदेश सरकार की सिफारिश पर हाल ही में भारत सरकार ने, मानव-वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने हेतु शिमला नगर निगम क्षेत्र में बन्दरों को अगामी छः महीने के लिए वर्मिन (Vermin) घोषित किया है।

उपरोक्त नीतिगत प्रयासो से निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैंः-

(i) प्रदेश में वन आवरण में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा वनों के घनत्व में भी वृद्धि हो रही है।

(ii) लैंटाना व अन्य खरपतवार को उखा़ड कर वनों की उत्पादकता बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है।

(iii) स्थानीय लोगो को वानिकी कार्यक्रमों के साथ सफलता पूर्वक जो़डा गया है।

(iv) मनुष्य व वन्य प्राणियों के बीच संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रयासो में तेजी आई है।

(v) जल ग्रहण क्षेत्र योजनाओं (CAT Plans) के कार्यन्वयन में तेजी लाने से जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार को बल मिला है जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेष में जल विद्युत परियोजनाए भी अन्ततः लाभान्वित हो रही है।

(vi) स्थानीय लोगों को वन बन्दोबस्त में दिये गये हक-हकूकों को पूरा किया जा रहा है।

उपरोक्त उपलब्धियों के मध्यनजर वानिकी परियोजनाओं से सम्बन्धित वर्तमान सरकार की नीति में कोई वदलाव की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

06.04.2016/1625/SS-AS/1

वन मंत्री क्रमागतः

तो मैं भाई महेन्द्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे उत्तर को तसल्लीबख्श समझते हुए अपने संकल्प को वापिस लेंगे।

उपाध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंह जी, आपका क्या विषय है?

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा। दूसरा, उस प्रोजैक्ट के बारे में कहा। --(व्यवधान)-- मैंने दोस्त ही कहा। ये बड़े अच्छे और प्यारे दोस्त हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न इस प्रोजैक्ट के बारे में 29 तारीख को लगा था। यह प्रश्न संख्याः 3033 है यह 29 तारीख को लगा। मैंने इनसे "क" भाग में पूछा था कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश में के0एफ0डब्ल्यू0 नाम से इंडो जर्मन क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट आरम्भ हुआ है या होने जा रहा है? यदि हां तो यह प्रोजैक्ट किस-किस जिला में कितनी-कितनी पंचायतों, गांवों में आरम्भ किया जायेगा? इसका "ख" भाग यह था कि इस प्रोजैक्ट का मुख्यालय, अन्य कार्यालय कहां-कहां हैं? पंचायतों, गांवों की चयन प्रक्रिया क्या होगी?

सूचना सभापटल पर रखें। यह प्रोजैक्ट कितने समय, कितने चरणों का होगा, कितनी धनराशि इसके अन्तर्गत व्यय करनी प्रस्तावित है ब्योरा पटल पर रखें। ये मैंने पूछा था। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाब दिया है, वह अधूरा दिया है। तीन-चार दिन के बाद इनको पूरा जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि अप्रैल महीने से इसको शुरू करने जा रहे हैं। अप्रैल महीना शुरू हो गया है। इसमें इन्होंने इसका जवाब दिया नहीं है। यह सरकार जो सूचना देती है वह कैसी सूचना होती है? "क" भाग में इन्होंने कहा कि यह सत्य है कि प्रदेश में जर्मन सरकार के के0एफ0डब्ल्यू0 बैंक के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फॉरैस्ट इको टूरिज्म क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट वर्ष 2015-16 से लागू हो चुका है। यह परियोजना कांगड़ा व चम्बा जिला में लागू की जा रही है। अब दोनों जिलों में 600 पंचायतें, विभिन्न गांव, समूहों में कार्यान्वित की जायेगी, जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। "ख" भाग में बताया कि इस परियोजना का मुख्यालय धर्मशाला में है। जहां मुख्य परियोजना निदेशक (Chief Project Director) का कार्यालय स्थित है। इस परियोजना का कार्यान्वयन वन विभाग के चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर वन वृत्त के माध्यम से करेंगे। बाकी इन्होंने चयन प्रक्रिया के मापदंड बताये हैं। लेकिन आज जो आपने कहा कि अप्रैल महीने से शुरू करने जा रहे हैं, इसमें (प्रश्न में)

06.04.2016/1625/SS-AS/2

उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक तो सरकार को थोड़ा-सा चाहिए, मेरा निवेदन है --(व्यवधान)--

Deputy Speaker: What is the point of order?

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इन्होंने उस समय सदन को यह सूचना क्यों नहीं दी, जो आज ये सूचना दे रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में गलत सूचना क्यों दी? सिर्फ आज वह सूचना दे दो। आज मेरी चर्चा थी तो मैं इसलिए इस प्रश्न को ले आया। नहीं तो इन्होंने मेरी बात माननी नहीं थी। यह 29 तारीख के प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं। --(व्यवधान)-- यह प्रश्न लगा था, तभी तो मैं बोल रहा हूं। यह आपका लिखित जवाब है। आपने यहां सभापटल पर सूचना रखी है।

उपाध्यक्षः नहीं, नहीं। What is the point of order? आपका कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, please sit down. I am not allowing you. There is no point of order, please sit down. --(व्यवधान)--

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ये गुमराह कर रहे हैं। अगर मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगा तो इन्होंने फिर वही कहना। इन्होंने मेरा नाम लेकर इस प्रोजैक्ट के बारे में कहा। मैंने आज सुबह इंगित किया, जब मैं अपने संकल्प पर चर्चा कर रहा था। तो मैंने उस समय कहा। उस समय मुख्य मंत्री जी ने जवाब देना था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो महेन्द्र सिंह जी ने कहा तो इसके ऊपर इन्होंने डिटेल में जवाब दिया। यह सारा रिकॉर्ड पर आया है।

उपाध्यक्षः मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। Please sit down.

श्री रविन्द्र सिंहः यह कमाल हो गया। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। उस दिन जवाब दिया नहीं और आज जवाब दे रहे हैं।

उपाध्यक्षः इसको आप किसी और नियम के तहत ला सकते हैं, अगर कोई ऐसी बात है। इधर परटीकुलरली इससे कोई संबंध नहीं है। श्री महेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये।

06.04.2016/1625/SS-AS/3

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कार्बन क्रैडिट के बारे में बात की है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के बारे में कहा है कि अब उन लोगों को कार्बन क्रैडिट मिलना शुरू हो चुका है। आज तक कितने लोगों को कितनी क्वांटिटी में कार्बन क्रैडिट हासिल हुआ है। प्रति कार्बन क्रैडिट की क्या कॉस्ट है और कितनी धनराशि जर्मन सरकार से कार्बन क्रैडिट के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है।

दूसरा, आपने कहा कि कैम्पा का पैसा पौधरोपण के ऊपर खर्च किया जाता है। माननीय मंत्री जी इसी हाउस के बीच में आपने एक प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया है।

मैंने मैंशन किया है कि आपने कैम्पा के पैसे को, जोकि पौधरोपण के लिए मिलता है, विभिन्न मेलों के लिए थोड़ा भी नहीं बल्कि 14-14 लाख, 7-7 लाख रुपया आबंटन किया है।

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2016/1630/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी...

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगें कि केम्पा के पैसे के ऊपर आप छानबीन करवाएंगें कि केम्पा का जितना पैसा भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग को मिला है, क्या वह पैसा उसी कैचमैंट में जिसमें जो परियोजना बनी है, जिस परियोजना के लिए वह केम्पा का पैसा मिला, क्या वह पैसा वहीं पर खर्च हुआ है और जो कार्बन क्रैडिट की बात कही है, उसको जरा आप विस्तार से बताएंगें कि कितना कार्बन क्रैडिट आज तक तैयार हुआ और कार्बन क्रैडिट का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? एक कार्बन क्रैडिट की क्या कीमत है और आज तक कितनी राशि जर्मन सरकार से हिमाचल के वन विभाग को और उन लाभार्थियों को कार्बन क्रैडिट के रूप में मिली है ?

वन मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने कार्बन क्रैडिट का जिक्र नहीं किया था लेकिन मैंने उसमें जिक्र कर दिया कि मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के तहत कार्बन क्रैडिट तैयार किया है । जो ये सूचना मांग रहे हैं, अभी यह सूचना मेरे पास नहीं है । मैं आपको बाद में दे दूंगा। जो भी होगा, क्लैरीफाई करके पूरी सूचना आपको दे देंगें कि कितना पैसा हुआ है, कितना किसको मिला है और कितना एक-एक किसान को मिला, यह सारी डिटेल आपको दे देंगें।

श्री महेन्द्र सिंहः मंत्री जी, आप इतना बता दो कि कार्बन क्रेडिट का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

वन मंत्रीः मूल्यांकन के लिए जर्मन वालों की टीम आ जाती है और हमारे ऑफिसर्ज़ भी साथ जाते हैं और मौके पर उसको नापते हैं। उसके मुताबिक कार्बन क्रैडिट निकाला जाता है।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, अगर माननीय मंत्री जी कहेंगें और कोई ठोस नीति लाने का यहां पर आश्वासन देते हैं तो उसके बाद सोचा जाएगा।

06.04.2016/1630/केएस/एजी/2

वन मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो वर्ष 2005 की ठोस नीति बनाई हुई है उसके मुताबिक ही सारे काम हो रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस चीज़ को मध्यनज़र रखते हुए आप अपने संकल्प को वापिस ले लें।

श्री महेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि आज से ग्यारह साल पहले जो नीति बनी थी, ग्यारह सालों में कितना परिवर्तन आ गया, क्या आप ग्यारह साल के बाद भी वन विभाग के लिए कोई नई नीति बनाने की सोच नहीं रखते? हम चाहते हैं कि क्या आप पुनर्विचार करेंगें कि हम नई नीति बनाएंगें, तब हम अपना संकल्प वापिस ले लेंगें ?

वन मंत्रीः जो आपके मूल्यवान सुझाव हैं, उनके मध्यनज़र अगर जरूरत पड़ी तो हम लाएंगें, क्यों नहीं लाएंगें? उसमें आपके सुझावों को भी तो हमने शामिल करना है।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

06.04.2016/1630/केएस/एजी/3

उपाध्यक्षः अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगें।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा अन्याय संविधान के तहत तरखान जाति के लोगों के साथ, जो हिमाचल प्रदेश के वासी हैं और मूलतया अनुसूचित जाति समुदाय के अभिन्न अंग होने की वजह से भी आज अनुसूचित जाति के स्टेटस से वंचित है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए।"

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2016/1635/av/dc/1

उपाध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए।"

माननीय सदस्य अब केवल 25 मिनट का समय शेष रहता है तथा इस पर और दो माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। अगर आप चाहें तो इसको अगले सत्र में लाया जा सकता है।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संकल्प प्रस्तुत कर दिया है इसलिए इसको प्रस्तुत हुआ समझा जाए। इस पर बाकी दो माननीय सदस्यों ने भी बोलना है। इसलिए इसको अगले सत्र के दौरान चर्चा हेतु लाया जाए तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : ठीक है।

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2016 के 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 6 अप्रैल, 2016 **सचिव।**